

# श्रीऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम, ( दिगम्बर जैन गुरुकुल ) चौरासी, मथुरा ।



यही एक ऐसी सामाजिक संस्था है, जो प्राथमरी पाम बालकों को प्रविष्ट करके कम से कम १८ वर्ष की अवस्था तक रखकर उनको सु-संस्कारी, स्वावलम्बी उच्च कोटि के धार्मिक मार्मिक विद्वान् बनाती है । इसमें धार्मिक क्रिया-कारण के साथ वच्च कोटि की धर्म शिक्षा तो दी ही जाती है, किन्तु साथ ही न्याय, व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल, अंग्रेजी आदि व्यावहारिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा भी ( जैसे कपड़ा, दूरी, निवार, फीता, गलीचा आदि बुनना और प्रत्येक प्रकार का कपड़ा सीना आदि ) दी जाती हैं । अतएव प्रत्येक जैनी को अपने होनहार तीक्ष्ण बुद्धि के बालक प्रविष्ट कराकर लाभ उठाना चाहिये, तथा प्रत्येक मौगलीक प्रसंगों व पथों पर सदैव इसकी सहायता करते और कराते रहना चाहिए और यथावसर इसका निरीक्षण परीक्षण करके अपनी शुभ सम्मति देकर इसे विशेष उत्तम बनाना चाहिए ।

निवेदक—

मन्त्री—श्रीऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम,  
गुरुकुल, चौरासी, मथुरा ।

## नकली वस्तुओं से बचिये.

हमारे यहां शुद्ध काशमीरी केशर, नेपाली कस्तूरी, अंबर, शुद्ध सिल्लोजीत, द्वालाभव, मदावहार, शिरोव्याधि नाशक तेल आदि पदार्थ ठीक दाम पर सदैव मिल सकते हैं, हम केशर आदि वस्तुएँ सीधी काशमीर से ही मंगाते हैं नकली सिद्ध करने पर इनाम भी देते हैं शेष औषधियां हम स्वयं तैयार करते हैं। इसलिये एक बार तो मंगा परीक्षा कीजिए, फिर तो आप स्वयं ही मंगावेंगे, कम से कम देव पूजा के लिए तो हमारी ही केशर मंगाहये अथवा नकली केशर के बदले हर विंगार के फूल ही उपयोग में लीजिए पर अशुद्ध केशर न खदाइए।

हमारा पता—

बाबू हरिश्चन्द्र जैन परिवार एण्ड व्रदर्श,

जनगल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट्स, सलापोम रोड, अहमदाबाद।

## एक बार मंगाकर खातरी कीजिये।

लांछे की तिजोरी, अन्मारियां, कोठियां, तोलने के छोटे बड़े कांटे, पीतल का चहर के बेजोह रतलामा जाट, कटाबदान [ हजे ] आदि सामान क्रिश्चियन के साथ ठीक भाव से भेजा जाता है, रतलाम इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है।

मैगाने का पता—

मास्टर कालूगाम राजेन्द्र कुमार परिवार जैन,

रतलाम स्टोर, रतलाम।

सन्मत्सुमनमाला



सुमन दसवां

\* पतन से उत्थान \*



लेखक—

श्रीयुक्तधर्मरत्न पं. दीपचन्द जी वर्णी

नर्मिहपुर सी. पी. निवामी ।

प्रकाशक—

सेठ मोहरीलाल चाँदमल जी,

गंगवाल दि० जैन,

नवा माधोपुरा, अहमदाबाद ।

मुद्रकः—

पं.पुरुषोत्तमदास मुरलीधरशर्मा  
हरीहर इलैक्ट्रिक मशीन प्रेस,  
मथुरा ।



## → आवश्यक निवेदन ←



जब कि अनेकानेक जातियां तन, मन, धन से अपनी उर्जा में अग्रसर हो रही हैं, तब हमारी जैन समाज अभी गाढ़ निद्रा में ही मग्न हैं— यह क्या भला कम सोचनीय है। बस ! जैन समाज की इसी तन्मान परिस्थिति पर दृष्टिपात करते हुए, नरसिंहपुर निवासी धर्मरत्न अंजु पं० दीपचन्द्र जी वर्णी ने प्रकृत पुस्तक लिखकर हमारी मरणोन्मुख जैन समाज को नवीन जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में पूज्य वर्णी जी ने समाज एवं तदन्तर्गत धार्मिक संस्थायें तथा विद्यार्थियों की जो स्पष्ट आलोचना की है वह तो प्रत्यक्ष अनुभूत ही है। मुझे आशा है, कि इस पुस्तक को पढ़कर हमारी अवनत जैन समाज उस गाढ़ निद्रा को भङ्गकर अपनी दुरवस्था पर आँसू बहावेगी और पूज्य वर्णी जी द्वारा इस पुस्तक में बतलाए गये उपायों का आलम्बन अवश्य करेगी।

अन्त में मैं उन पूज्य वर्णी जी महाराज को भी धन्यवाद दिये किना नहीं रह सकता, कि जो शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी अहतिश धर्म एवं समाज के उद्धार की इतनी चिन्ता रखते हैं और तदनुसार वय में १—२ पुस्तकें भी लिखते रहते हैं।

ॐ शान्ति !

ऋषि पत्रमी,  
वीर नि. २४६२ । }

निवेदक—

बालचन्द्र शास्त्री,

सौरई ( भांसी )

# पतन से उत्थान ।

- अर्थात् -

## दिगम्बर जैन धर्म और समाज की परिस्थिति और उसके सुधार के उपाय ।



यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि सब दानों में विद्या दान ही प्रधान दान है, जो कि विद्याप्रदायिनी संस्थाओं को द्रव्य, पुस्तक, व आवश्यक उपकरण आदि देने से, विद्यार्थी, बालक, बालिकाओं तथा नर नारियों को भोजन, वस्त्र, पुस्तक आश्रय आदि देने से तथा सर्व-साधारण साक्षर तर-नागियों को उनकी योग्यतानुसार उनकी भाषाओं में लिखित या मुद्रित धार्मिक तथा नैतिक शास्त्रों के देने से होता है ।

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जिसका विक्रम प्रत्येक प्राणी में उसके लयोपशम के अनुसार होता है । संसार में कोई भी ऐसा प्राणी न मिलेगा, जिसमें ज्ञान का सर्वथा अभाव हो, किन्तु समस्त चर-अचर प्राणियों में न्यूनताधिक रूप में ( थोड़ा बहुत ) ज्ञान अवश्य ही पाया जायगा । संसारी प्राणियों में, जिनमें जितनी २ इन्द्रियां कम हैं, उनमें उतना २ ज्ञान भी कम है और जिनके जितनी २ इन्द्रियां अधिक हैं, उनमें उतना २ ज्ञान भी अधिक होता है । सब इन्द्रियां पांच हैं और एक मन ( अनिन्द्रिय = अभ्यन्तर इन्द्री ) है । एकेंद्री से दो

विषय वासनायें, फैशन, निर्बलता, झूठी सभ्यता, स्वार्थ व्यक्तिगत बढ़ रहे हैं। तीसरे प्रारम्भ से धर्म संस्कार नहीं डाले जाते न पाप भीरु बनाया जाता है। चौथे पुरुषार्थ—(उद्योग) नहीं सिखाया जाता। पांचवें कुसङ्ग रहता है। छठे धूर्त, बदमाश खुशहाल और मच्चे धर्मात्मा दुस्वी देखे जाते हैं— ऐसी दशा में अनेक लोगों ने परोपकार के नाम पर अनेकानेक प्रगट और गुप्त संस्थायें खोल रखी हैं, जिनका उद्देशमात्र कुल-बल न्याय या अन्याय से धन कमाना है।

इसी प्रकार कितनेक विद्यार्थी भी लोगों को अपनी गरीबी व असमर्थता का दम्भ बताकर खूब रुपया मंगा लेते हैं और उससे मनमानी मौज शौक उड़ाते रहते हैं, इससे ये पढ़ तो पाते नहीं और कदाचित् पढ़कर परीक्षा भी पास करली, तो भी परीक्षा के अनन्तर कुछ भी ज्ञान इनमें नहीं रहता। ये कोरे के कोरे बने रहते हैं न विद्या रहती है, न उद्योग हुनर ही आता है, परन्तु फैशनेबल, स्वर्चीला और सुखिया जीवन बिताना सीख जाते हैं। जब ये विद्यालय छोड़ते हैं, तब इन पर यकायक खर्च का भार आ पड़ता है और आमदनी का मार्ग छात्रवृत्ति आदि बन्द होजाते हैं। धन्धा उद्योग सीखे नहीं, घर में पूंजी व जायदाद नहीं, या जायदाद सम्हालने की बुद्धि नहीं, घर में जो बाप-दादों का छोटा-मोटा धन्धा, बंजी भोरी, या परचूरण, आटा, दाल घी, गुड़, जमक, तेक, हल्दी आदिकान तोलना, बेचना, खरीदना आता है और न यह धन्धा उनको पसन्द ही पड़ता है। मिहानत मजदूरी होनी नहीं और नौकरी मिलती नहीं। यदि दैवयोग से कहीं १५-२० पर लगे भी तो योग्यता के अभाव में वहां से पृथक् कर दिये जाते हैं। “अब वे क्या करें” यह प्रश्न खड़ा रह जाता है।

जो हो अपना और अपने अधीनस्थ स्त्री, पुत्र आदि के भोजन-वस्त्रादि का प्रबन्ध और वह भी अपटूडेट होना चाहिए, इसके बिना तो



दिन नहीं कट सकता। ऐसी दशा में या तो वे आत्मघात करके जाँवन से छुटकारा पा लेते हैं या फिर कोई दम्भ ( जिम्का भावी फल नरकादिकुगति हो या वर्तमानमें राज दण्ड पञ्च दण्डादि मानसिक और शारीरिक यातनाएँ हों ) रच लेते हैं, ऊपर ये धर्म व परोपकार की कलई लगाकर सुनहली रुपहली रूप दिखाने हैं और भीतर पाप रूपी नांवा लोहा होता है। सत्य ही कहा है—

बुभुक्षिताः किं न करोति पापम् ?

चीणाः नराः निष्करुणा भवन्ति ॥

अर्धान् भूत्वा कौन सा पाप नहीं करता अर्थात् सभी करता है और चीण (निर्बल) दया रहित होता है। बस ! इनकी यही दशा होती है, जो प्रस्यन्न है।

क्योंकि इन में व्यावहारिक विद्या बुद्धि नहीं, सदाचार के अभाव से रूप व रत्न नहीं, अर्थ पुरुषार्थ के अभाव और अनावश्यक (दिखाऊ) खर्च के कारण धन का भी अभाव है, ऐसी दशा में यदि ये मार्गच्युत हो जावें तो आश्चर्य ही क्या है ?

इसलिए यदि समाज के उदार दानी मज्जन कुल्ल विवेक बुद्धि से कार्य करें, तो दम्भी संस्थाएँ और व्यक्तियों को उद्योजना न मिले और सखी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सहायता मिलने से उनकी आवश्यक कमी की पूर्ति हो जाय, इस प्रकार “नाथु अनुग्रह दुर्जन दण्ड” दोनों ही कार्य सध जावें, इसके लिए उपाय यह है, कि हमको जिन संस्थाओं का पूर्ण परिचय है, उनको तो यथावसर सदैव ही शक्ति अनुसार बिना सङ्कोच सहायता करते रहें तथा अपने हृष्ट व अन्यजनों से प्रेरणा करके सहायता पहुंचाने रहें, परन्तु जो संस्थाएँ नवीन खुली

हों व खुलने वाली हों अथवा जिनका कुछ भी परिचय न हो और वहाँ की अपील आवे, तो उनके सम्बन्ध में पूर्ण जाँच किए बिना केवल अपील के छपे फार्म या चिट्ठियों पर से या चन्दा कराने को आए हुए व्यक्ति के कहने मात्र से द्रव्यादि नहीं दे देना चाहिए और न उपेक्षा ही करना चाहिए, क्योंकि नवीन या अपरिचित संस्थाएँ सच्ची भी हो सकती हैं और झूठी भी, इसलिए जहाँ की संस्था की अपील है, वहाँ के प्रसिद्ध पुरुषों से अथवा उस जिले या प्रान्त के प्रसिद्ध व्यक्तियों से उन संस्थाओं के बाबत खूब ज्ञान बीन करना चाहिए, पश्चात् द्रव्य भेजना चाहिए, द्रव्य की आफीसल रसीद प्राप्त करके किसी समाचार पत्र में दान की रकम संस्था का नाम जिसके द्वारा रकम दी या भेजी हो, उसका और अपना नाम ग्राम पुरा पता प्रगट कर देना चाहिए, जिससे धोखा न हो, द्रव्य का सदुपयोग होवे अथवा दि० जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हीराबाग बम्बई के पास वह रकम, उस संस्था के नाम से सहायतार्थ भेज देना चाहिए और लिख देना चाहिए, कि यदि उक्त नाम की कोई सुचारु रीत्या चलने वाली संस्था हो तो निश्चय करके यह रकम वहाँ भेज दीजिए और उसकी रसीद नियमानुसार भिजवा दीजिए। इसी के साथ समाचार पत्रों में भी ऊपर बनाए अनुसार सूचना दे दीजिए कि हमने अमुक संस्था की सहायतार्थ अमुक रकम तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बई में जमा कर दी है इत्यादि।

ऐसा करने से दम्भी संस्थाओं को मदद नहीं मिलेगी, द्रव्य का सदुपयोग होगा, यदि वास्तव में वह सच्ची संस्था होगी, तो वहाँ से उसको वह द्रव्य मिल जायगा, यदि दम्भी दोगी तो आपका द्रव्य सुरक्षित रहेगा और उसे आप किसी अन्य सुयोग्य संस्था में भेज सकेंगे।

इस विषय में सचेत करने का हेतु यह है, कि इस समय बेकारी और बहुसूची आदि कारणों से ऐसी दम्भी संस्थाएँ जहाँ तहाँ बहुत

खुल रही हैं, उन में दो चार गौर जिम्मेदार व्यक्ति मन्त्री सभापति खजांची आदि के नाम रख लेते हैं, नियमावली व उद्देश भी आक-षक बना कर छपा लेते हैं । बनावटी रिपोर्ट भी निकाल देते हैं और प्रचारक भी भेज देते हैं, इस प्रकार धूर्तना से समाज के भोलेपन के कारण ये लोग दम्भ में सफल हो जाते हैं, आखिर भगडा फोड़ हो जाता है, क्योंकि "सदाकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से । क्या खुशबू है आसकती कभी काराज़ा के फूलों से ॥"

ऐसी संस्थाएँ भारत में भी बहुत हो गई हैं, जिनका समाचार यथावसर मिला करता है, परन्तु खेद तो इस बात का है, कि इस पवित्र जैन समाज में भी ऐसी संस्थाएँ होने लगी हैं । अभी हाल ही में आगरा के फूलचन्द जैन को तथा अकोला के कस्तूरचन्द्र जैन को जेल की सजा इसी हेतु हुई है, कि उन्होंने विप्रवाश्रम खोल रखे थे और अनाचार के द्वारा धन समाज से लूटते थे ।

प्रचारकों में से उन्हीं को द्रव्य देना चाहिए, जो प्रसिद्ध व परिचित संस्थाओं की ओर से आए हों, जिन के पाप संस्था की रसीद-बही वहाँ की मुहर वाली हो और वहाँ के मन्त्री अधिष्ठाता आदि का हस्ताक्षरी पत्र उनके निकट हो और इतने पर भी सन्देह हो तो रकम उनका न देकर सीधी संस्था में भेज देना चाहिए और आफीसल रसीद प्राप्त करना चाहिए ।

हमारे कितने ही मरल व भोले सज्जन रसीद भी नहीं लेते, कह देने हैं, रसीद फसीद का क्या करना है ? परन्तु उनकी यह बड़ी भूल है, कुछ भी सहायता (नकद हो व उपकरण पुस्तक, वस्त्र, बासन, फरनीचर आदि ) देखो कि तुरन्त रसीद ले लो । सम्भव है, बिना रसीद का द्रव्य संस्था में जमा न हो और ऊपर ही ऊपर उड़ जावे । इसलिए रसीद लिए बिना कभी किसी संस्था को कुछ न दो ।

यदि भोजन कराना हो, तो सामने बनवाकर खिलादो या भोज्य पदार्थ(फल, मेवा, मिष्टान्न)व वस्त्रादि स्वयं बाँट दो या सामने बैठ-चादो, यदि मकान बनवाना हो, तो स्वयं अपने गुमारता या स्थानीय किसी प्रसिद्ध पुरुष के सामने कार्यारम्भ कराके जैसा २ क्युं होना जाय अपनी सामर्थ्य व स्वीकारता के अनुसार द्रव्य देते जाओ और कार्य पूर्ण करा दो ।

क्योंकि अनेकों बार समाचार छपते हैं, सेनागिर के पण्डे छुड़ी चपरास नकली लेकर नीर्थ के नाम पैसे उधराते हैं । अतः सावधान रहें ।

या अमुक संस्था से अमुक प्रचारक का सम्बन्ध नहीं है या छूट गया है, उसे कोई द्रव्य न देवे, सीधा संस्था में भेजें इत्यादि ।

इसी प्रकार समाज के भावी कर्णधारों ( होनहार विद्वान धर्मोपदेशक धर्माचार्य आदि ) के सम्बन्ध में नी विचार करना है ।

स्कूल, कालेज तथा विद्यालयों से पढ़ कर निकलने वाले विद्वान् ही तो हमारी समाज के भावी कर्णधार ( नेता )अध्यापक,धर्मोपदेशक, धर्माचार्य मंथमी त्यागी ब्रती हो सकते हैं । अतएव इनके शिक्षण और संरक्षण का ध्यान समाज के दानी उदार चरित राजनों और कार्य-कर्ताओं को कितनी सावधानी से करना चाहिए । यह वे स्वयं मोच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साधारण जनता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रक्खा है, क्योंकि जन साधारण तो समर्थ वा असमर्थ अवस्थाओं में इनकी गोद में अपने बालकों को सौंप देते हैं, इसी आशा तथा विश्वास पर कि अमुक संस्था में, अमुक समय तक हमारा बालक रह कर सुयोग्य, विद्वान्, कला कौशल युक्त, उद्योगी, धार्मिक, व्यवहार कुशल, सदाचारी, पुरुषार्थी प्रामाणिक मद्गृहस्थ के योग्य

लक्ष्यों वाला, स्वावलम्बी, स्वास्थ्य क्षिप्त और शरीर वाला, स्वकुल समाज तथा देश को गौरवान्वित बनाने वाला, पितादि गुरुजनों का आज्ञाकारी, विनयी, नम्र व उदार भाव वाला, दीर्घ दृष्टि, धीर-वीर, निरोगी, साहसी आदि न जाने और भी कितनीक आशा कल्पनायें व विश्वास के साथ वे संस्थाओं में दाखिल कराकर निवृत्ति पा लेते हैं ।

दूसरी ओर संस्थाओं के सञ्चालक अपना मात्र इतना उद्देश या उत्तरदायित्व समझे बैठे हैं या समझते हैं, कि येन केन प्रकारेण बालकों को अमुक डिग्री ( पदवी ) प्राप्त करा देना और फिर लम्बी, चौड़ी, रिपोर्ट संस्था को छपाकर जनता व उदार धनिकों का धित्त आकर्षित करके द्रव्य ( सञ्चालन खर्च ) प्राप्त कर लेना । अध्यापकवर्ग मात्र पुस्तकों का पाठ, पठनक्रमानुसार पूरा करा देने और परीक्षोत्तीर्णता प्राप्त कराने के लिये खास प्वाइन्ट्स बता देना या नोट करा देना मात्र कर्तव्य समझते हैं । तात्पर्य- किसी प्रकार बालक उत्तीर्ण होजाय, भले ही उसे ग्रन्थ का विषय उपलब्ध हो या न हो । समझता हो या न समझता हो, वह सदाचारी रहे या कदाचारी बन जावे, कुछ भी हमकी उनको परवाह नहीं । उन्हें तो नाम से प्रयोजन कि हमने इतने तीर्थ कराये या प्रोजेक्ट बनाए । भले ही फिर वे अपने अनुभव शून्यता या विद्या के कारण आजीविका बिहीन हुए मारे मारे फिरें, भूखे मरें, अपघात करें या चोरी अन्याय आदि करके जीवन निर्वाह करें, भले ही उनका भावी जीवन कष्टमय, भार रूप या अपकीर्ति का हेतु हो, इससे इनको क्या ? इनको तो कार्यकर्ताओं को प्रसन्न रखकर अपनी तरफकी कराना मात्र इष्ट है ।

सरकारी शालाओं में इन्हीं बातों को देखकर समाज व देश के नेताओं ने देश और समाजों में कुछ प्राइवेट संस्थाओं, विद्यालयों, गुरुकुलों तथा छात्राश्रमों की सृष्टि रचना की, जिससे विद्यार्थियों को

संस्कृत तथा इंग्लिश आदि विद्याओं की प्राप्ति के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी मिलती जाय, उनके सदाचार की रक्षा बनी रहे तथा आचार विचार न बिगड़ने पावें, खान-पान में भ्रष्टता न आवे, इत्यादि ।

परन्तु देखा जाता है कि ये ( प्राइवेट ) संस्थाएँ भी उन्हीं संकीर्ण शालाओं का बहुतांश में अनुकरण कर रही हैं । इनमें शिक्षा पाने वाले बालक, भले ही वे अंग्रेजी विभाग के हों या संस्कृत विभाग के हों, “अपटुडेट” फैशन से रहते हैं । वही अंग्रेजी ढङ्ग के कोट, कमीज पहिरना, उसी प्रकार बाल रखना, उसी प्रकार वस्त्रों में स्त्री आदि कराना तथा भोजन पान में भी शिथिलता रखना, भक्ष्याभक्ष्य का विचार न रखना, बाजारू पदार्थ—मिठाइयाँ, चाट, सोडा, लेमनेड, चाय, विस्कट आदि खाना, रात्रि को खाना, अंग्रेजी विदेशी ( अपवित्र ) दवाइयाँ खाना, नाटक, सिनेमा आदि देखना, धर्म शिक्षा को बेगार समझना, असावधानी से मात्र नियम पालनार्थ पद लेना आदि ।

मैंने स्वयं प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में काम किया है और यों भी महीनों रहकर इन सब बातों का अनुभव किया है । इन विषयों में शिक्षकवर्ग और कार्यकर्ता गण उदास रहते हैं । वे जानते हुए भी आंख मिचौनी किया करते हैं, क्योंकि उनको भय रहता है कि कहीं हमारा विद्यार्थी रुए होकर किसी अन्य संस्था में न चला जाय ( जैसा कि होता रहता है ) क्योंकि उसके चले जाने से ये अपनी इतने दिन की मिहनत बेकार हुई समझते हैं । कारण कि पढ़ाया इन्होंने, परीक्षा दी गई दूसरे अभ्यापक और संस्था के नाम से । इसलिये इनकी संस्था की रिपोर्ट में वह उत्तर्ण नहीं दिखाया जा सकता और अन्य संस्था मूत्रत में ही नाम कमा लेती हैं और साधारण जनता रिपोर्ट मात्र

देखकर ही संस्था के कार्य का भला बुरा निर्णय कर लेती है, न परीक्षा दिखाने वाली संस्था कभी यह प्रगट करती है, कि यह बालक अमुक समय से यहाँ अभ्यास कर रहा है, इसके पहिले इसने अमुक अमुक परीक्षाएँ अमुक संस्था से दी हैं और न आगन्तुक छात्र से पूर्व संस्था का प्रमाण पत्र ही लेकर भर्ती करती है, उसे तो पढ़ा पढ़ाया तैयार बालक मिल गया जो ४-६ माह या १ साल में ही तीर्थ आदि परीक्षा देकर संस्था से उत्तीर्णता प्राप्त कर लेवेगा और संस्था को सुन्दर रिपोर्ट बनाने का सुवर्ण अवसर मिल जायगा, भले ही सहयोगिनी संस्था को हानि पहुँचे, इसका उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, इसीलिए ये संस्थाएँ बालकों पर अंकुश नहीं रख सकतीं, उनकी स्वच्छन्द प्रवृत्ति को नहीं रोक सकतीं। इतना ही नहीं, किन्तु अनेक संस्थाएँ कुछ प्रलोभन भी देती हैं, जिसमे अन्य संस्था के छात्र अन्य संस्था में आकर्षित हुए चले आते हैं।

फल इसका यह होता है, कि बालक स्वच्छन्द प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, उनका मदाचार, गुरु-भक्ति, कृतज्ञता, विनय, स्वावलम्बन आदि गुण नष्ट हो जाते हैं और बदले में उद्वेगता उच्छ्वलता, कायरता, गुरु-द्रोह, कृतघ्नता, पराधीनता, सुखिया स्वभाव, भीरुता, क्रुध, कपट, मायाचार आदि अनेकों दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं।

खेद है, कि अध्यापक और संस्थाएँ इन विषयों में अपना उत्तरदायित्व ही नहीं समझती और न समाज ही इस पर लक्ष्य देती है, कि अमुक पण्डित जो अमुक अमुक परीक्षा पास हैं और जो अपने पठित ग्रन्थों को अन्य छात्रों को पढ़ाने में असमर्थ है अर्थात् जिसे अपने पठित विषय आत ही नहीं हैं, न वे शास्त्र पढ़ सकते हैं, न धर्म शास्त्र का ज्ञान है, न खान-पान की शुद्धि का विचार है, न जैन धर्म

की क्रिया आचरण, पानी छानना, भोज्य पदार्थों की मर्यादा, भक्ष्या-भक्ष्य को ही जानते हैं, जिनके बचन की प्रतीति नहीं, एक जगह स्वीकारता देते हैं, अन्य जगह चले जाते हैं, स्वीकारता पाने वाले आशामें बैठे रहते हैं, किसी संस्था का कार्य करते हुए गुप्त-सुप्त अन्य अन्य स्थानों में लिखा-पढ़ी करते रहते हैं और फिर बिना पहिले से चेतावनी दिए ही अचानक उस संस्था को हानि पहुंचा कर चले जाते हैं या अमुक स्थान से शाखादि वस्तुएँ छुपा कर ले जाते हैं, इत्यादि प्रकार के ये परिदृश महाशय किस या किस २ संस्थाओं से परीक्षोत्तीर्ण होकर आए हैं, इनके अध्यापक महाशय कौन कौन हैं ? इसके जानने और उनको हिदायत देने का कष्ट समाज कभी भी नहीं उठाती और न कभी कोई संस्था या संस्थाएँ या उनके अध्यापक व संचालक ही कभी इस का विचार करते हैं, कि हमारे छात्र कहां २ कैसा कार्य कर रहे हैं। हाँ ! यदि कोई आदर्श छात्र कहीं हुआ तो गौरव से उसका नाम ले देंगे, परन्तु यदि अनादर्श हुआ तो कभी यह सोचने का भी कष्ट न करेंगे, कि यह ऐसा क्यों हुआ तथा न ऐसा सुधार योग्य प्रयत्न ही करेंगे कि भविष्य में ऐसा न होने पावे, जब जिम्मेदार समाज, संस्थाएँ और अध्यापकों का ये हाल है, तो छात्र तो छात्र ही हैं, वे क्यों विचारने चलें ?

यद्यपि ये बातें कटुक सी प्रतीत होती होंगी, परन्तु विचार करने पर सत्य प्रतीत होंगी, मैं कतिपय दृष्टान्त नाम और ग्राम निर्देश बिना बतौर नमूना पेश करता हूँ, उन पर से विचार करने का अवसर मिलेगा।

गुजरात के प्रांतिक ग्राम में एक डबल न्यायतीर्थजी एक श्वेता-म्बर साधु को पढ़ाने आए थे, वे एक महीना रहे, परन्तु प्रमेयकमल-मातंगड व अष्टसहस्री तो दूर रही, प्रमेयरत्नमाला भी रही, न्याय



दीपिका भी नहीं पढ़ा सके और एक महीना बाद टिकट कटा कर बैरङ्ग लौट गए। लाकरोड़ा में एक परिदत्त आए थे वे कहते थे, क्यों जी ! कोयला अगर हम अपने देश से रसाई के लिए मँगाएँ तो ठीक होगा न लकड़ी में तो धुवां होता है।

एक कहते रीटी बनाना तो आता नहीं, ये भटयारखाना कौन करे ? कोई बनाने वाली न मिलेगी ( जिनका वेतन मात्र २५) मा-मिक था और घर का टिकट १०) से ऊपर था ) एक महाशय पढ़ते थे, न्यायनीध थे, लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, सो आप एक कन्या पर मोहित होगए और कहन लगे मैं राम हूँ तू सीता है, बम ! बरमाला डाल दो, अपना स्वयम्बर हा जावेगा, ये हसी धुन में पागल बन गए, परन्तु वहाँ के मूजनों ने धर्म का अपवाद होना जान कर इनको बिना शिक्षा दिए ही छोड़ दिया और परिदत्तों से विश्वास उठ जाने से पाठ-शाला भी सदा के लिए बंद गई। एक जगह दो पाठशालाओं के परिदत्तों ने मिल कर मन्दिर की चोरी की, पकड़े गए और एक एक साल को जेल गए, एक परिदत्त एक मठाधोश के यहाँ शिक्ष्य बन कर रहे और उसका व्यवसाय करने को मृत्युञ्जय का जप करने लगे, वह माबधान था, बच गया और वे पागल होगए। एक परिदत्त काव्यनीध जहाँ रहे, वही २ से लोगों के रुपया कर्ज किए और अन्यत्र चल दिए, आज भी उनकी ख़ासी आमदनी है, परन्तु साहूकारों के लिए अंगूठा ही है। एक प्रसिद्ध परिदत्त एक अच्छे स्थान में कार्य कर रहे थे, लोग भी उन से प्रसन्न थे, परन्तु वेतन के अधिक लोभ से इकदम वे यहाँ से चल दिए, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत आघात पहुँचा + एक पंडितजी ने एक प्रसिद्ध शहर के लिए श्रीमहावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर सभापति होना स्वीकार कर लिया और मार्गव्यय के लिए भेजा हुआ मनोआर्डर भी ले लिया, परन्तु वहाँ न पधार कर अन्यत्र

चले गए, जिससे वहाँ की जनता को बहुत धक्का लगा और दिग० जैने-तर समाज में बहुत हँसी व अविश्वास पैदा हो गया इत्यादि ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं, उन सब के कहने की न तो आवश्यकता है और न समय व स्थान ही है, पाठक इतने से ही समझ कर आगामी सुधार का प्रयत्न करें ।

यहाँ मेरा किन्हीं व्यक्तियों से कोई विरोध भाव नहीं है, न मैं उनको पब्लिक में नीचा दिखाना चाहता हूँ, मेरा विचार मात्र सुधार के लिए ही है ।

इसके मित्राय कोई यह न समझ लें, कि मैं पण्डितों का व विद्वानों का विरोधी हूँ या बाबू पार्ष्णी का हूँ, मैं तो पार्टी बन्धी ही बुरी मानता हूँ, पार्ष्णियों तो समाज के अध पतन का हेतु हैं, इसलिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ । मैं प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय पृथु श्री कुन्द-कुन्दादि ऋषियों का चरण सेवक और धर्म तथा समाज के महान् उप-कारक पण्डितप्रवर टोडरमलजी, सदाशुखजी, जयचन्द्रजी, दौलतरामजी भागचन्द्रजी, दानतरायजी, भगवतीदामजी, भूदरदासजी, बुधजनजी, गोपालदामजी, गणेशप्रसादजी आदि विद्वानों का चिर ऋणी हूँ । इसके सिवाय और भी अनेकों विद्वान जो धर्म व समाज का उपकार कर रहे हैं, ऋणी हूँ, कि जिन के प्रसाद से मुझे जिन वाणी के समझने का अपूर्व लाभ मिला व मिल रहा है, मैं तो इनका अपना परम हित मानता हूँ । तब मैंने यहाँ पण्डितों के ही अनादर्श नमूने क्यों रखे, विशेष कर उन्हीं पर लक्ष्य क्यों गया, क्या अंग्रेजी आदि के विद्वान ऐसा नहीं करते ?

उत्तर—करते होंगे व करते हैं, परन्तु वे हमारे धर्म के आदर्श नहीं हैं, धर्म शिक्षक नहीं हैं, उन से धर्म का अपवाद उनना नहीं

होता जितना परिदलों से होता है, क्योंकि ये हमारे धर्म शिक्षक (गुरु) हैं, हमारे बालक बालिकाओं का धर्मात्मा बनाने के ये जिम्मेदार हैं, हम इन पर विश्वास करके अपनी बहिन-बेटियां इनको पढ़ाने के लिए सौंप देते हैं, ये मन्दिरों में धर्म की गद्दी पर बैठ कर उपदेश करते हैं, हम लिए इनके जैसे भाव व आचरण होंगे, वैया ही असर हमारे बेटा, बेटियों, पर पड़ेगा, यदि ये सदाचारी, सत्य-भाषी, दयालु जैन धर्म की गृहस्थोचित क्रियाओं में सावधान, धर्म-बद्धालु, मंद कपायी होंगे तो हमारी समाज का भावी भाग्य उज्ज्वल होगा। अतएव हम को तो इन्हीं की ही टीका करना है, यदि ये सुधर गए—स्वयं आदर्श बन गए, तो उनके सुधरने में देरी न लगेगी, क्योंकि इनकी आत्माओं के पवित्र भाव व पवित्र आचरण उन पर प्रभाव डाल सकेंगे, ये उनको प्रेम से, मधुर वचनों से, युक्ति और आगम प्रमायों से, विज्ञान के बल से, अपने आदर्श चरित्र से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने अनुभव से, धर्माविरुद्ध उपदेश देकर शीघ्र मार्ग में ला सकेंगे।

मैं पुनः कहता हूँ, कि मेरे कहने का कोई विद्वान् समाज या संस्थाएँ कुरा न माने और देखें, कि वर्तमान प्रखाली उनको कितनी हानिकर है।

ध्यान रखिए, सदैव से यही नियम है, कि उच्चादर्श रखने वाला पुरुष वह चाहे कम भी पढ़ा हो, जितना प्रभाव जनता पर डाल सकता है, वह हीनचारी बहुश्रुत भी नहीं डाल सकता। मानलो कोई स्वयं रात्रि भोजन करता है, अंग्रेजी दवाइयां खाता है, होटलों में से लेकर या बाजारू पूरी शाक, रोटी, मिठाइयां, चांठ, वरफ, सोडा, खेमनेड, विस्कुट आदि खाता है, स्टेशनों की चाय, दूध व नलों का पानी और वह भी वगैर क़ना पीता है, मिलों का पिसा आटा खाता है, कुत्सित हँसी,

मज़ाक करता है, न कभी पूजा करता, न तीर्थ यात्रा, न दान ही भक्ति या करुणा भाव से देता है, येन केन प्रकारेण अपने विषय भूंगों में मग्न हैं, अर्थात् जिसने जीवन का आदर्श ही 'यावजीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' अर्थात् Eat drink and be merry बना रक्खा है, वह भले ही बड़ा विद्वान्, अनेक भाषाभाषी, वाक्चतुर, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान् वक्ता हो, बाद में भी न जीता जा सकता है, तो भी क्या वह लोगों को मन्मार्ग में लगा सकता है ?

कुछ वर्ष हुए लाला न्यादगमलजी वजाज, दिल्ली वालों ने राज-गृही में दि० जैन मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी, मुझे उसमें पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहाँ रात्रि को गणेश सभा में सेठ केशरीमल गयावालों ने श्रावक की क्रियाओं के विषय में सूचना की, मैंने तदनुसार क्रियाकोष के आधार वहना प्रारम्भ किया। २० मिनट हुए थे, कि एक परिदल जी जो बहुत आचाल हैं, कहने लगे व्याख्यान सभा होना है, पूर्ण कीजिए, नहीं तो जनता उठ जायगी, मैंने वही संक्षेप से पूर्ण कर दिया, बाद व्याख्यान प्रारम्भ हुआ, पहिले वक्ता आप ही हुए और बावू कैंशन पर खूब अमृत वर्षाया, ये होटलों में खाते हैं, जूता पहिरे खड़े २ खाते हैं, अच्छाभच्य का इनको ध्यान नहीं होता, इत्यादि बड़े जोश के साथ कहा, लोग बहुत प्रसन्न हुए।

रात्रि बीत गई, सबेरा हुआ, परिदल जी नहाकर मन्दिर गए और शीघ्र ही दर्शन करके लौट आए, पूजा स्वाध्याय सामायिक तां बिना पदों का काम है, सो ये क्यों करते। अस्तु ! फाटक के बाहर लगी दुई हज्जवाई की दूकान पर पहुँचे और दही में भीगी दुई पकौड़ी जो पहिले दिन की थी, खरीद कर खड़े २ बंगाली चमड़े की चट्टी पहिने सींक से छेद २ कर रुबि से खारहे थे, इतने में वेही सेठ केशरीमल जी

और मैं दर्शनार्थ जा रहा था, सो पण्डित जी को खाते देखा। मैं तो चुप रहा, परन्तु सेठ साहब ने पण्डित जी की धूल उड़ादी, तब पण्डित जी “हैं हमतो अबती हैं” कह कर पीछा छुड़ा कर चल दिए।

अब सोचो ! इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इन्दौर की नसियां में एक प्रसिद्ध विद्वान् नल की चोटी से बिना छना पानी लेकर कुल्ला कर रहे थे, उनमें एक क्रियावान् श्रावणी ने पूछा, पण्डित जी आप तो विद्वान् हो और नल के पानी से, जिस पर बिना छने से कुल्ला करते हो ? पण्डित जी ने हँसकर उत्तर दे दिया, यह तो फिल्टर होकर आता है, हमसे प्रासुक है। कहिए ! कैसा सुन्दर शिथिलता पोषक उत्तर है। एक जगह महासभा का अधिवेशन था, वहाँ प्रसिद्ध अप्रसिद्ध लगभग ३०-३५ विद्वान् आए थे, रात्रि को मञ्जेक्ट कमंटी थी, सब विद्वान् उपस्थित थे और सभी उठ २ कर पानी पी रहे थे, गर्मी की रात्रि थी, वहाँ भाग्य से कुछ बागीदारा ( बागड़ मेवाड़ ) के कुछ श्रावक हुँषड़ भाई भी आगए और सबको पानी पीते देखकर उनकी बहुत संदेह होगया, क्योंकि उनके नगर में १० वर्ष का बालक भी रात्रि को पानी तक नहीं पीता, वे उन सब में अर्जन होने का संदेह कर बैठे, एक उपदेशक ने मन्दिर में उपदेश किया। रात्रि को अज्ञ खाना, मांस तुल्य और जल पीना रुधिर तुल्य है, कई नर नारियों ने शक्ति प्रमाण त्याग का नियम किया, उपदेशक जी मुकाम पर आए और जिनके यहाँ ठहरे थे, उस से रात्रि ही को दूध और पानी माँगा, घरधनी ने देने से इन्कार कर दिया और कहा, क्या तुम्हारा उपदेश औरों के लिए है? यह 'दिवा तले अँधेरा' या 'परोपदेशो पाण्डित्यं' है। उपदेशकजी बोले, भाई हमको भ्रमण करना पड़ता है, हम से नहीं निभ संकलित इत्यादि। ऐसी दशा में विचारो कि हमारे धर्म व समाज

की उन्नति कैसे हो सकेगी । कतिपय मुनि शूद्र जल त्यागने को बहुत जोर देते हैं, परन्तु पाइप ( नल ) के जल का त्याग नहीं करवाते, उनके कई शिष्य श्रावक, प्रतिमाधारी होकर भी नल का जल लेते हैं ।

तात्पर्य—यह है, कि इस समय हमारी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था बहुत विचित्र हो रही है । हमारी मार्ग को सुधारने की जो संस्थाएँ थीं, उन्हीं में रोग लग गया है । वे संस्थाएँ ये हैं ।

१—संयमी त्यागी वर्ग ( मुख्योपदेशक )

२—विद्वान् सद्गृहस्थ ( अमुख्योपदेशक )

३—उक्त दोनों प्रकार के उपदेशकों को तैयार करने वाली विद्या संस्थाएँ ।

( १ ) संयमी पुरुषों में मुख्य तो पूज्य मुनिराज होते हैं, उन के बाद एल्लक और कुल्लक उत्कृष्ट श्रावक तथा स्त्रियों में आर्यिका एल्लिका तथा कुल्लिका ( ये तीनों बाह्य भेष में समान ही होती हैं ) हैं, सो इनका इस समय होना कठिन है, क्योंकि वर्तमान द्रव्य ( शरीर संहनन शक्ति ) क्षेत्र, काल और भाव ( उपसर्ग तथा परीषह सहन करने की शक्ति तथा चढ़ती हुई वीतराग परिणति ) का विचार करने से तो इनकी चर्चा आगमानुसार हो नहीं सकती, क्योंकि ( १ ) प्रथम तो इनकी शारीरिक शक्ति ही ऐसी नहीं कि जिससे बहुत समय तक ये क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, अयाचनादि, परीषहों को सह सकें, जिसके अभाव से ही साथ में नौकर रखना पड़ता है, घास ( पराल ) और बन्दू मकानों का सहारा लेना पड़ता है । कोई कोई छोटे छोटे कपड़े के तम्बू भी साथ रखते हैं, घास के अभाव में कावाजों का प्रेस का कतरन भी काम में लेते हैं, मिगड़ी आदि से कमरे गरम किए जाते हैं इत्यादि बहुत से ब्राह्मण और व्यय का बचाव १ लङ्गोटी खादर और रजाई से सहज

ही सकता है, जैनागम के अनुसार अल्पारम्भ और अल्प परिग्रह से कार्य निकल जावे, तो श्रेष्ठ है, परन्तु अल्प को त्याग कर बहुत को ग्रहण करना और गृहस्थों पर स्मर्च का भार डालना तथा त्रास पहुँचाना अनुचित है। बहुत जगह घाम नहीं मिलती शान्त, एकान्त, स्वच्छ मकान नहीं होते, ऐसे समय लोगों को बहुत त्रास होता है और भक्ति से या लोकलाज से यह सब करने हैं या उन्हें करना पड़ता है, नौकरों का स्मर्च भी उन्हें देना ही पड़ता है, जब जब जहाँ जहाँ ये उत्कृष्ट संयमी पधारते हैं, तब तब नहीं तहाँ लोगों का काम धन्धा छूट जाता है। उनका बहुत आरम्भ और चिन्ता बढ़ जाती है, वे प्रभु से यही प्रार्थना करते रहते हैं, कि भगवन् ! सकुशल यहाँ से संयमी जनों का बिहार हो जावे तो हमारी लाज रह जावे इत्यादि। इसके सिवाय इन संयमी जनों के आहार निमित्त दूर २ से हरित फल, साक, मेवा आदि पदार्थ मनुष्य भेज भेज कर या पारसकों द्वारा मँगवाया जाता है, खास तौर से मकानों की स्वच्छता कराई जाती है, वर्तमान समय में श्रावक श्राविकाएँ क्रिया के अनुसार शुद्ध खान पान तो करते नहीं और न उनको जैनागम की क्रिया का ज्ञान ही होता है। अतएव उनके ग्राम में जब कोई संयमी जनों ( मुनि आर्यिका, एल्लक चुल्लक या त्यागी ब्रह्मचारी आदि ) का शुभागमन होता है, तब वे इकदम घबराहट में पड़ जाते हैं, अब क्या करना चाहिए, कैसे आहार होगा ? इसलिए परस्पर पूछते हैं और अन्त में जो रायबुझकड़ ( साथ में रहने वाले आदमी या नौकर ) इनके साथ रहते हैं, उनका सहारा लेते हैं। तब वे लोग इनको खूब बनाते हैं, खरा खोटा कहने हैं, क्रोध बताते हैं या उदारधनी गृहस्थ देखा, तो खुशामद भी करते हैं, स्वयं उनके घर जाकर के भोजन की तैयारी कराते हैं, जो भोजन इनको इष्ट हो, वही बनवाते हैं। इस प्रकार कई घरों में तैयारी होती है, फिर ये स्वयं पढ़ाहने खड़े हो जाते हैं।

इस प्रकार आहार हो जाता है, एक दो चार पाँच दिन या चौमासे भर जब तक ये उत्कृष्ट संयमी जिस नगर या ग्राम में रहते हैं, खूब चहल पहल रहती है, इनके शुभागमन के समाचार पहिले से छापों में निकल आते हैं तथा निकलते रहते हैं, इसलिए भक्ति वश दूर २ से नर नारी आते हैं, तब उन सबका प्रबन्ध भी नगर निवासियों को करना ही पड़ता है, इस तरह उनका व्यापार धन्धा एक तरह से बिलकुल ही सूट जाता है। इस प्रकार से इन महापुरुषों के आगमन का लाभ स्थानीय नर नारियों को तो बहुत ही कम मिलता है, आरम्भादिक तथा व्यय बहुत बढ़ जाता है। हम इसको काल का दोष कहें या अज्ञान का प्रभाव कहें? क्या कहें?

कि जहाँ आगमानुसार संयमी जनों के आहार विहार में किसी भी छोटे बड़े प्राणी को कुछ भी त्रास नहीं होता था, न किसी का पाई भी खर्च होता था, न लेश मात्र आरम्भ बढ़ता था, किन्तु इसके विपरीत लोगों को बहुत हर्ष और धर्म लाभ मिलता था, वहाँ आज उपर्युक्त परिस्थित खड़ी होगई है और इस प्रकार से इन उत्तम पुरुषों का धर्मोपदेश प्रथम तो मिलना ही दुर्लभ है और यदि मिलता है, तो बहुत महँगा पड़ता है। इस अवसर में यदि हम संयमी जनों के सम्बन्ध में कुछ दो शब्द कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी, लोग कहते हैं 'संयमी जनों का इसमें क्या दोष? यह प्रवृत्ति व अज्ञान तो गृहस्थों का है, उन्हें मुनि के उद्देश से आरम्भादिक न करना चाहिए, तथा मुनि और श्रावकों की क्रिया चर्या आदि का ज्ञान होना चाहिए, न व्यर्थ व्यय करना चाहिए, न दिन भर काम धन्धा छोड़ना चाहिए, समय पर आहार दान देकर अपना व्यापारादि करना चाहिए और समय समय पर उनका उपदेशादि सुनना चाहिए, वे लोग पहिले तो



उल्टी प्रवृत्ति करते हैं और फिर संयमी जनों को दोष लगाते निन्दा करते हैं, यह कहाँ का न्याय है ?

इसका उत्तर यह है, कि वास्तव में गृहस्थों की भूल है, जो वे ऐसा करते हैं ? उनको ऐसा करके ऊपर उठाए अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, परन्तु वे अज्ञान हैं, संयमी जनों का कर्तव्य है, कि वे उनके अज्ञान का समर्थन न करके उनको सत्य उपदेश दें, मार्ग बतावें और अपनी ओर से कोई ऐसा दोष व कार्य न होने दें, कि जिससे उनकी प्रवृत्ति व अज्ञान को सहारा मिले और वह बढ़े, परन्तु यही हो रहा है, देखिये !

मुनि, गृहस्थ में ही तो मुनि हुए हैं, इसलिए उनको गृहस्थों के व्यवहार का ज्ञान तो होता ही है, मुनि हुए पहिले वे भी गृही समाज के अङ्ग थे, इसलिए समाज के आचार विचारों से भले प्रकार परिचित भी रहे हैं, वे वर्तमान द्रव्य ( अपने शरीर की संहनन शक्ति ) क्षेत्र ( वर्तमान विहार आदि का क्षेत्र ) काल ( वर्तमान की सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्ति ) और भाव ( अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन वीर्यादि गुण तथा करने कणाय जनित भावों की प्रशमता, संवेग, वैराग्य-भाव, धीरज, सहनशक्ति, परीषर्णा और उपमर्गों के आने पर समता क्षमतादि गुणों की स्थिरता आदि भावों का अनुभवपूर्वक प्राप्तज्ञान ) का ज्ञान तो रखते ही हैं, तब तो मुनि आदि संयमी हुए होंगे ।

यदि नहीं रखते अर्थात् वे इन बातों में अनभिज्ञ हैं, तो वे मुनि ही नहीं हो सकते, न एल्लक कुल्लक आर्दिकादि आचक हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस पद का व्रत ग्रहण करता है उसको उस पद तक का अर्थात् उसका और उसके पहिले के पदों का ज्ञान तो होना ही

चाहिए, और आगे का अभ्यास करना चाहिए, जिससे चढ़ते भाव और क्रिया रहे, जो स्वपर कल्याण का हेतु है।

यदि इतना ज्ञान है, तो वे टीका के पात्र होने योग्य आचरण नहीं कर सकते। अर्थात् ( १ ) वे जानते हैं, कि वर्तमान काल में आर्यों को धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, न वे कम से कम अपने अपने घरों के भोजनालयों में ( पाकशाखाओं ) में ही शुद्ध भोजन पाने के अभ्यासी हैं, यदि किसी २ क्षेत्र में कोई २ अपवाद रूप हैं भी, सो बहुत थोड़े ( हजारों में एकादि ) और वह भी पूर्ण शुद्ध व प्रासुकाहारी तो नहीं है, जो कुछ ब्रह्मचारी आदि आर्यक हैं, वे सब ही प्रायः गृहस्थ्यागी हो रहे हैं, स्वयं पर घर जीमने वाले हैं, कदाचित् कोई स्वयं पात्री होंगे, सो उनका समागम सर्व क्षेत्रों में नहीं मिल सकता, जो स्वभाव से शुद्ध बनी हुई, अनुद्विष्ट रसोई मिल सके, यदि त्यागी ब्रह्मचारी के निमित्त की हुई रसोई कही शुद्ध अनुद्विष्ट होवे भी, तो वह एक अमुक घर में, इस लिए वहाँ ही चर्या [ गोचरी ] हो जावेगी, यह एक कठिन ही बात है और हुई भी तो वह भी भोजन पर-निमित्तक है, जो ४६ दोषों में एक है, क्योंकि वह भोजन आर्यक ने अमुक त्यागी के निमित्त ही बनाया है, न कि स्वभाव से अपने लिए, कारण कि उसके स्वयं शुद्ध प्रासुक ज्ञान पान का नियम नहीं है न सर्वत्र उसके चोक में शुद्ध बनना ही है, इस लिए यह भी ठीक नहीं हो सकता।

इसके सिवाय आज कल जिन जगह ये संघर्षी पधारते हैं, वहाँ कई घरों में खाश भोजन की विधि लगाई जाती है और भोजन में अनेकों प्रकार के पदार्थ लड्डू, हलुआ खीर आदि, नाना प्रकार के शाक फल मेवादि तैयार किए जाते हैं, यह भित्त का व्यवहार है, संघर्षी

जानते हैं, कि चौके में रोटी, दाढ़, भात, शाक पूरी के साथ सेव, नाशपाती, अनार, अंगूर, संतरा आदि फल या बादाम, छुहारे, पिस्ता, दाख, काजू आदि मेवा, कभी कोई श्रावक नहीं खाते, इनके खाने का समय पृथक् होता है, तथा प्रत्येक गृहस्थ ये फल मेवादि मिष्टान्नादि नित्य खा भी नहीं सकते, कोई २ श्रीमान् ही भोजन से आगे पीछे खाते हैं, तब इन वस्तुओं का निरंतर प्रत्येक चौके में पाया जाना क्या इस बात को नहीं बताता कि ये खाश तौर पर संयमी जनों के लिए ही किए गए हैं, नया चदोवा, नया स्थान, सिंगड़ी आदि क्या चौके की नवीनता को नहीं बताते ? फिर भी आहार होता ही है । तब यह जानकर उद्दिष्ट आहार लेना नहीं है ? और भी देखिए । जबकि वर्तमान यंत्रों के समय में कूँआ, तालाब, नदी आदि जलाशयों का पानी दिन में घर की हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा तक शहरों में मिलना कठिन होगया है, क्योंकि घरों घर नल लगे हैं और मिलों में आटा पिसने लगा है, दूसरी ओर फैशन, सुकुमारता [ दिखाऊ बड़प्पन ] की भरमार है, रोटी बनाना ही जहाँ दुरवार होगया है, वहाँ पानी भर लाने और आटे पीसने की कौन बला सिर पर लेगा ! और जहां आटे पानी की यह बात है तो श्रावक के घर का विधिपूर्वक बना हुआ घा, मर्याद के अनुसार निकलवाया हुआ शुद्ध दूध, दही आदि पदार्थ, और सो भी बड़े २ दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों में नित्य मनो की तादाद में मिलना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव ही है, जहां एक ल्यागी के रोटी में चुपड़ने का भी ताँला दो तोला कठिनता से मिलता है, वहाँ नित्य मनो घी मिलजाना आश्चर्य ही समझना चाहिए, हाँ ! घी, दूध, आटा, पानी आदि शुद्ध व ताजे पदार्थ ग्रामों में अवश्य ही मिल जाते हैं, परन्तु वहां शाक मेवा फलदि नहीं मिलते, यह कठिनाई है, इसी से संयमी जनों का चौमासा ग्रामों में न होकर शहरों में

ही होता है, और दिनों विहार के समय ग्रामों में १-२ दिन ही रहना पड़ता है, इससे काम चलते रहते हैं, इस लिए भी शाकादि का प्रश्न हल हो जाता है।

जो भी है, तात्पर्य इतना ही है, कि आजकल अनुद्विष्ट आहार तो मिलता ही नहीं है, सब जानते हुए उद्विष्ट आहार लेते हैं, इसके सिवाय कोई २ संयमी ऐसा नियम ले लेते हैं, कि हम दूध, चावल ही लेंगे या मट्ठा [ छाँड़ ] ही लेंगे, या फल ही लेंगे, यदि यह नियम व्रतपरिमित्यान् तप के अनुयायि किया जाय और जिसकी खबर गृहस्थों को न हो, तब तो ठीक है, परन्तु गृहस्थों को संयमी जनों के साथ रहने वाले लोग कह देते हैं, महाराज अमुक २ वस्तु ही लेते हैं, अमुक नहीं लेते, तब गृहस्थ वे ही वस्तुएँ जैसे जहाँ से बन सके लाकर रखते हैं, तब यह भोजन उद्विष्ट नहीं होता क्या ? और संयमी जनों के कहे बिना साथ वाले ही कैसे जान लेते हैं ?

इसके सिवाय जब तक ये संयमी उद्विष्ट त्यागी कुल्लुक एल्लक मुनि आर्थिका आदि उच्च पदों पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, दशमी या नीचे की प्रतिमारूप से चढ़ते परिणामों से आत्महितसाधन के मार्ग में लगे थे, तब इन एक २ का ही मार्गव्यय आदि का भार श्रावकों को उठाना पड़ता था, परन्तु जब से ये उद्विष्ट त्यागी अत्यल्पपरिग्रही ( मात्र कौपीन और खरड वस्त्र या मात्र १ सोला हाथ की साड़ी ) अथवा अपरिग्रही सुनी हो जाते हैं, तब से इनके साथ रहने वाले आदिमियों का भोजनव्यय, मार्गव्यय, वेतनव्यय भी लोगों के सिर पड़ जाता है, क्योंकि इनके साथ विधि बताने वाला तो रहता ही है और भी एक आश्चर्य कि हिरण्य सुवर्ण आदि परिग्रह का त्याग नवमी प्रतिमा में ही जब हो जाता है, तब ग्यारहवीं प्रतिमा या

आर्थिका मुनि का तो कहना ही क्या है ? वे तो कृतकारित्त अनुमोदना से इनके त्यागी हैं ही, परन्तु आज कल इस नियम का पालन मात्र इतना होता है, कि शायद ये द्रव्य को हाथ से नहीं छूने पर हिसाब तो रक्व मरुते हैं, साथ में रहने वाले लोग द्रव्य रखते हैं, जिस से रेल और मोटर आदि का भाड़ा चुकाया जाता है और आवश्यक वस्तुएँ लाई जाती हैं, आर्थिकाएँ, पुरुषक, कुल्लक तो स्वतन्त्रता से रेल और मोटरों में भ्रमण करते ही हैं, किन्तु कोई २ मुनि भी रेलों व मोटरों में बिहार करते हैं, अब विचारना यह है, कि ये परिग्रहत्यागी, जब कि सम्पूर्ण अपने द्रव्य का त्याग कर चुके तो फिर रेल व मोटरों के खर्च को द्रव्य कहाँ से आता है ? आखिर तो यह भार गृहस्थों पर ही पड़ता है, पहिले तो एक का भार था, जब ये कुछ परिग्रही थे और जब त्रिपरिग्रही हुए, तो दो २ तीन २ का भार आपड़ा ।

जब कि विगम्बर जैनाचार्यों ने इन महान् उन्कृष्ट संयमी जनों का मार्ग ऐसा पवित्र, सरल और व्ययरहित बताया था, कि इनके लिये किसी को न कभी पाई का खर्च होता था, न कोई आरम्भ होता था, न किसी के व्यवहार में बाधा ही आती थी, ये महान् तपस्वी परम ऋषि, योगी, पूज्य पुरुष जब कभी आहार निमित्त नगर में पधारते थे, तो भावकों के जो भोजन अपने व अपने कुटुम्बी जनों के अर्थ शुद्ध प्राप्तुक तैयार होता था, उसी में से कुछ भाग उनके द्वारा मन्त्रि-पूर्वक दिया हुआ आहार, याचना, दीनता या प्रमंशा रहित ले लेते थे और फिर वे वापिस नगर बाहर बन, उपबनों में जाकर ध्यान करते थे, यह कैसा उत्तम और सरल मार्ग था ।

परन्तु आज नगरों के महल इनके निवास हो गए, खर्चीले और उद्दिष्ट आहार हो गए, नौकरों, रेल, और मोटर आदि के खर्च बढ़ गए ।

जिनके दर्शन मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता था, आज उनके द्वारा जगह २ कलह का बीजारोपण होता जाता है, जैन, अजैन बनते जाते हैं, जिनके दर्शन से आनन्द आता था और निर्भय होकर प्राणी जहां रक्षा पाते थे, वहां आज उनको देख भय लगता है कि कहीं महाराज नाराज न हो जायं, चले न जायं, जिनके बचनों में अमृत था, आज उन्हीं का रूप धारण करके क्रोधादि कषाय युक्त बचन सुनते हैं।

मुनियों तक की पीछी में पे-सल खुसी रहती है, चटाइयां, घास, साथ चलते हैं, इनके नाम सम्यक् चलती हैं, ये उनके लिये रूपया भिजवाते हैं, उनकी चिंता रखते हैं, कहीं तक कहीं ! यह पवित्र मार्ग आज कितना दूषित हो रहा है ? सो ये संसारी जन और विद्वान्मज स्वयं विचार करें।

बहुत से अज्ञानी भोले प्राणी कह देते हैं, हम गृहस्थों से तो ये अच्छे हैं, उनके दोष देखने का क्या अधिकार है ? हम तो भेष को पूजते हैं वे कुछ भी करें, उसका फल उनको होगा, हमारी तो धर्म भावना है इत्यादि।

यह उनका विश्वास मिथ्या है, स्वपद से विरुद्ध आचरण काने वाला संयमी, असंयमी जनों से भी बुरा है, क्यों कि असंयमी तो सयम मार्ग की इच्छा करता है, उसका मुख ठीक दिशा में है, अपने असंयम को स्वीकार करता है, परन्तु वह नामधारी संयमी तो अधोमुख हुआ विरुद्ध आचरण करता है और आपको सन्मार्गी मानता हुआ लोगों में ख्याति लाभ पूजादि चाहता है, इस लिए वह तो अज्ञान से च्युत है, वह अच्छा हो नहीं सकता। रही गुण-दोष देखने की बात

सो जैन धर्म में परीक्षा प्रधानता को ही श्रेष्ठ बताया है, यदि दोषों का विचार नहीं किया जायगा तो जैसे सच्चे निर्ग्रन्थों के स्थान में हम चरित्रहीन पुरुषों को गुरु मानने लगेंगे, वैसे ही बीतराग के बदले रागी, द्वेषी देवों को भी मानने लगेंगे। एक छोटा छिद्र कभी २ बड़े बाँधों (पालों) को भी फोड़ देता है, जैसे कि हुआ भी है, कि निर्ग्रन्थों का स्थान बहु आरम्भी और परिग्राही भटारकों ने ले लिया, और बीतराग देव के स्थान में भूतादि व्यंतर, दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि पुजवा दिए, धर्म के नाम पर योनि जैसे जघन्य स्थान को पुजवा दिया और न जाने क्या २ करवा दिया। अतएव गुण-दोषों का पूर्ण विचार किये बिना कभी भी गुरु नहीं मानना चाहिए, पूज्य श्री समन्तभद्रादि आचार्य तथा पं० बनारसी दामजी आदि कविवरों की वही परिपाटी चली आई है। रही भेषकी बात सो अज्ञानक दिग्गम्बर मुद्रा युक्त किसी अपरिचित साधू का दर्शन हो और उस समय कोई दोष प्रत्यक्ष न मालूम पड़ता हो तो नमस्कार कर सकता है, परन्तु परिचय में आ जाने और उनके गुण दोषों की चर्चा हो चुकने पर भी जो हठ या लज्जा या भय या कुलाचार से मद्दोष मुनियों को मानता जायगा, वह आगम का बिरोधी अश्रद्धाली होगा, मात्र बाह्य नगनता पूज्य नहीं मानी जा सकती, जब तक अंतरङ्ग से मूर्छा न निकले, कम से कम बाहर में २८ मूल गुण हों और उस पदके अनुसार कर्पायों की मंदता हो, विषयों व विकथाओं से दूर हो, ४१ दोष ३२ अन्तराय रहित शुद्ध प्रासुक और अनुद्विष्ट भोजन लेकर ध्यान स्वाध्याय में मग्न रहता हो, चर्ही संयमी पूज्य हो सकता है, बाह्य नगन तो बालक भी रहने हैं, पशु-पक्षी रहते हैं, मात्र लंगोटी लगाने वाले व एक चादर ओढ़ने वाले भीलादि मनुष्य भी होते हैं, जो नहाते भी नहीं, दाँतन भी नहीं करते इत्यादि, परन्तु क्या वे पूज्य हो सकते हैं? कभी नहीं। रही यह बात वे कुछ भी करें, हमारे भावों का

हमको फल मिलेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि हीनाचारी को पूजना मानना अर्थात् हीनाचार को उत्तेजन देना है. इससे हीनाचार बढ़ेगा ही और शुद्धाचार का लोप हो जावेगा और जैनागम के अनुसार कारित और अनुमोदना होने से पूजकों को पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता ।

इस लिए हमारा कर्तव्य है, कि सब से पहिले संयमी संस्था का सुधार करें. इसके सुधार का उपाय यह है, कि हम वर्तमान मुनि-गणों, आर्यिकाओं तथा एतलक कुल्लका में जो पद लिखे विरक्त चित्त विवेकी तथा शुद्धाचारी हों उनसे निवेदन करदें, कि वे अपने संघ में सुधार करें, जो अपद हों उनको पदाने का यत्न करें, अपद अत्रिवेकी लोगों को दीक्षित न करें, जिनमें किंचित् भी हीनाचार पाया जाय उनको प्रायश्चित्त दें, अनेक बार यत्न करने पर भी जो न अभ्यास करें, और न अपने आचरण सुधारें, उनको संघ बाहर करें, बहिष्कार करें, या दीक्षा छीन लेवें और समाज को सूचना कर दें, कि अमुक मुनि बहिष्कृत किया गया है, या मुनि पद के अयोग्य सिद्ध होने पर मुनि दीक्षा छीन ली गई है, अतएव उसे कोई मुनि आदि न मानें और समाज को भी चाहिए, कि यदि ऐसी यथार्थ आज्ञा, मुनिसङ्घ से हुई हो तो उसका पालन करे और शीघ्रातिशीघ्र हम आज्ञा का प्रचार नगर २ ग्राम २ कर दें, ताकि ऐसे हठी भैया, धूर्त समाज में न पुजने पावें और धर्म का अपवाद होने से रुके ।

यदि मुनि संस्था, इस पर ध्यान न दें तो समाज के विद्वानों और नेताओं को यह काम हाथ में लेना चाहिये और अयोग्य मनुष्यों को ऐसी दीक्षा देने लेने से अटकाना चाहिए, यदि दीक्षा लेने देने वाले न मानें, तो समाज में इसकी घोषणा करके ऐसे दीक्षा लेने और देने वाले दोनों का बहिष्कार करना चाहिये, तथा वर्तमान में जो अयोग्य व्यक्ति हों, उनको भी यदि न सुधरें तो मुनि चिन्ह ( पीछी कर्मडलु आदि )



बलात् छीन कर गृहस्थों के वस्त्र दे देना चाहिए, जिससे साधारण जनता भेष मात्र से धोखे में न पड़े। इसके सिवाय समाज का यह भी कर्तव्य है, कि एक ओर जैसे वह अयोग्य व्यक्तियों को नवीन दीक्षित होने से अटकावें और प्रथम के हुए अयोग्य दीक्षितों को सुधारे तथा न सुधरने पर बहिष्कृत करे या संयमी का भेष छीन लेवे, वैसे ही दूसरी ओर सर्व साधारण जनता में संयमी जनों के सच्चे स्वरूप और उनकी यथार्थ सेवा वैयावृत्त आदि की विधि का ज्ञान करावें, तथा कम से कम प्रत्येक गृहस्थ के घर चौके ( पाकशाला ) में शुद्ध भोजन का प्रचार करें, यदि क्षेत्र काल के कारण सब जगह सभी गृहस्थों को, शुद्ध मर्यादा के अनुसार श्रावक के घर का घी, शुद्ध दूध, पवित्र स्वदेशी शक्कर ( ग्वांड ) का घूरा, सेवा मिष्टान्न व फल शाकादि प्राप्त न हो सकें, तो चिंता नहीं, वे गृहस्थ अपनी रुचि, शक्ति व क्षेत्र कालानुसार प्राप्त ऐसे पदार्थ स्वयं भले ही न त्याग सकें यह तो उनकी इच्छा, परन्तु संयमी जनों के लिए तो पूर्ण शुद्धता का निश्चय होवे तभी उपयोग में लेवे, अन्यथा इन वस्तुओं के बिना, इतनी वस्तुएँ ( कुँए, नदी या बड़े तालाब, जहाँ का पानी पिया जाता है ) ऐसा पानी दुहरे स्वच्छ और गाढ़े छत्रों में छानकर रसोई के काम में लेना, उसी में कुछ पानी गरम या प्रासुक कर रखना जीवानी विधि से उमी जलाशय में पहुँचा देना, वह प्रासुक जल मर्यादा के अन्दर उपयोग में ले लेना, घर की चक्की का आटा दिन के समय का पिसा हुआ ( वह भले गोहूँ का हो या चना, उवार, बाजरा, मक्का आदि किसी भी बिना धुने अनाज का हो ) उसकी रोटी, बाटी, दलिया, धूजी, आदि बनावें, दाल खाँवलों को शोधकर दाल भात या खिचड़ी बनावें, दाल में मसाला मर्याद के अन्दर का पिसा हुआ हो या पीस कर डाल दें, न हो तो बिना मसाले के ही रक्लें, बस ! भोजन शुद्ध होगया, चौके व

पनिहारे पर चन्दोंवा रक्खें, चौके में पवन और प्रकाश बराबर आता हो, संयमी जनों को ७ के बाद ११ बजे से पहिले या दोपहर के बाद ३ मे ५ बजे तक भोजन करा देना या द्वारा प्रेक्षण काना यह काल शुद्धि हुई, अपने भाव संयमी के मर्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप की वृद्धि हाने के हों, यह भाव शुद्धि है ।

भोजन स्नान करके पवित्र अन्नूते कपड़े पहिर कर बनाया जाय और मुनि को नवधा भक्ति पूर्वक तथा अन्य संयमी जनों को उनके पद के अनुसार आदर पूर्वक देना चाहिए ( मुनि के सिवाय और किमी संयमी एल्लक जुल्लक आर्थिकादि की नवधा भक्ति या पूजा प्रदक्षिणा अष्टांग नमस्कार नहीं होता ) इस प्रकार से जब गृहस्थों के घर नित्य शुद्ध सादा भोजन बनने लगेगा तो उद्दिष्ट का दोष निकल जावेगा, खर्च भी कुछ न होगा और सादा भोजन एक बार मिलने से जिह्वा लोलुपी तो ऐसा संयम लेंगे नहीं, सच्चे विरागी ज्ञानी ही इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सो इष्ट ही है । यहाँ मेरा यह आशय नहा है, कि घर में पवित्र घी, दूध, बूरा आदि रहते हुए या पवित्र घृतादि से तैयार किया हुआ मोदकादि ( मिष्टान्न ) संयमी को नहीं देना, यदि गृहस्थ ने स्वयं अपने लिये ऐसा शुद्ध मिष्टान्न बनाया है, या ये पदार्थ उसको सहज प्राप्त हैं, तो संयमी जनों को दें, यदि उनके उसका त्याग न होगा तो ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे ।

नवीन दीक्षा के लिए द्वाश नियम करना चाहिए, कि जब तक वह ( दीक्षाभिलाषी ) कम से कम रत्नकरंडश्रवकाचार सागारधर्मा-मृत, मूलाचार, भगवती धाराधनासार, आत्मानुशासन, पं० दीक्षतराम कृत छः ढाला आदि तथा द्रव्यसंग्रह तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थ कम से कम न पढ़ा हो, तब तक उसे उत्तम श्रावक मुनि आर्थिकादि की दीक्षा

कदापि न दी जाय । ऐसे ही गृह त्यागी होने वाले मध्यम व जघन्य श्रावकों को भी जब तक वे श्रावकाचार, क्लृःढाला, द्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ सूत्र आदि न पढ़े हों, त्यागी होने की आज्ञा न दी जाय । वे घर में रहकर या किसी विद्यालय या आश्रम में रह कर पहिले अभ्यास करें पश्चात् त्यागी बनें ।

आजकल ऐसे २ त्यागी ब्रह्मचारी, एल्लक, लुल्लक और मुनि देखे जाते हैं कि जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है । प्रतिमाओं और मूल-गुणों के नाम तक नहीं जानते, फिर भा पृथ्य पद पर प्रतिष्ठित होजाते हैं । ये दिन भर किस ध्यान में समय बिताते हैं सो ये जानें और सर्वज्ञ जानें । हमको तो इतना ही अनुभव होता है कि इनका समय संसारी गृहस्थों की चर्चा में जाता है और अधिक क्या कहें ? क्योंकि कहा है कि —

“ काव्य शास्त्र के अर्थ में पंडित रहें खुशाल ।

विकथा और प्रमाद में मूर्ख बितवें काल ॥ ”

इसके सिवाय यदि कदाचित् कोई मन्दकषार्थी संयमी कुछ एकांत में अलग बैठकर अभ्यास करता हो, तो दर्शन वाले भक्तजन नहीं करने देते, जय न में भुला देते हैं । इसके नित्राय कोई तो श्रावकों को जनेऊ देने के व्यापार में लगे रहते हैं कोई दशा-बीसा का भगड़ा लिये हैं, कोई गांधी टोपी व खादी के विरोधी हो गहे हैं, कोई बडसाजन, लाहड़साजन के भगड़े में लगे हैं, कोई किसी संस्था के माह में फँस रहे हैं, वहां चन्दा करा २ कर भिजवाते हैं, इत्यादि व्यापारों में मग्न रहते हैं, क्योंकि ज्ञानाभ्यास बिना तत्वचर्चा में तो रम नहीं सकते और दूसरा कार्य नहीं, तब दिन तो किसी प्रकार पूरा करना चाहिये ।

मैंने स्वयं इन उत्तम संयमी जनों के समागम में कुछ समय रह कर देखा तो उल्टी मेरी सामयिक स्वाध्याय में बाधा पड़ने लगी । लोग मबेरे से रात तक घेरे रहते हैं । इसके भिवाय कोई भोजन की बातें करता है, कोई खाच २ कर चौके देखने को लिये २ फिरता है । लाचार हो मुझे यही बिचान आया कि इसमें यही अच्छा है कि किन्हीं विद्वानों के निकट, जो सदाचारी अगुवती हों, रहना अच्छा है । वहां कम से कम भीड़ तो न होगी । शांति से सामायिक स्वाध्याय तो होगा । कुछ पढ़ना हुआ तो पढ़ लिया, सीख लिया और दैवयोग से ऐसा संयोग न बनें तो ग्रामों में रहकर श्रीमत्प्रातःस्मरणीय कुन्दकुन्दादि आचार्यों का ध्यान करना, उनके बचनों को पढना, स्मरण करते रहना, इसी में हित है और ऐसा ही करने के प्रयत्न में रहना है ।

उत्तम संयमी जनों के विषय में कुछ कह कर अब मध्यम व जघन्य संयमी जनों के सम्बन्ध में कुछ कह देना अनुचित न होगा ।

यह तो ऊपर कह चुका हूँ कि जब द्रव्य के त्यागी मुनि, एल्लक, छुल्लक, आर्यिकादि ही रेल मोटरों में अमण करते हैं तो उन से नीचे वाले आचक अमण वरे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? वे जब नगर, देश देखने या तीर्थ यात्रा करने को इच्छा को नहीं राक सकते और धह भी दिनों के बदले मिनटों में, महिनो के बदले दिनों में करना चाहते हैं और अपने तथा अपने साथियों के स्वर्च का मारा मार गृहस्थों पर डालते हैं, तो ये नीचे वाले उनका अनुकरण करने से क्यों वंचित रहें ? ये आठवीं प्रतिमा तक तो स्वयं द्रव्य रक्व सकते हैं, आगे अपने कपि सम्बन्धी या आज्ञाकारी नौकर रक्व लेते हैं और फिर गृहस्थों के माथे लम्बी २ मुसाफिरी ( यात्रा ) करते हैं । प्रत्येक स्थान से लम्बे टिकिट का दाम मांगते हैं, और पूरा या अधूरा

मिल जाने पर फिर पास वाले स्टेशन पर उतर जाते हैं फिर वहां से भी पूरा मांगते हैं, इस प्रकार व्यापार सा बन गया है। पैटल चलने के स्थानों में तो जाते नहीं, क्योंकि वहां सवागी की कठिनाई होनी है, रास्ता खराब, जङ्गली, पहाड़ी, रेतीला, ऊँचा, नीचा इसके सिवाय रुपया नकद चन्दा वहां कम मिलता है। शुद्ध अनाज, घी, दूध के सिवाय फल, गाक, मेवा नहीं मिलता, इसलिये जाते नहीं और उपदेश करना आना नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं, इससे लोगों पर प्रभाव पड़ना नहीं, शहर घूमने की लालसा घटती नहीं, तब और क्या करें ? अधिकतर भोली स्त्री समाज में इनका कार्य बन जाता है। अनेक ऐसे त्यागी हैं जिनको एक तीर्थ की यात्रा अनेकों बार हो चुकी है, फिर भी तीर्थ यात्रा का मोह बना ही रहता है। वहां रहने पर भी यही भावना रहती है, कि कोई भोजन की व्यवस्था कर दें, यहाँ से जाने के खर्च का प्रबन्ध कर दें, तो ठीक हो। वर्मभ्यान के स्थान में उदार दातार यात्रियों का ध्यान विशेष रहता है। अन्य २ जगह अन्य २ दातारों का और वहां जो दे देवे उमका गुणगान करते हैं। त्यागी होकर भी सापेक्ष होने से श्रीमानों की सेवा सुश्रूपा में ही बहुत समय जाता है। लोगों में प्रभाव डालने को कभी २ शक्ति से बाहर उपवासदि करते हैं और गृ स्थों को दबाव डालकर द्रव्य तो लेते ही हैं, परन्तु कहीं २ बलात् अनुचित प्रतिज्ञायें भी दिला देते हैं, जिनको गृहस्थ पालन नहीं कर सकता, सो या तो प्रतिज्ञा तोड़ देता है, या अर्त रौद्र भावों से उषों त्यों निर्बाह करता है। शूद्रजल त्याग और ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में तो स्वाम बातें हैं। मैंने अनेकों गृहस्थों को शूद्रजल त्याग की प्रतिज्ञा भङ्ग करते देखा है, वे कहते हैं, क्या करें लेना पड़ता है, परन्तु हमारा चल नहीं रुका, ब्रह्मचर्य व्रत में भी यही बात है कि घर में तो तरुण स्त्री,

दूसरे या तीसरे लगन की है और उसके पति को ब्रह्मचर्य बिला देने हैं, इससे स्त्री की वषाय न घटने से घर में निरन्तर कलह रहता है। घर नरकवास बन जाता है। ऐसे दृष्टांत हाल मौजूद हैं, कोई तो तोड़ बैठे और कोई कलह में पड़े हैं, कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, एक और कलह का दुख, दूसरे प्रतिज्ञा भङ्ग का डर, ऐसे द्वन्द में पड़े हैं। इसके सिवाय और उपदेश अधिकतर कन्द मूल न्याग, हरी का त्याग, कण्डा ( छाया ) थापने का त्याग, कंडे जलाने और गोबर से लीपने का त्याग आदि अधिक कराते हैं, परन्तु स्याध्याय करने, शास्त्र सुनने, कम से कम एक बार भी एकांत में बैठकर आत्म स्वरूप के बिचार करने तथा अपने दोषों का बिचार करके त्याग करने व सामायिक प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाकर उसका नियम कराने का कष्ट नहीं लेते, या प्रथम ही मिथ्यात्व का स्वरूप बताकर, उसे छुड़ाने का यत्न या सम्यक्सन व उनके सरदार जुआ, मष्टा का त्याग कराने ( जिससे देश पायमाल हो रहा है ) का यत्न व हिंसादि पापों का स्वरूप बताकर देशत्याग ( स्थूलन्याग ) आदि कराने का यत्न करते कम देखे जाते हैं। नहीं कहें तो भी ठीक है। शूद्र जल त्याग के साथ जल के जल का अंग्रजी दवाओं का, मष्टे वर्ग रह का त्याग नहीं कराया जाता। एकभुक्त व उपवास का नियम तो कराने हैं, परन्तु उस दिन ग्रहारम्भ छोड़ कर, धर्मध्यान में ही काल बिताने का नियम भी कराने हैं? रथ त्याग कराते हैं, परन्तु उसके बदले बहुत आरम्भ न बढाने का भी मार्ग बताते हैं? जैसे अमुक दिन घी न खाना, तब क्या खीर, पेडा, कलाकन्द बनाकर खाना? नमक के बूत्ते मिष्टान्न, पक्वान्न बनाना, मीठा ( गुड़, खांड ) के बदले दाम्ब, छुहारे आदि दूँदने फिरना, इसने सहज साध्य भोजन जो कम आरम्भ से होना था छूट कर कठिनाई से होने वाला, बहु-

आरम्भ जनक, बहुत खर्चीला अधिक स्वादिष्ट पुष्ट, गरिष्ट, जो नित्य से भी अधिक खाया जाय, बन गया और इन्द्रिय संयम तथा ऊनोदर का अभिप्राय कुछ भी नहीं सधा । कोई ची छोड़ते हैं, परन्तु बादाम या खोपरे का तेल निकलवाते फिरते हैं, यह क्या है ? मार्ग तो यह है कि नित्य जो रस सहज प्राप्त हों उनमें से अमुक रस नहीं खाना, उसके बिना शेष से काम चला लेना, न कि बदले में अधिक मृत्ययान स्वादिष्ट रस देहना । ऐसे ही कोई अनाज जो सब जगह सहज साध्य है, त्यागकर दूध, मेवा, फल, शाकादि खाने का नियम करते हैं, जिसमें गुहस्थों को बहुत त्रास होता है क्योंकि ये पदार्थ सब जगह नहीं मिलते और बहुत द्रव्य साध्य हैं, अज्ञानी लोग ऐसे त्याग को त्याग मान बैठते हैं । यह महंता बढाने का साधन है । माल न मोज से उठाना और तप त्याग का सहज्व कायम रखना । इसी प्रकार कतिपय त्यागी, ब्रह्मचारी, गुहस्थों से कह कर अमुक २ पदार्थ बनवाते हैं, उनको सादा खराक नहीं रुचता, वे तो । यहाँ तक बत जाते हैं कि सादा भोजन कराने वाले की लोगों के सामने टीका करत हैं, जिसका अरथ यह होता है कि या तो गुहस्थ आगे का त्यागी जनों को भोजन कराने से डर जाते हैं, या इच्छा और शक्ति के विरुद्ध भोजन तो करा देते हैं, परन्तु पीछे पीछे नाना प्रकार की अलङ्कार युक्त टीका करते हैं ।

बहुत से त्यागी समयभी अपनी भक्ति अपने पद से अधिक कराते हैं, जैसे सुल्लक एल्लक आयिकादि नवधा भक्ति कराकर ही आहार लेते हैं, कोई ब्रह्मचारी नमोस्तु कहलाकर अष्टांग नमस्कार कराते हैं । कहीं २ श्रावकगण त्यागियों को बहुत ऊँचा सम्मान करके चढा देते हैं और कहीं २ बात भी नहीं पूछते । फल यह होता है कि 'गेहूँ के साथ धुन भी पिस जाता है' अर्थात् भेषी जनों के कारण,

सबसे त्यागियों के लाभ से भी वञ्चित रह जाते हैं । कहीं २ एक २ त्यागी के भोजन के लिये इतना आरम्भ किया जाता है कि उसकी तैयारी में कई २ आदमी लगते हैं और बहुत समय लगाने हैं, अनेकों पदार्थ तैयार करने हैं और कहीं माश, दाल, भात, रोटी, बिचकी आदि का भी प्रबन्ध नहीं होता ।

और भी एक बात जो आज चल पड़ी है, वह है मुनि आदि उत्कृष्ट मयमियों के केशलोच की, अर्थात् कई दिवस पहिले से ये मयमी जन अपने केशलोच करने की मुलना गृहस्थों को कर देने हैं । तिथि काल और स्थान भी निश्चित कर देने हैं, उमलिये स्थानीय पत्र ये समाचार सर्वत्र पहुँचा देते हैं और भक्त जनता उपस्थित हो जाती है । तब नियत स्थान और तिथि पर ये मयमी उद्यासन पर बैठकर, कोई २ स्वयं अपने हाथ से और कोई २ दूसरों की सहायता से, राख ( भस्मी ) लगाकर केशपादन करते हैं, जनता द्वादशानु-प्रेक्षादि पाठ पढ़ते हैं ऐसी रीति थोड़े समय से प्रारम्भ होगई है, अर्थात् सब से उत्कृष्ट आचरक के जनयोगे एतत्तत्त एकाकालीने व्यावर्, अजमेर बम्बई आदि स्थानों में साधारण जनता के समस्त केश-लोच करना प्रारम्भ किया और उस समय उत्तर प्रान्तों में यह कार्य जनता के सामने पहिले पहिल आया । अतएव हमने इस पृथा का अनुमोदन किया और दानादि करके इनके नाम में अर्घदानय, पाठशालाएं आदि संस्थाएँ भी खोलदी । वय ! उनके बाद होने वाले, मुनि एतत्तत्त, सुकलक आग्निकादि संघर्षी जनों ने इस पृथा को अपना लिया, विद्वानों ने इस पृथा को प्रभावर्तांग का रूप दे दिया और अब यह पृथा तीनों से चल रही है । इसके विरुद्ध बोलने वाले वायु पार्टी के धर्म अष्ट, प्रभावर्तांग के बाधक मुनिजनों के विद्वक आदि अनेक प्रकार के पक्षों में विभूषित (अपमानित



किये जाते हैं। जो हो, परन्तु आज तक किन्हीं संयमी जनों ने या विद्वानों ने पूज्य श्रीकुन्दकुदादि आचार्यों के वाक्य नहीं बनाए, कि अमुक प्रामाणिक सर्व मान्य प्राचीन ऋषियों कृत ग्रन्थों में अमुक २ गायत्र, श्लोक, केशलोच करने की विधि ऐसी ही बताते हैं, कि पहिले से प्रगट करके अथवा सर्व साधारण जनता के समक्ष बैठ करके केशलोच काना, जैसा आज कल हो रहा है, तथा इसे प्रभावर्तांग का लक्षण भी कोई ऋषि कहते हैं तथा आदिनाथपुराण ( जिन-सनाचार्य कृत जो सर्व मान्य हैं ) अथवा हरिवंश, पद्मपुराणादि में कोई दृष्टान्त ऐसे आए हैं ऐसी कथने मिलती है कि अमुक तीर्थंकर के तीर्थ में अमुक २ मुनि आदि संयमी ऐसे ही सर्व साधारण जनता के समक्ष बैठकर केशलोच काने थे आर उससे प्रभावित होकर अनेकों अन्य प्राणी मुनि तथा श्रावक के प्रती का धारण कर लेने थे, अनेक शत्रु, जैनधर्मी बन जाने थे, एक समय मेरे पासएत गणेशप्रसादजी वर्णा महाराज और कुछ दूसरे महगुरुस्थो के सम्मुख एक मुनि महाराज ने कहा था कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते थे, तब ३ पालकी से उतर कर वस्त्रान्धपण के त्याग कर देने थे और बिहो का तमसकर करके स्वयं ही दीक्षित होजाने थे, उस समय उरस्थित देव देविया व नर नारियों के समक्ष ५ मुष्टि केशज्वल करने थे, जिनको दृष्ट कर वेदों में स्वकर और सागर में जेराग करता था, इर्मालिय यह सब के सम्मुख हुआ कि नहीं ? इससे उन्होंने पिङ्ग करना चाहा, कि पटिलक में केशलोच करना विधि पूर्वक ही है, तथा यह भी सिद्ध करना चाहा कि बिना गुरु के भी दीक्षा धारण हो-सकती है, क्योंकि वे स्वयं बिना गुरु के मुनिदीक्षित अपने आप सुकलकभेष ( यह भी स्वयं लिया था ) होकर हो गए थे।

परन्तु जब विद्वद्वय वर्णा जी ने कहा कि वे तीर्थंकर थे, स्वयंभू

थे, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता, वे स्वयं जगद्गुरु होते हैं, इसलिये अपने से बड़े सिद्ध ( शुद्धात्मा ) को आदर्श गुरु मानकर स्वयं दीक्षित होते हैं, परन्तु आगम की आज्ञा अन्य प्राणियों के लिये ऐसी नहीं है, उनको तो उस समय के प्रतिष्ठित पंडित आचार्यों के पाप जाकर ही दीक्षा लेना पड़ती है और आचार्य महाराज सुपात्र देवका उसकी भले प्रकार परीक्षा करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावी का विचार करके उसके आत्महितसिद्धि के अर्थ दीक्षा देने थे, न कि शिष्यों की गणना बढ़ाने के लिये । तथा वह उनका तप—कल्याणक का समय था, इसलिये उस समय केशलोच करना उचित ही था, परन्तु उस समय के पश्चात् अपना लक्षणस्थ अवस्था में उन्होंने अनेकों बार केशलोच किया, किन्तु उसकी मूचना उन्होंने या इन्द्र ने अवधि से जान र कर क्रिया को दी थी और इसी विधि से उनका केशलोच होता रहा इसका भी प्रमाण कहा आपने देवा है ? यदि देखा है तो कृपया बतलाइय, मैं भी उसे पढ़कर अपनी भूल सुधार लूँ इत्यादि ।

परन्तु उत्तर नदारद । बाद में बोले अर्थात् इस समय तो जा कह दिया मैं करूँगा, परन्तु भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, समय होने पर बिना जाहिर किये पकान्न में ही कर दिया करूँगा । यह प्रतिज्ञा वचन रूप ही रही, परन्तु पालन नहीं हुआ । कोई २ मुनियों के केशलोच कराने, उपरिष्ठित केश भेजने, उन्हें विभा तलाशय में से लेपने, पाछी नदी देने, कर्मदण्ड तथा दून तपोन शास्त्र भेंट करने की बोलियाँ भी बाली जाना हैं और उसमें उपरिष्ठित द्रव्य संयमा की आज्ञानुसार असुक संस्था में दिया जाता है । सम्भव है यह भी विधि प्रभावना की बोधक स्वीकार करली गई हो ।

यह जाहिर केशलोच की पृथा लगभग ३० वर्ष से चलती है,

इसके पहिले कभी देखने सुनने में नहीं आई। यद्यपि दक्षिण केनेरा ( कर्णाटक ) प्रांत की ओर प्रायः मुनि होते आये हैं, परन्तु कभी समाचार विहित नहीं हुए कि अमुक मुनि ने अमुक दिन, अमुक नगर में लगभग इतने नर नारियों के समस्त केशलोच बिधा । इसमें स्पष्ट होता है कि बड़ कार्य ( केशलोच ) मुनि आदि सयमीजनो का उनके रत्न गुणों में से एक मूलगुण है, जिसका उनको अन्यान्य मूल गुणों के समान पालन करना चाहिये और जैसे अन्य मूल गुण दिखाकर पालन नहीं किये जाने, उसी प्रकार इसके भी दिव्याने की जरूरत नहीं है। समय आने पर किसी भी एकान्त क्षत्र में, वन उपवन आदि में बिना किसी की सहायता के स्वयं अपन हाथों में समय-साधनार्थ कर लेना चाहिये, केशलोच के हेतु मूलाचार आदि ग्रन्थों में इस प्रकार बताया है, अर्थात्—

केशलोच करने में ( १ ) जीवों की उत्पत्ति नहीं होने पानी, जिसमें समय की रक्षा होती है, यदि उस्तरादि से करे या करावे तो या तो उस्तरादि साथ रखना पड़ेगे, जिसमें परिग्रह बढ जायगा, या किसी से याचना ब दीनता करना पड़ेगी, जो मुनि धर्म के विरुद्ध है। इसलिये [ २ ] अयाचीक वृत्त का पालन होता है [ ३ ] परिग्रह-परिहार व्रत में अपवाद नहीं आता है। [ ४ ] शरीर से रागादि भावों का निराकरण होता है [ ५ ] अकृष्ट तपश्चरणा का पालन होता है, इत्यादि।

अब बिचारना यह है, कि पूर्व अपि मुनियों का मार्ग श्रेष्ठ माना जाय या वर्तमान पद्धति का ? एक बार लेखक ने मुनि अनन्तसागरजी [ जो एकान्त में ही केशलोच करने थे और किसी प्रकार का चन्द्रा किसी संस्था के लिए नहीं कराते थे, न कभी किसी को किसी से

कुछ दिलाते थे । प्रसंग से दान का उपदेशमात्र कभी कर देते थे, जिनका देहावसान इन्दौर में हुआ है] से पूजा कि आपने केशलोच कर लिया, परन्तु श्रावकों को खबर भी नहीं मिली, तो उत्तर मिला कि यह तो हमारा मूल गुण है, जिनका पालन हमको आगम के अनुसार करना कर्तव्य है, इसमें कहने और दिखाने की क्या जरूरत, ऐसे हम कौन २ मूल गुण दिखा २ कर पाएँगे ।

प्रश्न—एकांत में केशलोच करने से यदि कोई ऐसी शक्का करें, कि कुछ दवा का या शस्त्र का प्रयोग कर लिया होगा तो ?

उत्तर—शक्का तो और भी मूलगुणों में कर सकता है । तब ऐसी प्रतीति किस २ की कराते फिरेंगे । इससे सिवाय उसकी शक्का से मुनि को तो कुछ भी हानि होती नहीं, मुनि को तो ख्याति, लाभ, पूजा, सत्कारादि की चाह होती नहीं, इसलिये वह चाहे जो बहे या मानले ।

प्रश्न—और वर्तमान कालीन मुनि आदि संयमा तो सर्व साधारण जनता के समक्ष ही केशलोच करते हैं, तां वे क्यों करते हैं ?

उत्तर—इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका भाव बे ही बना सकते हैं ।

प्रश्न—हमने सुना है, कि इस प्रकार जाहिर केशलोच करने से जित-धर्म की प्रभावना होती है ?

उत्तर—प्रभावना तो मुनिराजों के आगमानुसार उत्तम तत्त्व संयम और उनकी आत्मा के विशुद्ध भावों से दिग् गये तरबोपदेशमे होती है, न कि केशलोच दिखाने से । यदि केशलोच दिखाने से ही प्रभावना होती, तां प्राचीन ऋषि-मुनि भी ऐसा ही करते और आगम ग्रन्थों में इस की विधि तथा दृष्टांत भी मिलते, परन्तु ऐसा नहीं है, हमके सिवाय उप-देशादि गौण होजाते, परन्तु इस क्रिया के देखने से कदाचित् कदाचित् ही

कोई प्रभावित हुआ व होता होगा । हमलिये प्रभावनांगाभिलाषी उदार-  
चरित पुरुषों को चाहिये कि वे अपने तप और संयम की आगमानुसार  
शुद्धि करने हुए, निरंतर तत्त्वज्ञान बढ़ाने रहें, जैसा पुरुषपादस्वामी ने  
कहा है—

‘तद्दृष्ट्यात् तत्परान्प्रच्छेत् तद्विच्छेत् तत्परो भवेत् ।  
येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत् ॥’

अर्थात्—वही(तत्त्वचर्चा) बहें, वही पुरुष, उर्मा की इच्छा वरें, उसीमय  
हो जावे, जिसमें अविद्या-रूढ़ रूप को छोड़ कर विद्या [ ज्ञान ] हो जावे,  
क्योंकि आत्महितैषी मुनिजनों को दा ही कार्य बनाए गए हैं यथा—

ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाभ्यस्यते तथा ।  
तपसो रक्षणं चैव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥

अर्थात्—यदि आत्महित करने की इच्छा है तो सदा ज्ञान ध्यान  
अभ्यसन का अभ्यास करने रहो और तप की रक्षा करने रहो, जिसमें  
आत्मसे मोह व राग द्वेष क्षीण होने जाय और विशुद्धि बढ़ती जाय इसमें  
उयो २ आत्मा विशुद्ध और ज्ञानी होता जायगा, स्यों २ लोगों पर उसके  
उपदेशों का तो प्रभाव पड़ेगा ही, किन्तु उसकी मुद्रा भी प्रभाव डाल  
सकेगी, यह जिनेन्द्रदेव की बीतराग मुद्रा है, इसमें अधिक प्रभावक और  
कोई मुद्रा संसार में नहीं है, यदि यह ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, संयम तप  
संयुक्तहो तो, हमलिये इसको बाह्य कोई आडम्बर (समस्कार) दिखाने  
की जरूरत नहीं है । वास्तव में वही धर्म प्रभावना कर सकता है जिसने  
स्वामा को ज्ञान, ध्यान, तप आदि से प्रभावक(निर्मल) बना लिया हो,  
बाह्य आडम्बर में कदाचित् कोई अज्ञानी मोहित हो सकता है, परन्तु वह  
धर्म तत्त्व के मर्म को पाकर प्रसन्न नहीं होता और तत्त्वज्ञान गर्भित

उपदेश से अच्छे २ विद्वान् प्रभावित होकर जैनधर्ममात्र स्वीकार ही नहीं करते, किन्तु जैन धर्म के मरचे प्रचरक हो जाते हैं, देखो पात्र-केशरी ब्राह्मण १०० शिष्यों सहित पूज्य श्री समंतभद्राचार्यकृत देवागम स्तोत्र का पाठ सुनकर स्याद्वाद में शङ्कित होगये और श्री पार्वनाथ के दर्शन करके उयोही म्याद्वाद का स्वरूप समझे, यो ही सब शिष्यों सहित दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण करली, इसका नाम प्रभावना है अकल्लाचार्य ने बौद्धान्चार्यों से बाद कर २ के जैन धर्म की स्वजा फहराई थी, इसी प्रकार अपने तपस्यम और ज्ञान के प्रभाव से पूर्व ऋषियों ने खूब ही धर्म प्रभावना की थी । इसलिये धर्मप्रभावना का साधन ज्ञान, ध्यान, तप संयम को समझे, केशलोंच धर्म प्रभावना का हेतु नहीं हैं, इत्यादि ।

महाराज के इस उपदेश से सबको बहुत आनन्द हुआ और मनी सन्देहरहित हुए । अब मात्र यहां प्रश्न यह रह जाता है कि वर्तमान पद्धति का जाहिरा केशलोंच यदि आगम अनुसार है तो आज्ञा दिखाना चाहिये, सर्वमान्य ऋषियों के वाक्य, सूत्र, गाथा, श्लोक, मय ग्रन्थ अध्याय और श्लोकसंख्या के प्रगट करना चाहिये । और दृष्टान्त भी पेश करना चाहिये, ताकि बादविवाद मिटकर एकमत होजाय । यदि यह आगम मे प्रमाणित नहीं है, तो इस पद्धति को बदल कर पूर्व रूप में खाना चाहिए, क्योंकि यहां युक्ति का कार्य नहीं है, यह चरणानुयोग का विषय है इसमें आज्ञा ही प्रधान होती है, यदि इसे युक्ति से ऐसा सिद्ध करने की या देश काल का महारा लेकर सुधार की बात की जायगी, तो फिर युक्ति तथा देश काल के आश्रित और भी सुधार होने लगेंगे और तब वह दिग्म्बर मुद्रा ही लुप्त हो जायगी । इसका भी ध्यान रखना चाहिए ।

मेरी राय में उद्दिष्टत्याग संयम स्वीकार करने से पूर्व उसके सम्बन्धवार सुसुष्ठु जनों को ग्राम २ नगर २ फिर कर उपदेश करना चाहिये, जिससे गृहस्थजन भावकधर्म व क्रियाओं को समझने लगे, उनको शुद्ध प्रासुक भोजन-पान की विधि और मर्यादा सिखाना चाहिए, रसोईघर हवादार प्रकाशवान ठीक करवाना चाहिये, पाकशाला, भोजनशाला, पतिभारा आदि स्थानों में चंद्रवा बंधवाना और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहिले २ भोजनपान सामग्री तैयार करने, कूटने, छाँड़ने, पीसने, दबाने, दृष निकालने, तपाने, दही जमाने, घी निकालने, तपाने, पानी गरम करने आदि क्रियाओं की शिक्षा देना चाहिए। स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहिन कर भोजन बनाना और मर्यादा के भीतर यदि अनियम मिले तो उनको जिमाकर अपने परिवार सहित जमी लेना, रात्रि में न खाना, कम से कम घरके चौके में शुद्ध ही बनाना तथा मुनि को नवधा भक्ति पूर्वक और शेष उद्दिष्ट त्यागी संयमी ( भिक्षुओं ) को, अथवा अन्य त्यागी श्रावकों को यथायोग्य बंधनादि साकार पूर्वक भोजन देना सिखाना चाहिये, इस प्रकार पहिले कम से कम सौ-पौन सौ ग्राम-नगरों में इस प्रकार चोत्र तैयार करना चाहिए, तब उद्दिष्ट त्याग प्रत लेना चाहिए और प्रत लिए बाद उम्मी चोत्र में जहाँ श्रावकों की ऐसी सुधरी हुई क्रिया होगई हो, बिहार करते रहना चाहिए और त्यों त्यों परस्पर के संसर्ग से इस तरह चौकों की शुद्धि बढ़ती जाय त्यों त्यों बिहार का चोत्र बढ़ाना चाहिए, सभी उद्दिष्टत्यागियों को ही नहीं, किन्तु परिग्रह त्याग ( नवशी ) प्रतिमा से ही संयमी जनों को सब प्रकार की सवारी का त्याग कर देना चाहिए और अपने पद व शक्ति के अनुसार पैदल ही बिहार करना चाहिये, उनको लम्बी लम्बी यात्राओं को शीघ्र पार करने और बम्बई मुरत, दिल्ली आदि बड़े २ नगरों को

देखने का मोह बिलकुल न रहना चाहिये, मात्र यदि ये नगर उनकी पैदल यात्रा में आजाय तो बहुत शीघ्र उनमें से निकल जाना चाहिये और अपना बहुत समय ग्रामों में ही विहार व स्थिति करके बिनाना चाहिये, क्योंकि वहां का जल-वायु स्वास्थ्यप्रद शुद्ध होता है, भोज्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, क्योंकि वे वहीं पैदा होते हैं और वहां के नर नारी स्वयं अपने हाथ से पानी भरते, कुटते, पीसते, भोजन बनाते, बासन मांजते हैं, इसलिये वहां स्वभाव से शुद्ध प्रामुक् अनुद्दिष्ट भोजन मिल सकता है, यदि कुछ अज्ञानजनित दोष कहीं हैं तो सहज उपदेश से दूर हो सकते हैं, क्योंकि वहां के निवासी संरज प्रकृति के होते हैं, इस लिए उन पर उपदेश का प्रभाव पड़ता है इस के भिन्नाय उनमें सादगी पाई जाती है, उनका रहन सहन सादा, पहिरना होटना सादा, बोलचाल सादा, सुराक सादा, जो देखो जहां देखो, सब सादा ही सादा, वहां बनावट सजावट व फैशन का भूत नहीं मिलता, क्योंकि बनावट तो नगरों ( शहरों ) में तथा कुछ कुछ शहरों के निकटवर्ती ग्रामों में मिलती है। वास्तव में वहाँ ग्रामों में। मोहक कारकों की कमी होने से संयमी जनों के योग्य उत्तमोत्तम क्षेत्र-ग्राम ही हैं। इन ग्रामों के पास प्रायः तीन २ चार २ कोस की दूरी पर होने से विहार में बाधा नहीं आती। स्वाधीनता से ये परिग्रही व्यागो संयमी जब चाहें विहार कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, न राज्य की रुकावट और परिग्रह होने की चिंता, उठे और चल दिए, पहिले से जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न मजूर बोझा होने को चाहिए, न पैस का बन्दो-बस्त कराना है न पौव पुत्रवाना है, न स्वागत कराना है, क्योंकि न तो पास में परिग्रह है न रखना ही है, न मार्ग में लुटने का डर है, यदि सौंफ होगाई, विहार का समय न रहा तो जहां पहुँचे, वहाँ भाद के नीचे, मैदान में, गुफा में शून्य खंडहरों में कहीं भी रात्रि बिताई,



फिर चल दिये । अहहा ! कैसी स्वाधीनता !! कैसी प्रभावक वृत्ति !!! कैसा साम्यभाव ! कैसा धैर्य !! कैसी सहनशीलता !!! धन्य हैं वे महात्मा जो अध्यात्मज्ञानपूर्वक ऐसी निस्पृहचर्या करते हैं, स्वपरप्रभावना का उत्तमोत्तम हेतु हैं ऐसे विहार में सभी छोटे बड़े ग्राम नगर आर्येण, ध्यान के योग्य, वैराग्य के हेतु बन उपवन, पर्वत, जंगल वीथियां, सर सरिता आदि में होकर विहार होगा । वहाँ के निवासी और बटोहियों को इन महात्माओं का उपदेश मिलेगा, जैसा पूर्व काल में होता था और वर्तमान में श्वेताम्बर स्थानक वासी साधुओं तथा कतिपय वैष्णव साधुओं द्वारा अभी भी होता है । वास्तव में यही साधुमार्ग है जो आज भी खुला है और खुला रहेगा । जो निष्परिमह हैं उनके लिये यह मार्ग कभी बन्द हो ही नहीं सकता । चोरों का डर परिग्रही को होता है, परिग्रही पराधीन होता है, उसे साथ चीकी पहग, सवारी नौकर मजूर सब चाहिये, मार्ग सुरक्षित चाहिए, परन्तु परिग्रहरहित महात्माओं का क्या ? जहाँ से चल दिये, वही मार्ग, जहाँ पहुँच गए वही मुकाम, जब पहुँचे वही मुहन, जो शुद्ध पदार्थ सहज प्राप्त होगया वही भोजन उनकी महल म्मशान, काँच-कँचन, शत्रु मित्र, पुजारी अविनयी, सुख दुःख, सब समान हैं, उनकी इन शान्तता का प्रभाव क्रूर बन-पशुओं पर भी पड़ जाता है, वे उन्हें बाधा नहीं पहुँचाते और यदि तीव्र कर्म के उदय से नर, पशु, देव व अचेतनकृत उपसर्ग आभी जावे, या परीपह उपस्थित हो जावें तो पृग वीर योद्धा की भाँति सामना ( सहन ) करना है, उन पर विजय प्राप्त करना है, क्यों कि उसके भेदविज्ञान ( मग्यदर्शन ) के प्रभाव से यह रह निश्चय है, कि यह सब जो हो रहा है, वह जड़ ( पुद्गल ) पर हो रहा है मैं तो इसका देखने जानने वाला हूँ, यदि यह शरीर जायगा, तो दूसरा नया इससे भी अच्छा मिलेगा, इसलिये इसकी चिंता क्या ? जब तक शरीर है

तब तक यह उपाधि है, इसलिये अपने आत्मबल से ऐसा उपाय करूँ, जिससे शरीर फिर न धारण करना पड़े और शरीर का कोरण कर्म भी नष्ट हो जाय, इ-यादि भावना भाता है, संसार शरीर भोगों को अनित्य जान कर आत्म स्वरूप में लीन होता है इस प्रकार बिचार करता हुआ सहन कर लेता है और उपसर्ग करने वाले सुर नर पशु आदि पर भी प्रभाव डाल कर उनको अपना भक्त अर्थात् धर्माभा बना लेता है वे भी इस प्रकार कल्याण के मार्ग में रूग जाते हैं, परन्तु यह बात तत्त्वज्ञानी, सच्चे वैरागियों व तपशिवियों से ही होती है, इसके सिवाय सङ्ग में नवदीक्षित आदि जन भी होने हैं, तो सङ्ग के अन्य साधुजनों के समागम से व उनके प्रभावक उपदेश और चरित्र के बल से निर्बलों में भी यज्ञ व धैर्य आ जाता है और इस प्रकार साधु संस्था चलती है ।

ऐसे परिग्रह रहित महात्माओं को अपने साथ परिग्रही गृहस्थों को ग्रहण न करना चाहिए, क्योंकि उनको साथ रखने में परार्थीनता बहुत आजाती है, उनके अनुसार चलना, मुकाम करना इत्यादि । यदि ये लोग साथ हो भी लें, तो इनकी इच्छानुसार न चलना, अन्यत्र चले जाना, क्योंकि इनके द्वारा होने वाले आरम्भ का दाप जिनके निमित्त ये साथ जाते हैं, उनको लगना है तथा उनके द्वारा किए हुए मार्ग के नैमित्तिक आहार नहीं लेना चाहिए । जब सयमी ऐसा करेंगे, तो गृहस्थ उनका साथ नहीं करेंगे । मार्ग में कुछ दूर तक आवहों के रहने के ग्राम न मिलें तो १-२-३ दिन आहार न करें या ऐसे क्षेत्रों में विहार ही न करें, कि जिय में ऐसी लम्बी यात्रा नय करना पड़े और श्रावकों को चौंके खे लेकर साथ चलना पड़े, मार्ग में जङ्गल में मात्र वही आहार ग्रहण किया जा सका है, जो अचानक शुद्ध मिल जाय, कोई गृहस्थ कहीं आने जानें हों और उन्होंने किसी मुकाम पर

अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार किया हो, वहां अचानक मुनिजन विहार करते निकलें और योग्य विधि मिल जावे तो ले सकते हैं, परन्तु जो स्वामि हमी उद्देश से माथ हो लिए हों, उन के द्वारा तैयार किया गया भोजन तो उद्विष्ट ही होता है, ये लेने हैं तो वे माथ आते हैं। यदि वही आज कल इनना बन्न वीर्य कहों है जो कई दिन आहार बिना चल सकें और तीर्थयात्रा करना हो या अमुक समय अमुक मुकाम पर धर्म के उत्पन्न में स्थित होना हो तो ऐसा करना पड़ता है। तो उत्तर यह है कि—

ऐसे त्यागी जनों को ऐसे उत्पत्तों में अमुक समय पहुंचना ही चाहिए और उनको किसी प्रकार तीर्थ यात्रा करना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है, ये बातें गृहस्थों को आवश्यक हैं, मुख्य भी हैं, परन्तु ऐसे महात्माओं को तो यदि विहार करते हुए सहजरीत्या उन उत्पत्तियों में पहुंचने का अवसर मिल गया, तो जहां तक उनके ध्यान, अभ्यास व समय में विधान न पहुँचे तो क्वचित् कदाचित् अल्प समय मात्र पहुँच जाते हैं, अन्यथा बहुजन समुदाय में ध्यानादि में बाधा समझ कर नहीं जाते, इन बातों का अनुभव उन संन्यासी जनों को तथा उन विवेकी सद्गृहस्थों को है ही, कि जिन-होंने सम्प्रदायस्वर जी की वह यात्रा की है, जब कि सहजति सेठ धर्मालालजी पूनमचन्द्रजी ने सङ्ग निकाला व उत्पन्न कराया था और भी अनेक मेलों ठेकों में भी यही व्यवस्था होती है और संन्यासी जनों को आठमियों के घेर के बीच चलना पड़ता है, सब और कालाहल होता है, ज्ञानि का नामोनिशान भी नहीं पाया जाता, ऐसे समुदाय में भला वंशगा, निरपरिग्रह त्यागी महात्मा किस हेतु जावेंगे ? उनको पहिले अपना हित करना है, पश्चात् आधुनिक हित भले ही किसी का हो चाहे, कहा है —

“उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यान्मोहचिन्ता च मध्यमा ।  
अधमा कामचिन्ता स्यात् परचिन्ताऽवमाधमा ॥”

अर्थात्—उत्तम चिन्ता अपने आत्मा के सुधार की अर्थात् स्वान्मा से मोह राग द्वेष भावों को हटाना और बाह्य निर्दोष संयम तप पालना, मध्यम चिन्ता संसारी प्राणियों के सुधार की है, क्योंकि उल में मोह है। अधम चिन्ता स्वविषय पोषण करने की और नीचानि नीच पर के विगाड़ने की है। इसलिए ये संयमी महात्मा पहिले स्वात्म-सुधार की चिन्ता करते हैं, उसी के यत्न में रहते हैं और क्रम से ग्रामों-ग्राम विहार होनेसे लोक हित भी उनके उपदेश द्वारा होता रहता है तथा बड़े बड़े मेलों में तो बहुत ही थोड़े लोग उपदेश का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उन विचारों को तो परस्पर मिलने जुलने परिग्रह मरहाजने भोजन बनाने स्थाने मिलाने, दर्शन पूजन और अनेक उपस्थित दृश्यों के देखने से अवधारणा ही कहाँ, बहुत दृष्टा तो भाग्य से किसी संयमी के दूर से दर्शन कर लेते नमस्कार कर लेते हैं, इत्यादि।

रही तीर्थयात्रा की बात तो उसकी मुहत्त नहीं, तीर्थ तो जहाँ के वहाँ कियम है जब भी पहुँचेंगे, वन्दना कर लेंगे, (२) यदि कदाचित् पहुँचने के पहिले ही कहीं आयु पूर्ण होगई, तो भी चिन्ता नहीं, तीर्थ की भावना थी, यत्न भी चालू था, इसलिए उसमें होने वाला फल तो हाँ ही जायगा, (३) ऐसे पुरुष विरक्त महा-मात्तों का तीर्थ तो उनके ही पास है, वे उसे छोड़ कर तप संयमादि का ध्यान करके ऐसे उतानले इन बाह्य तीर्थों के लिए नहीं होते, ऐसी तीर्थ अर्थात् तीर्थ तो गृहस्थों को ही दृष्टा करना है और इसलिए उनके बंधे साधन भी हैं, जो अमुक मुहत्त में ही स्वेच्छा पूर्ण कर सकते हैं तथा उनके ऐसे उच्च धन भी नहीं होता। अतएव उनको ऐसा करना ठीक

ही है, त्यागियों को नहीं और यदि ऐसी ऐसी आकांक्षाएँ नहीं छुटीं, तो पहिले गृहस्थी में रह कर परिग्रह रखते हुए स्वावलम्बनपूर्वक उन्हें ये आकांक्षाएँ मिटा लेना चाहिए, पक्षत् परिग्रहत्यागी बनना चाहिए ।

तात्पर्य—ऐसे त्यागियों को मात्र भोजन पान और स्वपद के योग्य आवश्यक वस्त्र ( मोटे स्वहर के हों ) तथा पीछा कमगडलु शास्त्र यदि आवश्यक हों, तो बिना याचना के भक्ति व आदर पूर्वक गृहस्थों द्वारा दिए जाने पर ग्रहण करना और जोरों उपकार, स्वाध्याय किये हुए ( पठित ) शास्त्र व जोरों वस्त्र नहीं छुड़ देना चाहिए । इसके सिवाय उनके निमित्त गृहस्थों को कोई व्यय न करना पड़े न चिन्ता में पड़ना पड़े, इस प्रकार अपना चर्या करना चाहिए । ऐसे त्यागी जनों को पहिले ही आकांक्षाएँ मिटा लेना चाहिए और घर में साधन रहते हुए त्याग वृत्ति का, संयम तप का, तत्त्व ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे शक्ति बढ जावे और त्याग मार्ग में पहुँच कर फिर पीछे लौंचे की ओर न देखना पड़े । उत्तराचर आगे ही बढते जाय । उपवास, प्रकाशन रथपरिभ्यास, व्रतपरिभूम्यान, कायकुंश, उनोदर आदि के अभ्यासी त्यागी ही आगे बढ सकते हैं इमरण रहे —

त्यागवृत्ति किसी संसारिक दुःखों से होनी ही नहीं वह तो हृष्याओं के निरोध से हो जाती है और त्याग हो जाने पर भोजनादि पराधीन हो जाते हैं, रहस्य कराने का इन त्यागी जनों को अधिकार नहीं और गृहस्थ अपनी रुचि व बुद्धि अनुसार भोजन पान शुद्ध बना कर कराना है, सो कभी अनुकूल पडता है, कभी प्रतिकूल पडता है कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी प्रारम्भ में ही अन्तराय हो जाने से उनोदर हो जाता है, कभी कई दिनों तक या तो योग्य विधि नहीं बनती या लगानार अन्तराय आता रहता है—ऐसी

पराधीन दशा में कितना धैर्य, कितनी शान्ति, कितनी समता, कितनी क्षमा, कितना वैराग्य, कितना विवेक, कितना ब्रह्म, चाहिए? सो न्याय करने से पहिले ही स्वद्रव्य ( शारीरिक शक्ति ) स्वक्षेत्र ( बिहार का क्षेत्र ) स्वकाल ( अपनी शेष आयु का उतार चढ़ाव ) और स्वभाव ( अपने समता क्षमता धैर्यादिगुण ) का विचार करके ही न्याय करना, अन्यथा भायना भाते हुए अभ्यास करते रहना चादिये क्योंकि कर्म बन्ध या संवर निर्जरा, मात्र बाह्यन्याय से ही नहीं हो जाती किन्तु बाह्य के साथ अन्तरंग की शुद्धि ही से होती है।

इसमें कोई २ सज्जन यों कहेंगे, कि ऐसा विचारता रहे, तब तो कोई न्यायी समयी हो ही न सकेगा, और न होने से मार्ग विच्छेद हो जायगा, तो उत्तर यह है कि ( १ ) समय मार्ग विच्छेद होने या न होने की गर्ज से नहीं धारण किया जाता, वह तो मुमुक्षु प्राणी अपने आत्मा के हित के लिए ही करता है, न कि मार्ग विच्छेद के भय से और यदि कोई अज्ञानी ( अविवेकी ) जीव केवल मार्गप्रभावनाथ ही ऐसा करता है, तो वह भारी भूल करता है, क्योंकि आत्मशुद्धि के बिना मार्गप्रभावना व संयमीपरम्परा नहीं चल सकती ? और २ ऐसे दिखाऊ या दृपित संयम की चर्चा लिख जाती है, संयमी जनों पर से आस्था उठ जाने से उनके प्रति निरादर का भाव पैदा हो जाता है, फूटे भैया के बदले मरुतों का और गी उपेक्षा हो जाती है संयम की ओर से भी लोगों का चित्त विचलित हो जाता है, और तब मार्ग बन्द हो जाता है, इसका पक्का दृष्टान्त भटारकों की गहियों का है, कि जब इन भटारकों को गृहस्थों के समान अपने वंश परम्परा चलाने का मोह बढ गया, तो इन्होंने गृहस्थों के बच्चे ; उनके मां बाप को कुछ द्रव्य देकर ) स्वरीक्षा प्रारम्भ का दिये और उनको बड़े ब्राह्मण पार से

गृहस्थां से भी अधिक सुन्दर २ बहुमुख्य तन्त्राभूषण पहिराने, बढिया २ पुष्ट मांस खिलाने, और बिना पढ़ाए ही पंडित पद से भूषित करने लगे, उनको यदि अपने गणगच्छ के लोगों या दि० जैन भाइयों से अधिकाधिक कर बसूल करना व भेंट लेना, तथा कुछ शुद्धाशुद्ध मंत्र पाठादि बोलकर कर पूजा पाठ करा देना आगया, तो पीढ़ी चढ़ने की स्तानी होगई, बस ! उनको अपना पद धीप कर आप परलोकवासी बन गए । इस प्रकार बिना ज्ञान वैराग्य और चरित्र के ही यह परम्परा कुछ काल खली इनके ज्ञान को इन्होंने किले भी बांधे, फौज भी रखी, अधीन लोगों को अज्ञानी रखना शुरू कर दिया, उन का शास्त्र पढ़ने का अधिकार छीन लिया, शास्त्र भी छीन लिए, हर एक कार्य में इन का कर लगने लगा, शास्त्र ये सुनाने लगे, पूजा भी ये ही कराने लगे, इनके मुखारविन्द से निकले शब्द ही शास्त्र होगा, लोगों को कह दिया, शास्त्रों का तुम क्या करोगे ? कोई लूट ले जायगा, जला देगा, लान्धो मुश्किल रखेंगे, और सुनना हो हमारे मुकाम पर आना या हमको बुलाना, इत्यादि, परन्तु समय बदला, ज्ञान का पुनः विकास हुआ, शास्त्र छूटने लगे, उपदेशक प्रचार करने लगे, फल यह हुआ, कि इन अहमन्य स्वार्थी पुरुषों (भटारक) का अ-ज्ञा रूप दीप्त गया, लोगों में मान्यता कम होने लगी, और धीरे २ इनकी गार्हया उठा दी गई, अब कोई कहीं ई भी तो दिन पूरे कर नहीं हैं, वर्तमान गार्दीपतियों के बाद नाम भी न रहेगा । इसी प्रकार मुनि स्वामी त्यागी भावकों की परम्परा अयोग्य और अशक्त व्यक्तियों से नहीं चञ्च सकती, इस लिए योग्य शक्तिशाली, ज्ञानी, विवेकी, बिरागी पुरुषोत्तमों को ही इस मार्ग में आना चाहिए, और शिल्परम्परा का मोह न करके योग्य पुरुषों को ही स्वीकार करना चाहिए जिससे निरपवाद मार्ग खले ।

यहाँ तक परिग्रहत्यागी महात्माओं को लक्ष्य करके ही कुछ

लिखा है अब परिग्रह ( धनादि ) रखने वाले त्यागी ब्रती श्रावकों के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना उचित समझता हूँ ।

जो शक्तिहीन किन्तु सुसुष्ठु प्राणी उपसर्ग व लुधादिपरीषह सहने को असमर्थ हैं, पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते और यात्रादि का मोह भी लगा है, तथापि संयम मार्ग में बैठकर अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए दो ही मार्ग हैं कि या तो वे घर में रह कर शुद्ध भोजन पान करें, त्रिकाल सामायिक करें, प्रोषघ्राटि करें, पंचपापों का परिहार करके अणु ब्रती का निरतिचार पालन करें, अचित्त वस्तु खाने पीने का त्याग करें, दिवामधुन तथा रात्रिभोजन का कृत कारित और अनुमोदना से नयकोटि शुद्ध करके त्याग करें, ब्रह्मचर्य व्रत श्रवण्ड पालें, व्यापार धंधे को छोड़ें । तानपर्य-प्रथम से अष्टम प्रतिमा तक का व्रत घर में रह कर अपनी शक्ति अनुसार क्रम से पालन करें और अपनी अधिक स्थिति के अनुसार तीर्थयात्रादि करें, परन्तु उधार लेकर या किसी से मांग कर यात्रा करना उचित नहीं है, पास में द्रव्य हो, तो सवारी में; न हो तो पैदल करें, यदि कोई याचना किए बिना इशारे के स्वयं उस ब्रती की स्थिति को जान कर कुछ सहायता कर दें, तो श्रावश्यकतानुसार स्वीकार कर लें, इसी प्रकार यदि कोई भोजन करावे तो निम्नकोच होकर कर लें, परन्तु इच्छाविरुद्ध रूखा सूखा मरम नीरस कैसा भी हो, परन्तु शुद्ध हो, तो उसकी टीका न करे, न अन्य प्रकार से उसे जनावे कि "ब्रती जनों को मरम भोजन देना चाहिये, रूखा सूखा नहीं" क्योंकि गृहस्थ जान कर किसी ब्रती संयमी को रूखासूखा ( चाहे वह स्वयं या उसके प्यारे पुत्रादि कुटुम्बी ऐसा ही द्रव्याभाव आदि कारणों से खाते हों, तो भी ) नहीं देना चाहता परन्तु जब शुद्ध पदार्थ उसके प्राप्त नहीं होता, तो वह उसके अभाव



मैं भी भक्ति से प्रेरित हुआ ऐसा करना है, उसका निरादर व अपकीर्ण करना, या अपनी बुराई प्रगट करना घोर पाप व अन्याय है, उसकी प्रेमभक्ति की सराहना करने हुए, इस अपूर्व साहस का आदर करना चाहिए, उसे हम निर्भीकता में दृढ़ करना चाहिये, इस प्रकार धर रह कर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिये ।

परन्तु यदि अनेक कारणों से धर में रह कर वह इतना भी धर्म-साधन व धन का अभ्यास नहीं कर सकता तो उनको कम से कम इतना द्रव्य कि जिससे उसके जीवनपर्यन्त कोई न गीन कमाई किये बिना सारा भोजन और वस्त्र का काम चलता रहेगा, किसी योग्य साहूकारी पीढी से बिना क्याजु जमा करा दे और क्रमशः अपने स्वर्ण का जेता रहे, मृत्यु के पश्चात् किसी विश्वासस्थादि में शेष द्रव्य को जगा देने का विल कर देवे, स्मरण रहे कि यह द्रव्य परिग्रहप्रमाण-व्रत ( २ रो प्रतिमा ) के प्रमाण से अधिक न हो, कम हो सकता है, तथा इसमें से स्वर्चते हुए कम हो जाने पर क्रिया के द्वारा दिण जाने पर भी न लेवे, अमानव द्रव्य के प्रमाण को पूरा करने की चेष्टा न करे, नहीं तो यह व्यापार हो जायगा, कदाचित् देवयोग से यह द्रव्य मित-व्यय करते हुए भी निःशेष हो जावे, या सारा जावे, लुट जावे, तो परिग्रहभ्याग ( नवमी ) प्रतिमा धारण करे, यह व्यवस्था आठमी प्रतिमा के लिये है, यदि इतनी शक्ति व मन्द कपाय न हो, तो आठमी प्रतिमा न धारण करे, सातवां रखवे, और अपने सादे भोजन व यात्रादि के लिए अरु निरवय व्यापार, जिसमें अनुभवों में दाँष भी न लगे, अपने परिग्रहप्रमाण के अनुसार कुछ कर लिया करे, परन्तु सामाजिकादि नीचे की प्रतिमाओं की बराबर पालना रहे । इसी प्रकार नीचे की प्रतिमाओं में भी समझता चाहिये, आठ व गृहस्थों के भरोसे

अभी गृहत्यागी न बनना चाहिए, किन्तु स्वाबल्लेखन पूर्वक ही गृहत्यागी ब्रती बनना चाहिए, ऐसे सखे निल्लोभी निपपेह त्यागी ब्रह्मचारियों को कोई उदार सद्गृहस्थ, ऐसा समझ कर कि द्रव्य की चिन्ता से इनके धर्म ध्यान में वृद्धि नहीं हो सकती न तीर्थ यात्रा भी हों सकती है, इसलिए वह भोजन वस्त्र व मार्ग व्यय को उचित सहायता कर देवे, परन्तु न तो स्वयं दीनता व याँचना करना पड़े, न किसी से इशारा कराना पड़े, तब ही स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर निश्चिन्त होकर धर्म साधन करना चाहिए, ताकि दातार को पात्र में चरित्रादि गुणों की वृद्धि देख कर व अपने द्रव्य का सदुपयोग हुआ जानकर हर्ष हो, और धर्मात्माओं की सहायता के भाव बढें तथा अपना धर्म साधन निराकुलित होने से आगे बढ़ने और आत्मा हित करने में दृढ़ता हो, अपना कल्याण हो, कल्याण मार्ग की वृद्धि हो। तात्पर्य त्यागी संयमीक्षणों का यह गृहस्थ श्रावकों से बड़ा है, सो यदि त्यागी संयमी पुरुष गृहस्थों के पास याँचना करने लगें, तो उन में क्षीनता आ जावेगी, इच्छित वस्तु मिल जाने पर दातार की प्रशंसा और न मिलने पर स्वयमेव निंदा का भाव उत्पन्न हो जावेगा, सदैव प्रत्येक पदार्थ के लिए पराधीनता का अनुभव करना पड़ेगा, धर्म ध्यान के स्थान में आर्त रौद्र ध्यान होने लगेंगे, इसलिए त्यागी ब्रती होने वाले व्यक्तियों को अपनी इच्छाएं बिल्कुल ही घटा लेना चाहिए और अपने आत्म बल पर ही त्याग वृत्ति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि माँगना बहुत ही नीच कृत्य है। कहा है—‘कर पर कर निश दिन करो कर तल कर न करेय । जादिन कर तल कर करो तादिन मरण गिनेय।’ अर्थात् कभी भी माँगना नहीं चाहिए।

मौन से भोजन करना चाहिए, यह शास्त्राज्ञा है, इसलिए सभी मुनि त्यागी ब्रती श्रावक मौन से ही जीमते हैं, अर्थात् जीमते समय

मुख से स्पष्ट बाणी नहीं बोलते, परन्तु हूं ! हूं !! हां ! हां !! आदि अस्पष्ट अनक्षरी बाणी तो बोलते हैं, जिससे उनके अन्तर्ज्ञ कषाय का भाव प्रगट होता है। नेत्र भी लाल २ दिखाते हैं, जिवमे परोसने वाला घबड़ा जाता है। हाथ के इशारे से, आंख के इशारे से, खान खुकार से, हुंकार से, आवश्यक वस्तुएं मांगते हैं। यदि परोसने वाला न समझा तो क्रोध करने है और भोजन के पश्चात् तो क्रोध का बादल ही फट पड़ता है। क्या इस प्रकार के मौन को मौन कह सकने हैं ? क्या ऋषियों ने इसको इसी प्रकार से करना बताया है ? कभी नहीं। यह ऋषि बच्चनों ( मौन ) का दुरुपयोग करना है। इसलिये प्रथम मौन का अभिप्राय समझना चाहिये, पश्चात् हो सके तो मौन में जीमने का नियम करना चाहिये, मुनिगु ! मौन में जीमने का अभिप्राय जिज्ञा इन्द्रो के विषय को समझना से जीमना है अर्थात् भोजन प्रारम्भ कर देने पर यदि भोजन में अमुक वस्तु की—जैसे नमक, मिर्च आदि मसाला, बुरा, घी आदि रस, दाल, भात, रोटी, पूरी, लड्डू, कचौरी आदि स्वाद्य पदार्थों में से अमुक २ की आवश्यकता है, परोसने वाला भूल गया या भोजन में अमुक रस मसाला पड़ा है, नहीं पड़ा है या कम ज्यादा पड़ा है, तो भी शांति पूर्वक थाली में घान हुए पदार्थ या हाथ पर आये हुए ग्राम को, यदि वह शुद्ध ग्राम है, तो स्वाद का विचार न करके जीम लेना चाहिये और फिर मन में कल्पना भी न रखना चाहिये न बाद भोजन के किपी से कहना ही चाहिये, कि आज भोजन में अमुक वस्तु नहीं थी मुझे रोटी खेनी थी, परन्तु भात परोस दिया। परोसने वाला अज्ञानी है, कुछ समझता हा नहीं है, इत्यादि, यही मौन का अभिप्राय है, इसलिये यदि इतनी चमत्ता और जिज्ञा इन्द्रिय पर बरा न हो, तो मौन से जीमना स्व-पर दोनों के लिये हानिकारक है।

इसी प्रकार मौन के समान अन्तराय पाजने व व्रतपरिसंख्यान तप का भी दुरुपयोग किया जाता है। श्रावकों व सुनियों को अपनी र योग्यतानुसार अन्तराय टाल कर भोजन कर लेना चाहिये, अर्थात् भोजन करते हुए कोई अन्तराय का निमित्त बन जाय—जैसे हिंसक शब्द सुनना, मद्य, मांस, मत्तादि देखना या भोजन में कोई मृतक त्रय कलेवा या नख के आदि का मिल जाना या किन्हीं जीवों का अचानक गिर कर मर जाना या त्यागो हुए पदार्थ का भूल से मुख में पहुँच जाना इत्यादि देखने, सुनने व स्पर्श करने के जो र भी कारण अन्तराय होने के बन जाय तो बिना संकलेशना के मुख शुद्ध करके भोजन त्याग देना चाहिये, परन्तु बहुत से व्रती इसमें भी पीछे बहुत कपाय भाव प्रगट करते हैं, जो सार्था अनुचित हैं। कोई र तो धाली बगैरह बजाकर जीमते हैं, तो क कुछ सुन न पड़े और अन्तराय न आवे। यह पृथा भटारकों की चलाई हुई है। वे ऐसा ही करते थे और उनसे गुहम्योंने भी सीखली है। इसलिये ऐसी क्युक्तियों से अन्तराय बचाना या अन्तराय होजाने पर क्रोध करना बहुत बुरा है। जिनमें भूख सहने की शक्ति नहीं है, उनका अन्तराय पालना व्यर्थ है।

कतिपय सुनि (पुनलर, कुलर, आर्यिकाण) व्रतपरिसंख्यान तप का आडम्बर करते हैं। वे भोजन के समय अनेक स्थानों में जाते हैं और जिनके यहाँ आहार नहीं होता, उनके या अन्य लोगों के पूछने पर कह देते हैं, आज हमारे उड़द की दाल का नियम था कि भोजन में उड़द की दाल होगी तो लेंगे, वह तुम्हारे यहाँ नहीं थी, या यह नियम किया था, कि सौभाग्यवती स्त्री, पीत वस्त्र पहन कर पङ्गाहेगी या पङ्गाहने वाले के दरवाजे पर गाय बंी होगी, तो आहार लूंगा, इत्यादि कह दिया करते हैं, इससे लोग आहार देने के लिये नाना

प्रकार के आडम्बर रचने लगते हैं। यहाँ तक कि श्री जी के ऊपर बंधे हुए चंद्र, चमर आदि तक छोड़ कर ले जाते हैं। कोई गँठजोषा करके खड़ा होता है, कोई कुल्ल, कोई कुल्ल, नाना र्वांग बनाते हैं। भोजन में अनेक प्रकार की दालें, शाक, चटनी, मिष्ठान्न, पक्वान्न बनने लगते हैं। यह अतपरिमख्यान क्या, आपत्तिमंख्यान बन जाता है। वास्तव में बात तो यह थी, कि पेशी विचित्र प्रतिज्ञाएं संयमी जन अपनी शक्ति की परीक्षा और तप की वृद्धि आदि के हेतु करते थे और योग मिल जाने पर आहार कर लेते तथा न मिलने पर अन्तराय कर्म का उदय समझकर मौन पूर्वक ही लौट जाते थे तथा कभी भी किसी को आगे या पीछे अपनी प्रतिज्ञा प्रगट नहीं करते थे, क्योंकि प्रगट करने में गृहस्थ जन मोहग्रस्त आडम्बर बटाने लगते हैं, जिसका वांछ वर्ता की लगता है। इसलिये अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य, चंद्र, काल भाग का विचार करके ही प्रतिज्ञा मन में कर लेना चाहिये और सहज योग मिल जावे तो आहार ले लेना चाहिये। न बने तो समता रखना चाहिए। किस्मि के आग्रह पूर्वक पृच्छने पर भी कभी प्रगट न करना चाहिये।

यहाँ तक त्यागी, संयमी, ब्रती जनों की वर्तमान परिस्थिति और उनके वास्तविक कर्तव्यों का संक्षेप से वर्णन किया। अब इस परमोपयोगी संस्था के प्रति गृहस्थों का क्या कर्तव्य है—यह कुछ बताने हैं।

त्यागी संयमी जनों के संयम की रक्षा और वृद्धि में गृहस्थ प्रधान हेतु हैं, जो यदि ये अपना कर्तव्य यथार्थ पालन करते रहें तो संयमी जनों में शिथिलता होने ही न पावे और यदि ये उपेक्षित या अन्धश्रद्धालु होजावें, तो संयमी जन का भी संयममार्ग में शिथिल

होजावेंगे। आजकल बहुत से सज्जन तो उपेक्षा धारण किये हुए हैं। उनको इसकी कुछ भी परवाह नहीं, भले यह संस्था रहे या बिगड़े या बन्द होजाय। बहुत से इसकी जरूरत ही नहीं समझते और वे इसको ढोंग आडम्बर आदि वह कर मिटाने ही का प्रयत्न करते हैं। किसी भ्रष्टचारिणी, अज्ञानी जीव का व्यवहार जो वह इस संयम के भेष में करता है, देखकर सम्पूर्ण त्यागी, संयमी जनों में, यहाँ तक कि संयममार्ग में भी अरुचि कर बैठने हैं, बहुत से अन्धभक्ति में आकर किसी किसी संयमी को उग्रक पद से बहुत ऊँचा बढा देते हैं। जैसे एतलक, कुतलक आदि के तवधा भक्ति करना, दसमी प्रतिमा वाले की भिक्षु के समान चर्या करना और चर्या करते हुए आने देखकर पड़गाइना, ब्रह्मचारी आदि को भी अष्टांग नमस्कार करना, कूँटे कल्पित अनिशय गढ़कर छाया में छुपा देना, जैसे गिरनार के रास्ते में केश्रा का बन जाना और फिर लाप होजाना, सांगीतज्ञी का पहाड़ माने का हो जाना, सर्प के रूपे हुए का मुनि के देखने मात्र से जहर उतर जाना इत्यादि। तथा दिन भर वैद्याच्य मानकर उनके हाथ, पग आदि शरीर दाबने रहना, दिन भर और रात्रि तक स्त्री, पुरुषों का संयमी जनों को घेरे रहना, उनमें साम्यारिक वृद्धि के लिये, जैसे पुत्र की प्राप्ति होना, द्रव्य की प्राप्ति होना, बच्चों आदि की दीर्घायु होने, किसी मुकदमे ( केश ) में विजय पाने आदि की इच्छा प्रगट करके आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करना। दवा, दारू, यन्त्र, तन्त्रादि करने के लिये प्रार्थना करना इत्यादि इच्छाएं रखकर उनकी सेवा वैद्याच्य करके प्रसन्न करने और बर प्राप्ति करने का यत्न करना इत्यादि। इससे संयम मार्ग दूषित होजाना है अर्थात् संयमी जनों में कषायें बढ जाती हैं। कोई धन, वस्तु आदि संग्रह करने में लग जाते हैं, किसी में स्वयंति लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति की जिज्ञासा बढ जाती है।

कोई प्रमादी हो जाते हैं, कोई मुखिया स्वभाव वाले होजाते हैं, कोई भोजन के रुचिया होजाते हैं और इसलिए जिसकी कषाय की जहां पूर्ति होती है, वह वहां हो जाया करता है। भटारकों को बहुत द्रव्य और बढ़िया रजरी, रेशम के वस्त्र भेंट कर २ के गृहस्थों ने ही शिथिलाचारी बनाया। इन्हीं के द्रव्य से वे पालकी, नालकी, रथादि में चलते थे, बीमो आदमी नांकर रखते थे, छुडीदार, चौबदार, पटावाला, पहिरा वाला, भाट, जमोटा आदि। यदि ये गृहस्थ उनको मात्र शुद्ध, सादा भोजन ही देते अथवा जो वे मुनिचन्द्र पीछी, कमण्डलु न रखकर या अपने आपकी मुनि, आचार्य न मानकर अमुक प्रतिमाधारी श्रावक मानते, तो शुद्ध भोजन के साथ उनके पद के योग्य वस्त्र भेंट करने रहते, ऐसा करने से उनही यह शोचनीय दशा न होती। न गहियां ही उठ सकीं, परन्तु गृहस्थों ने उनको साथ नाम रखाते हुए भी राजाओं के जैसे आराम तलब बना दिया। उनके लिये समाज से कर ( जगान ) नियत कर दिया और उनकी गहियों में लावों रगया नकद व सोना, चांदी होते हुए तथा उल्का दुरुपयोग होता हुआ देखकर भी बराबर भेंट व जगान देना कायम रखा। बराबर पूजा, मन्कर करने रहे। फल जो हुआ सो प्रत्यक्ष है। यदि श्रावक गृहस्थ द्रव्य देकर उसके सदुपयोग पर दृष्टि रखते तो जितनी भटारकों की गहियां ( मठ ) थे, वे आज गुरुकुलों व महाविद्यालयों के रूप में होते, व्यर्थ में भाट भोई न खा जाते, परन्तु गुरुमूढ़ता ने उनको ऐसा मोहित किया कि सर्व अनर्थों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए " बड़े जाओ महारवान " की पुकारें ही लगाने रहे और अब भी इन गहियों में बहुत सम्पत्ति है, इससे यदि उरभियत भटारक या जहां भटारकों का अभाव होगया और वहां की गृही की सम्पत्ति पञ्चों के आधीन है, उसे वे यदि विद्यामंस्थाओं में लगा देंगे तो इस समय

भी कई गुरुकुल व विद्यालय, समाज की आर्थिक सहायता के बिना चल सकते हैं। भटारकों को भोजन, वस्त्र चाहिये सो आवश्यकतानुसार सादा भोजन, वस्त्र गृहस्थ अब भी देते व दे सकते हैं और बदले में उनसे उपदेशक का कार्य ले सकते हैं, इसलिये मैं समाज और उसके नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि वे विक्रम में कार्य लें। प्रत्येक छोटे, संयमी का उसके पद के अनुसार ही सम्मान करें, न कम करें, न उपेक्षा करें, न मयम मार्ग को उत्पादन करने की चेष्टा करें और न अधिकता ही करें अर्थात् जिस प्रकार संयम मार्ग निष्कण्टक चले, संयमी जन स्वपरहितसाधन में सावधान रहें और समाज उन से लाभ उठावे अर्थात् उनको आहारादि दान देकर, ऋत्रस्थावस्था में वैयावृत्य कर, पुण्यलाभ करे और उनके उपदेश से अपने ज्ञान-चरित्र की वृद्धि करे। ऊपर बता चुके हैं कि नवमी प्रतिमा से लेकर ऊपर की प्रतिमाओं में मात्र भोजन तथा आवश्यक पद के अनुसार वस्त्र व उपकरण और मुनिराजों को मात्र भोजन और उपकरण के सिवाय अन्य किसी द्रव्य या सवारी आदि की जरूरत नहीं होती, इसलिये जो कोई उनको उनके पद विरुद्ध पदार्थ देता है, वह उनको नीचे गिराने अर्थात् शिथिल बनाने की चेष्टा करता है, इसलिये इन त्यागी महात्माओं को जब वे विहार करते हुए, तुम्हारे पुण्योदय से तुम्हारे यहां पधारे और जब तक ठहरें, तब तक उनको ऐसा सुरक्षित प्रकारान्धान जहां शीत, उष्ण या बरसात की बाधा न होवे। डाम, मच्छरादि जन्तु या चींटी, चींटा, खटमल आदि जन्तुओं की बाधा न हो, न आस पास कोई ऐसे लोगों की बस्ती हो, जिसके कोलाहल से उनके ध्यानाध्ययन में बाधा पहुंचे। वह स्थान प्रकाशवान व हवादार हो, ताकि संयमी जन शांति से ध्यान, स्वाध्याय कर सकें, इसी के साथ स्थान सादा होवे, उसमें न तो कोई जोखम (जिसके



चोरी जाने का भय हो) हो और न बनाबट मजाबट वाला मोहक हो, साफ सुथरा अवश्य हो, वहां केवल संयमी जनों के उपयोगी तख्त ( पात्र ) तथा प्याल ( कोशों व डांगर का घाम ) आदि ही हो, जिसमें संयमी जनों को कहीं आने जाने के समय कोई प्रतिबंध न होने पावे, अर्थात् चौकीदार या ताले कुँची की चिन्ता न करनी पड़े, न गृहस्थों को ही मनमें द्विधि रहे, कि वहां जोखम है, मकान सूना न रहने पावे, चौकीदार रख दो इत्यादि, न यही जनों के ध्यान स्वाध्याय के बाधक आकर्षक मोहक दृश्य हों, उन यात्री संयमी जनों की इच्छा हो, वहां तक धर्म ध्यान साधने हुए तहरे और जब अधिक जान पहिचान होने लगे तो उसे रागद्वेष का निमित्त जानकर चाहे जिस और स्वार्थानता से उभर चलते बनें, उनको यह कल्पना ही न उठे, कि कोई आज्ञाता तो उसको कह कर सोपकर जाने, कहीं कुछ जोखम होगाई, तो लोग हम ही पर शंका करेंगे, कि अमुक न्यायी मुनि तहरे थे, वे बिना कंडे चलें गए। संभव है, कुछ दाल में काला हो और इस प्रकार शंका होने से वे फिर समस्त संयमी मात्र से घृणा कर बैठेंगे, उससे सन्मार्ग में अपवाद लगेगा, इस लिए पक्षों को खबर देकर उनको जनाकर सोप कर जाता ही श्रेष्ठ है इत्यादि । ये न्यायीगण स्वार्थी वृत्ति वाले होते हैं, जहां जब धर्म साधन होता देखते हैं, तहरे जाते हैं और उसमें बाधक कारण उपस्थित होते ही चल देते हैं, उन्हें किसी को कहने, पूछने, सोपने की क्या जरूरत है ? डर तो जब हो, जब जोखम पास रमते हों, या जोखमो स्थान में रहते हों । कभी २ ऐसा होता है, कि संयमी जनों के तहरने के स्थान में यदि जोखन हो तो दुष्ट लोग मौके बे मौके कुछ उपद्रव कर बैठते हैं या कभी २ संयमी के भेष में कोई दुष्ट लो। वहां रहकर ऐसा कुछ गोलमाल कर जाते हैं, इसलिये “न होगा बांस न बजेगी बंश” न

वहाँ जोखम होगी, न शक्का और प्रलोभन का अवसर आवेगा, वहाँ कुछ होगा तब ही तो कोई चोर या भेपधारी ऐसा करेगा, अन्यथा नहीं। न्यागीजनों को भी ऐसे जोखमी व मोहक सजावट बनावट के स्थानों में न टहरना चाहिये। इस प्रकार तो समस्त न्यागियों को चाहे वे परिग्रहत्यागी हों या अल्पपरिग्रही अष्टम प्रतिमा तक के हों उत्तम स्थान देना चाहिये। क्योंकि पहिले तो जोखमी जगह में टहरना और पीछे नुकसान होने पर 'हायतोबा' मचाना यह अन्याय है, जैसा कि एक जगह एक उत्तम श्रावण को सरस्वती भवन में टहरा दिया और जब वे चौमासा करके चले गए और सरस्वती भवन सम्हाला तो बहुत से लगभग १०० शस्त्र कम पाए, सुना है, ये महाशय कभी २ अपनी सेवा में रहने वाले भक्तों के द्वारा शास्त्रों की पारखें कराया करते थे, सो प्रथम भूल तो यह कि उनको ऐसी जोखमी जगह में टहराया और दूसरी भूल यह कि सार सम्हाल न रखी न उनके जाने से पहिले भगडार सम्हाला जाने के पीछे हाँ हत्का घर ही घर में काके बैठ रहे और न्यागी मात्र में घृणा का भाव धारण कर बैठे, एक भेषा के अनर्थ कर जाने से समस्त व्रतो न्यागी जनों में घृणा कर बैठना, बैठे छली मच्छा न्यागियों को वैसा सम्भ्रम बैठना धार अज्ञान व अन्याय है, अपनी भूल को सुधारना और ऐसी घटनाओं से पाठ सीखना उचित है, तथा जो व्यक्ति किसी ऐसे धार्मिक (धर्मात्मा के) रूप में ऐसी या ऐसी अन्याय निश्च क्रिया करें, जो उनके लिये अक्षन्तव्य हैं, उनको उचित शिक्षा देकर समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान कर देना चाहिये, जिसे और कहीं वे ऐसा न कर सकें और समाज व संस्थाएँ टगाई न जावें, कपटभेषियों को उचित शिक्षा मिलने से या तो वे अनर्थ करना छोड़ देंगे, या कपट-भेष छोड़ना पड़ेगा, इसलिये ऐसे व्यक्तियों के अन्याय को सहन करना

अन्याय का प्रचार करना है । यह स्थान स्वबन्धी बात हुई । श्वेताम्बर व स्थानकवासी साधुओं व साधियों के अपामरे तथा वैष्णव साधुओं के स्थान ऐसे ही बनें जो खमी होने हैं और इसलिये उनके यहां इस प्रकार की शिकायत का मौका ही नहीं आता । कोई श्वेताम्बर साधु मन्दिर आदि जोखमी जगह में नहीं ठहरते ।

दूसरी बान भोजन की है । सो पहिले बताया जा चुका है कि जो खुशक तुम रोज खाते हो व जो खाना है, वहा शुद्ध बनाओ, उसमें कोई तर्बानता बरने की या भारी पुष्ट कीमती बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी त्यागी, ब्रती, संयमी, मुनि आदि पात्र आजायें, उसी से से उनके पद के अनुसार आदर पूर्वक भोजन कराओ । इससे लाभ यह होगा, कि कोई भी संयमी चाहे कितने ही समय तक अपने नगर में रहे, परन्तु उसके प्रति आनादर का भाव न होगा । वह भारी न मालूम पड़ेगा क्योंकि उसके लिये कोई नवीन खटपट नहीं करनी पड़ती न कोई अधिक व्यय ही करना पड़ता है । भोजन में भोजन होजाता है । इसके सिवाय दूसरा लाभ यह है कि सादा खुशक जल्दी पच जाता है, शरीर में कोई भी उपाधि या बिकार उत्पन्न नहीं करता, न जिदरा की लालुपता ही बढ़ती है । निर्दिष्टता से धर्म साधन करता है, इससे और भी एक लाभ होता है कि जिह्वा-लालुपी विपरीत भेषी टडरता भी नहीं है । सन्तोषी उत्तम संयमी पुरुष ही ऐसे स्थान में जहाँ प्रलोभन रहित स्थान तथा भोजनपान हो, ठहर सकता है और ऐसे ही साधुओं की जरूरत है । तात्पर्य-सुपात्र-अपात्र की परीक्षा भी होजाती है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है, कि हम जान बरके ही त्यागी, ब्रती जनों को सदैव रुखा, सूखा नीरस बेरवाद ही भोजन पान दिया करें और परीक्षा ही करते रहें, किन्तु

यदि हमने किसी प्रसङ्ग से या अपनी इच्छा से अमुक मिष्टान्नादि बनाया है और वह शुद्ध है, या घर में घी, दूध आदि शुद्ध रस हैं, तो त्यागी जनों को उसी में से देना चाहिये, उनके जिस वस्तु का त्याग होगा, वह वे स्वयं नहीं लेवेंगे और जिस का त्याग न होगा ले लेवेंगे। यह देना यह न देना, इस त्रिकल्प की जरूरत नहीं है। जो वस्तु सहज शुद्ध तैयार है, वह पात्र के स्वत्रय को रक्षा व वृद्धि के लिये देना आवश्यक है, क्योंकि शरीर भोजन के आधार ही चारित्र्यादि माधुर्य में त्पन्न रह सकता है, अन्यथा भोजन के अभाव में शरीर में अधिजना, निर्बलता आजाती है, बान-पित्तदि भी कुपित होजाने हैं और अन्तरङ्ग में संवलेराना बढ़ जाती है और तब चारित्र तथा श्रद्धा तक से संयमी चलायमान होजाता है। उसमें क्रोध, लोभादि कषाय बढ़ जाती हैं और वह द्रव्य के संग्रह में लग जाता है कि जिस दिन भोजन का योग न बनेगा, कोई गृहस्थ न पूछेगा, उस दिन संग्रहीत द्रव्य से भोजन मंगाकर या मेवादि या फलादि मंगाकर खा लेवेंगे और वस्त्रादि खरीद सकेंगे, परन्तु यदि गृहस्थ लोग बराबर मरहाल रक्वें और भोजन पानादि का स्वकर्तव्य समझकर प्रबन्ध करते रहें तो त्यागियों के द्रव्य-संग्रह करने का भाव ही न उपल होगा, क्योंकि उनको जब हरप्रक स्थान में भोजनपान का प्रबन्ध मिलता जायगा तो द्रव्य संग्रह के प्रयत्न करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान समय में जैसा ऊपर बना चुके हैं, या तो त्यागी-व्रतियों को रूखे मुखे भोजन तक को कोई नहीं पूछता अथवा कहीं माल टाल निगन्तर बनते हैं, ये दोनों बातें अनुचित हैं। न मिलने से भी मयम की हानि और धर्म का अरवाद होता है और निरन्तर भारी पुष्ट अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से भी संयम का घात व धर्म का अपवाद होता है, क्योंकि गृहस्थ, जिसके यहां विकार को शमन करने के कारण हैं, कभी २ प्रसंगवश या तीव्राकांक्षा

होने पर अपनी स्थिति के अनुसार भारी पुष्ट खुराक खाने का अवसर आता है, परन्तु त्यागी जनों को निम्न नए घरों में जाना पड़ता है और उसे निरन्तर ऐसी खुराक मिलती है, जो बहुत सम्भव है, कि रूचिकर विशेष होने के कारण कभी अधिक प्रमाण में भी खाई जा सकती है। सो या तो अर्जाण होकर रोग उत्पन्न करेगी, या पचकर विकार प्रसाद पैदा करेगी। इसलिये गृहस्थों को चाहिये, कि अपने ग्राम व नगर में आये हुए किसी भी संयमी का ऊपर बताए अनुसार निर्दोष स्थान में ठहरा कर शुद्ध भोजन कराना चाहिये।

तीसरी बात है संयमी में उपदेश लाभ लेना, क्योंकि गृहस्थों की अपेक्षा त्यागी जनों के उपदेश का प्रभाव विशेष होना है, कारण कि वे केवल कहते ही नहीं हैं, किन्तु शक्ति अनुसार करके भी आदर्श-रूप होने हैं, इसलिये उनके निम्न नियम, सामायिक स्वाध्याय तथा शारीरिक आगम लेने के समय को छोड़कर, सबेरे, दोपहर के बाद या शाम को समय निश्चित करके एक साथ सभी नर नारियों को जाकर उपदेश सुनना चाहिये और अपने स्वाध्याय चर्चा के समय जो तर्क उत्पन्न हुए हों और समाधान न हुआ हो तो उनका उत्तर जानने के लिये, या जाने हुए पदार्थ में विशेष स्पष्टता ( खुलासा ) करने के लिये उनमें विनय पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिये, शक्ति प्रमाण यम, नियमादि भी लेना चाहिये तथा अपनी व अपनी समाज में प्रचलित कुरीतियों, हीनचारितादि को हटाना चाहिये, कोई दोष अपने चारित्र, व्यवहार में लग गया हो, तो उसे सुयोग्य, सुपात्र के निकट आलोचना करके प्रायश्चित्तादि लेना चाहिये, इत्यादि त्यागी जनों से अनेकों लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

यदि त्यागी संयमी विद्वान् है, तो सद्गुपदेश देवेगा, शक्य

समाधान भी करेगा, योग्यता देखकर प्रायश्चित्तादि भी देगा और यदि वह पढ़ा नहीं होगा, तो अपने अज्ञान पर पश्चात्ताप करेगा, पढ़ने का प्रयत्न करेगा, सो ऐसे अपढ़ या कम पढ़े हुए त्यागी जनों को यदि अपने यहां साधन हो तो पाठशाला में पढ़ने का और घरों घर भोजन का प्रबन्ध कर देना चाहिये । यदि अपने यहां साधन न हो तो उनको किसी विद्यालय में, यथा बनारस, मौरना, व्यावर, मथुरा, सागर आदि में भिजवा देना चाहिये और उनके भोजन खर्च के लिये कुछ मासिक द्रव्य का प्रबन्ध करके उस संस्था के कोषाध्यक्षादि प्रबन्धकों के पास जब तक वे पढ़ते रहें, भोजन रहना चाहिये अथवा संस्थाओं में एक ऐसा फण्ड कायम कर देना चाहिये कि यदि कोई त्यागी जिजासु पढ़ना चाहे तो उसको भोजन का प्रबन्ध सन्धा कर देवे । सान्नी प्रतिमा तक तो वह स्वयं भोजन पान तैयार कर सकता है, ऊपर वाले दशमी प्रतिमा वाली तक को जैन रसोइया का प्रबन्ध करना होगा । बाद को तो फिर भिक्षुक हो जायगा, वह तो अन्य भिक्षु महात्माओं के सह में रहकर अभ्यास करेगा ।

इसके साथ गृहस्थों को यह भी देखना होगा कि यह त्यागी मुनि आर्थिका एकाबिहारी क्यों हो रहा है ? क्योंकि एकाबिहारी होने के दो ही हेतु होते हैं या तो कोई महात्मा मुनि, शास्त्र में कहे हुए एकाबिहारी के लक्षणों से संयुक्त बयोवृद्ध होजाते पर अपनी आत्मज्ञ मृत्यु जानकर, हंगिनी या प्रायोगसन संन्यास धारण करने का अभिलाषी ( इस संन्यास में किसी अन्य व्यक्ति की महायता या वैधावृन्ध की आवश्यकता नहीं होती है ) अपने सह के आचार्य की आज्ञा लेकर एकाबिहारी हुआ हो, सो ऐसी महान् तपस्वी, बहुशक्तिशाली, शरीर के मोह से रहित परम दीनरागी सह को छोड़कर, अपने साथ

किम्भी गृहस्थ व अन्य शिष्यादि नहीं रख सकता । वह तो स्वाधीन हुआ एकाकी विहार करता है और जब आयु को अन्यन्त क्षीण हुई जानता है, तब किसी वन, गिरि, गुफादि में इङ्गिनी या प्रायोगमन ( इसमें तो अपनी वैयावृत्त्य आप स्वयं भी नहीं करता ) धारण करके शरीर को त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

दूसरे प्रकार का एकाबिहारी वह हो सकता है, जो मज्जु से बाहर किया गया हो, परन्तु नौकर तो उसके भी साथ नहीं होगा, क्योंकि वेनन कहां से देगा ?

उक्त दोनों प्रकारों में से प्रथम पृथक् है, ग्राह्य है, द्वितीय नहीं, क्योंकि द्वितीय प्रकार के मुनि एतलकदि को पृथक्, मानने से आचार्य सह का आमान और उसके दोषों की पुष्टि होगी । शिष्यित्वाचार और स्वच्छन्दता का मार्ग चल पड़ेगा, इसलिये एकाबिहारी देखकर पूरी र खोज करना चाहिये कौन है ? कहां से आया ? एकाबिहारी क्यों हुआ ? किम आचार्य का शिष्य है ? क्या र अभ्यास किया है ? किम हेतु विचर रहा है, इत्यादि बातें मात्र उसके मुख से ही सुनकर नहीं मान लेना चाहिये, किन्तु पूरी तपास करना योग्य है, तथा कुल्लक, एतलक आश्रिकाश्रों को तो एकाबिहारी होना ही न चाहिये, क्योंकि इनके इङ्गिनी आदि संन्यास नहीं होता, इसके निवाय बिना योग्यता के स्वच्छन्द हो कर एकाबिहारी होना, सर्वथा अनुचित है । गृहस्थों को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियों को देखकर उनको किसी संघ में मिलवा दें और यदि वे न मानें तो गृहस्थ भी उनको न मानें न पूजें तथा नौकर आदि साथ रखने वालों या यन्त्र, मन्त्र, दवा आदि करने वालों को तो मानना ही न चाहिये, न उनके साथ के मनुष्यों को फूटी

कौड़ी भी देना चाहिये, क्योंकि वे परिग्रह योगी हैं, उनके साथ इतना बड़ा चेतन परिग्रह बांध देना, घोर पाप होगा। यह ऐसा ही है, जैसे ब्रह्मचारी के साथ कन्या रख देना। ये त्यागी गण चार प्रकार के दान का प्रसङ्ग आने पर उपदेश तो कर सकते हैं, परन्तु किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष पर दवाब देकर, किसी व्यक्ति विशेष को या संस्था विशेष को कुछ भी देने के लिये आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना भाग टूट का कारण होजाता है। इसी प्रकार और यम नियमादि का उपदेश मात्र कर सकते हैं। दवाब देकर बचान नियम नहीं दिला सकते। इसका भी परिणाम अच्छा नहीं होता जो पहिले बता चुके हैं। ऐसी ही अनेक बातों से तथा उनकी कषायजनित प्रवृत्ति से गृहस्थों को पात्रों की परीक्षा होजाती है। उभालिये ऐसे व्यक्तियों के स्वयं कर के एकाकी विचरण पर नियमन कर देना चाहिये, कि जो आत्मज्ञान रहित हैं, तत्त्वज्ञान शून्य है, क्रोधदि कषायों तथा इन्द्रिय विषयों, स्वयं कर जड्डा इन्द्रों के आधीन हैं, क्योंकि इनसे परका उपहार तो हो ही नहीं सकता, किन्तु इनके स्वयं का बहुत बिगाड़ है। इस प्रकार आगे जनों से धर्मोपदेश प्राप्त की बात हुई। अब उनके बिहार की बात कहने हैं।

जब काड़े त्यागी-व्रती, तुम्हारे ग्राम व नगर से अन्यत्र जाना चाहें तो नवर्त प्रतिमाधारी तक तो कुछ करना हा नहीं है, वे तो परम त्यागी, शान्त स्वभावी, स्वाधीन बिहारी हैं, जब जिस ओर उनकी इच्छा हुई, चल दिये, न मजूर चाहिये, न रक्षक चौकीदार और न मार्ग दर्शक हो, क्योंकि पाप में न भार है, न परिग्रह के लुप्त ज्ञान का भार, न अमुक स्थान का प्रोग्राम है, न वे किसी को कभी अमुक मित्ती तक अमुक स्थान में पहुँचाने का बचन ही देते हैं और न देना ही



चाहिये, तथा गृहस्थों को भी उनको ऐसे बचनबद्ध करके परार्थीन न बनाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने दर्शन देने के लिये त्याग भाव व संयम स्वीकार नहीं किया है, जो तुम्हारे बहने से तुम्हारे यहाँ आवेंगे और बचनबद्ध बनकर तुम्हारे साथ २ तुम्हारी इच्छानुसार बिहार करेंगे । हाँ ! यदि तुमको दर्शन की व धर्मोपदेश सुनने की इच्छा है तो जहाँ व संयमी हो, जाकर दर्शन कर सकते, व धर्मोपदेश सुन सकते हो । इसलिए ये तो स्वार्थीन विहारी हैं, सो इन्में से मुनि, आर्यिका, पालक, चुल्लक तो चौमासा ( वर्षा ऋतु सम्बन्धी ) के सिवय अन्य ऋतुओं में एक रात्रि में लेकर अधिक से अधिक पांच रात्रि तक बड़े नगर के निकट टहर स्वते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि जितना थोड़े जन समुदाय का स्थान होगा, उतनी ही जल्दी लोगों में अधिक जान-पहिचान हो जायेगी । अधिक संख्या वाले ग्राम में कुछ समय अधिक लगेगा, इसीलिये यह दिनों की मर्याद पूर्वाचार्यों ने बांध दी है, क्योंकि लोगों में जान पहिचान व उनके इन यही जनों को क्या लेना देना है ? क्या व्यवहार करना है ? मात्र भोजन के लिये ये जानपहिचान नहीं करते । इसी जानपहिचान से बचने के लिए तो त्यागी हुए हैं, और यदि श्रय भी वही करते रहे, तो त्याग क्या किया ? मूर्च्छा तो कायम रही । इसलिए ये महापुरुष जितने में जान पहिचान न होने पावे, उतने समय के अन्दर ही विहार कर जाते हैं । चौमासे में तो श्रम जीवों की उत्पत्ति विशेष होजाने से ही, उनकी स्वार्थ, इनको एक ही नगर या ग्राम के समीप किसी प्रासुक स्थान में टहरना पड़ता है, क्योंकि अधिक खल रहने व लोगों में जान पहिचान होने, उनके पारस्परिक व्यवहारों का विशेष परिज्ञान होने से, राग-द्वेष की प्रवृत्त कायमा में हुए बिना नहीं रहती, इसलिये इनका बिहार तो निश्चिन और स्वार्थीन है । हम अधिक से अधिक उनके विहार में वे जिस ओर बिहार

करते हैं, उस ओर को निष्कण्टक मार्ग दर्शाने के लिए किसी ग्राम विशेष तक जा सकते हैं ।

रहे उनसे नीचे श्रावक ! सो वे किसी भी क्षेत्र में अपना ज्ञानाभ्यास बढ़ाने व चारित्र्यादि गुणों की वृद्धि, धर्म ध्यान का सुयोग्य साधन देखकर अधिक समय, जहां तक कि उनके भी अन्तरङ्ग राग द्वेष व कषायभावों तथा इन्द्रिय विषयों की कमी होती रहती है, उहरते हैं और जब कुछ बाधा देखते हैं, तो बिहार कर जाते हैं, सो नवमी, दशमी प्रतिमाघाती जनों को तो मात्र मार्गदर्शक देकर बिदा करना चाहिये और उनसे नीची प्रतिमा वालों को यथायोग्य, मार्गदर्शक या मजूर या सवारी आदि का उचित प्रबन्ध करके बिदा करना चाहिये । कम से कम उनको किसी सुयोग्य स्थान ( जहां श्रावकों का समुदाय हो ) तक पहुँचा देना चाहिये । स्वाम परिचिन विद्वान् तथा योग्य न्यागी, ब्रह्मचारी आदि के निवाय सबको लग्ये = टिकटों के लिए रुपया नहीं देना चाहिए । इसकी दार्शन उपर बत चुके हैं, जहां तक हो सके नकद द्रव्य देने का समय ही न लाना चाहिये । रहें तब तक तो भोजन, वस्त्र, पीछी, कपड़बटल, शास्त्रादि उपकरण देना और चलते समय श्मुक स्थान तक पहुँचा देना । इसी प्रकार कल्यादान में भी भोजन, वस्त्र, औषधादि देना ठीक है । हां ! कल्यादान प्रत्येक गृहस्थ व प्रत्येक प्राणी के लिये होता है, इसलिये उसमें स्थान व नकद द्रव्य भी योग्यायोग्य मात्र देखकर दिया जाता है, परन्तु न्यागीजनों को उसकी जरूरत नहीं है । परिग्रह न्यागी तो पैदल ही बिहार करेंगे और उससे उनको तथा जनता को विशेष लाभ पहुँचेगा, उनके चरित्र की रक्षा होगी और लोगों को सम्मार्ग का उपदेश मिलेगा, तथा परिग्रह के न्यागी न होते हुए भी यदि लग्नी २ यात्राएँ न करके मार्ग के प्रत्येक श्रावक

के स्थानों में, चाहे वह पग रास्ते पर हो या मोटरया रेलवे मार्ग पर, यदि ठहरे हुए बिहार करें, तो एक नौ एक ही स्थान के आवकों पर स्वर्च का अधिक भार न आवेगा, दूसरे भ्रमों प्राम लोगों को उपदेश का लाभ और इनके सामाजिकादि ब्रतों की रक्षा होनी रहेगी, इसलिए इनको कम से कम दो तीन न्यायियों के सङ्ग सहित बिचरना चाहिए और गृहस्थों को इनका योग्य प्रबन्ध करते रहना चाहिये ।

इस प्रकार कुछ मन्त्रों में त्यागी संयमीवर्ग की वर्तमान प्रणाली उनके और गृहस्थों के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराया, अच्छा हो कि त्यागी संयमीवर्ग और गृहस्थवर्ग अपने अपने दोषों को या भूलों को स्वयं सुधार लें, क्योंकि त्यागीवर्ग तो हमेशा से गृहस्थों का उपदेशक सुधारक रहा है और इसलिए यदि वह अपनी नीति व धार्मिक व्यवहार आगमानुसार कायम रखता रहेगा, तो हमेशा वह गृहस्थों का गुरु बना रहेगा; परन्तु यदि उसने अपनी वर्तमान नीति नीति, जो शिथिलता पोषक और दुर्घन पकड़ रखी है, न छोड़ी, तो उल्टी गङ्गा बहना सम्भव ही नहीं, जरूरी हो जायगा और गृहस्थों को इन त्यागी संयमीवर्ग पर नियन्त्रण रखना पड़ेगा, इनके साथ सहकार असहकार बहिष्कार का प्रश्न खड़ा हो जायगा, तब धर्म और समाज दोनों को बहुत हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि यों ही दुर्भाग्य से जैनियों की संख्या नाम मात्र शेष है, उस में भी दिगम्बर श्वेताम्बरदि के भेद पड़े हैं, इसके सिवाय तैरापन्थी, बीसपन्थी, बानू पार्टी, परिद्धन पार्टी, सुधारक स्थितिपालक आदि कितने भेद तो हो ही रहे थे, परन्तु अब तो जो भेद भाव को मिटा कर शान्ति का स्थापक त्यागी संयमीवर्ग था, सो ही भेद भाव का प्रबल कारण बन रहा है, क्योंकि प्रायः आनेकों स्थानों में इन संयमी [त्यागीजनों] के पहुँचने से ही समाज में फूट व भेद पड़ जाता है। किसी को दर्शन से रोका जाता है, किसी की पूजा

बंद की जाती है, किसी का चालू भोजन बेसी व्यवहार रोक़ा जाता है, कई इनके भक्त होते हैं और कई विरुद्ध हो जाते हैं, इस तरह खिरोध बढ़ता जाता है, खेद तो इस बात का है, कि जिन से शान्ति की आशा की जाती थी, वे ही अशान्ति के हेतु बन जाते हैं। इसलिए यदि मंयमीवर्ग स्वयं अपने दूषित व्यवहार को न बदलेगा अर्थात् शान्ति के इच्छुक मन्त्रे विरक्त विद्वान् त्यागी-मंत्रमी अपने मार्ग में आप, अपवाद या अपवादी प्राणियों का सुधार न करेंगे, तो गृहस्थों को उनके सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का यत्न करना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा हो कि दोनों अपने अपने संघों का स्वयं सुधार करें और एक दूसरे से सहकार रखें, उनके सुधारने में सहायक हों।

( २ ) अब दूसरे प्रकार के गृहस्थ विद्वान् उपदेशकों के सम्बन्ध में कुछ और विचार करेंगे, यद्यपि प्रारम्भ में इनके विषय में कुछ कहा गया है, तथापि कुछ और विचारणीय है, वद यह "कि त्यागी (मंयमी) आदि की मूल तो ये गृहस्थ विद्वान् ही हैं, क्योंकि हमेशा से त्यागी (मंयमी) तो गृहस्थों में से ही हुआ करते हैं, सो यदि यह विद्वान् गृहस्थवर्ग सदाचारी, धर्मात्मा, विवेकी, अनुभवी, स्वपरहितचिन्तक होगा, तो त्यागीवर्ग अवश्य ही सुधरा हुआ होगा।"

तान्पर्य—जिन सदगृहस्थों ने घर में रह कर यथेष्ट शीत्या धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों का सेवन किया है, वे गृहस्थ हो संसार शरीर भागों का वास्तविक स्वरूप जानकर उससे होकर वाले सुख दुःखों का अनुभव [ज्ञान] प्राप्त करते हैं और पश्चात् उनको नश्वर निश्चय करके विरक्त हो जाते हैं, वे ही अग्निम पुरुषार्थ [ मोक्ष ] के साधन करने में अग्रसर होकर सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु जिनोंने घर में रह कर उक्त पुरुषार्थों का अविरोधन साधन नहीं किया है वे बेचारे यदि गृहस्थ्यागो

मंथमी बन जावें तो सिवाय संयम मार्ग में अपवाद लगाने के और कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जाता है, कहा है, "जिन से घर मांदि कछु न बनी, उन से बन मांदि कहा बन है" ।

इसलिए त्याग मार्ग में आने से पूर्व घर में रह कर ही सर्व प्रथम अपने सम्यक्त्व को निर्मल निर्दोष बनाना चाहिए और क्रमशः सप्त व्यसनों का त्याग तथा अष्ट सूक्त गुण पावन निर्दोष रीत्या करना चाहिए, अहिंसा में संकल्प करके त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग और आरम्भी, उद्योगी, विशेषी आदि हिंसाओं में लाचारी से बिल्के पूर्वक जिसके बिना न चल सकता हो अर्थात् जो अपनी वर्तमान परिस्थिति में करना अनिवार्य हो उसे उदासीनता से करना हुआ भी उसमें विरक्त होवे । ऐसे बचन जिन से स्वपर का घान होवे, निंघ वा कटार होवें, न बोले, अमन्य न बोले, परचम्तु ( अन्य के स्वामित्व की वस्तु) को आवश्यकता होने पर भी बिना उसकी आज्ञा के न लेंवें, गिरी हुई, पवी हुई, भूली हुई व चारी आदि से प्राप्त वस्तु को ग्रहण न करें, राज्य का कर चौकीमहमूल, रेल टिकट भाड़ा आदि की चोरी न करें, चोरों से सम्बन्ध न रखे, अपनी विवाहित स्त्री में मन्तोष करके शेष नारी जाति में माता बहिन पुत्री का भाव रखे, किसी को भंड बचन न बोले, कुत्सित गाली या हँसी मजाक न करे, यदि लग्न नहीं हुआ हो, तो न्याय से द्रव्योपार्जन करके स्वकुलयोग्य सुलक्षण कन्या से पाणिग्रहण कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मचारी रहे, उरोजना में आकर शनक्रीड़ा या हस्तक्रिया आदि कभी न करे ब्रह्मचर्य पावन करने के लिए हतनी बातों से बचे:--

'स्त्रीशोकयाश्रवण, तन्मनोऽरो-रिष-सु-व, पूर्वतानु-स्मरण, दृप्येष्टसमेवन, स्वशरीरसंस्कार' इन बातों से बचे अर्थात्

जिन कथाओं नाटकों या उपन्यासों के पढ़ने सुनने से या जिस प्रकार के गानादि सुनने से कामोत्तेजन होता हो, ऐसे शृङ्गार रस के ग्रन्थादि न पढ़े, न सुने, न ऐसे खेल, तमाशे, नाटक, सिनेमा देखे । स्त्रियों के उन अङ्गों को न देखे जिनको कामोत्तेजन के हेतु या कामांग कल्पना करते हैं, अच्छा तो यह है, कि स्त्रियों का संसर्ग ही बचाना चाहिए, वह भले ही अपनी माता बहिन बेटी ही क्यों न हो ? भले वह अति बाला या वृद्धा ही हो । उन से भी कभी एकान्त में न मिले, उनके भी संसर्ग में निरन्तर न रहे क्योंकि मन चञ्चल और काम अन्धा होता है, न जाने कब कैसे कैसा कारण बन जावे, मन चञ्चल हो उठे, बचन काबू बाहिर हो जाय, शरीर अधीर बन जाय इत्यादि । स्त्रियों के वस्त्रों जैसे चादर, कम्बल, गादी, पलङ्क आदि का उपयोग न करे, उनके झूठे भोजन भी न करे, न अपना झूठा विसी को खिलावे, यदि कभी मिलना पड़े जैसे भोजनादि कारणों से, तो उनके सम्मुख न देखे, नीचे या अन्यत्र दृष्टि रखकर भोजन काले या आवश्यक धर्म चर्चा कर लेवे और यथा सम्भव शीघ्र ही वहां से हट जावे या उनको खले जाने के लिए कह देवे । पहिले भोगे हुए भोगों का स्मरण कभी न करे, यह बात उन में होती है, जो विवाहित हो चुके हैं और उनकी पत्नी का वियोग हो गया है या वे उल्लेख न्याय चुके हैं या जिन्होंने अज्ञान अवस्था में कुसङ्गति में पड़ कर अन्याय मार्ग से कुमार कालमें ही अपने ब्रह्मचर्य का घात कर लिया है, किन्तु जो कुमार हैं, विद्यार्थी हैं, जो अपने ब्रह्मचर्य से रक्षित तो नहीं हुए हैं, परन्तु कार्य (शृङ्गार रस के) ग्रन्थों का अध्ययन करके काल्पनिक भोगों का भावी चित्र बना लेते हैं, ऐसे निर्बल प्राणियों को मचेन रहना चाहिए, न पूर्व अनुभूत भोगों का स्मरण ही करना और न भावी कल्पनासागर में गोते ही खाना चाहिए । ब्रह्मचर्य की रक्षार्थ उदात्तक पदार्थों का सेवन न करे,

जैसे पौष्टिक मिष्टान्न, मेवादि भारी सुगन्ध, मिर्च, खटाई आदि तीक्ष्ण मसाले, बाजारू गन्दी मिठाइयां, नशे करने वाली सभी मादक वस्तुएं, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग आदि सोडा, लेमनेड, कुल्फी, मलाई आदि न खावे-पीवे। स्वशरीरस्वस्कार अर्थात् अपने शरीर को नाना प्रकार से मन व इन्द्रियों को विकृत करने वाले वस्त्राभूषणों से सजाना, जैसे नाना प्रकार के फैशनेबुल बालों का रखाना, उनको अनेक प्रकार से सुगन्धित तेलों से रंजित कर के कंधी करना, स्याबुन लगा लगाकर नहाना, पतले और विदेशी वस्त्र, विदेशी चाल डाल के वस्त्र पहिनना, हत्यादि स्वपर को विकार उत्पन्न करने वाले सभी शृंगार न करे।

तात्पर्य—सादा भोजन और साश वेप रक्खे, आजीविका के समय के अतिरिक्त शौच भोजन, शयनादि आवश्यक क्रियाओं का समय निश्चित कर लेवे और शेष समय ज्ञान अभ्यास में, मन्त्रस्मरण में, देवार्चन व ध्यानदि में लगावे, एकान्त में तन्त्रों का मनन करे, जोर से या मध्यम स्वर में जिनगुणस्तवनादि करे स्वाध्याय में काल निर्गमन करे, इस प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सती है। अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार आभ्यंतरिक कर्पार्यों को रोकने उन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, बाह्य धन धान्यादि, परिग्रहों का प्रमाण कर लेवे और न्याय मार्ग से उनको प्राप्त करने के साधन करता रहे, प्रमाण से अधिक संग्रह की चेष्टा न करे। अपने उपाजित या पुण्योदय से प्राप्त धन में से ही स्वशक्ति अनुसार आहार, औषधि, ज्ञान (शास्त्र) व अभ्यासि दान देना रह, क्योंकि जो सदा कुछ न कुछ त्याग, भक्ति या कल्याण से, करता रहता है, वह अवसर आने पर सर्वस्व भी त्यागकर सकता है, परन्तु जिसको त्याग, ( दान ) का अभ्यास नहीं है उसे कर्त्तव्य दुर्भाग्य से धन की, औरादि द्वारा या व्यापारिक षाटे के कारण हानि उठानी पड़ती है या आयु क्षीण होने आदि कारणों से

मरण के सम्मुख होना पड़ता है, तो वह जीव धन के मोह से दुखी होकर आर्त-रौद्र भावों से मर कर दुर्गति में चला जाता है, ऐसा पुरुष इस जन्म में त्याग (संयम) तो कर ही नहीं सकता है, इस लिए सदैव अपनी कमाई का कुछ अंश परोपकार में लगाने रहना चाहिये ।

गुणी जनों का आदर करना, समस्त जीवों में मित्र भाव रखना, दीन जीवों में करुणाभाव रखना विमुख प्राणियों या पदार्थों में उपेक्षा भाव रखना, विचारना कि 'जग के पदार्थ सारे, बनें हृच्छानुसार जो तेरे तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शाश्वत परिणामन उनका, उनके आधीन रहता, तू निजाधान चाहे सो वृथा खेद करता" इस प्रकार का अभ्यास जो गृहस्थ या विद्यार्थी अपने गृहीजोवन या विद्यार्थी जीवन में करता रहता है, उसका गृहस्थजीवन तो आनन्द से अपवाद रहित होतता ही है, किन्तु यदि वह त्याग मार्ग में आता है तो एक आदर्श त्यागी बनकर स्वपरहित करने में समर्थ होता है, धर्मप्रभावना का एक अङ्ग बन जाता है, उसका साधर्मियों में वात्सल्य होता है और साधर्मियों की उस में अन्दा-भक्ति होती है। वह याचना करना तो घोराचोर पाप समझता ही है, परन्तु यदि कोई उसे भक्तिपूर्वक वखात्रि भेंट करता है, तो भी आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करता, सो भी पहिले की जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के बदले ही और वह भी शुद्ध खादी के स्वदेशी मोटे सादे, द्रव्य से स्वीकार करता ही नहीं है यथाशक्ति क्रम २ से पैदल यात्रा करता है और गृहस्थों के घर बनाया हुआ शुद्ध सात्विक सादा हल्का भोजन स्वीकार करता है, नवमी प्रतिमा से वह परम निश्चिद, निर्भीक, धीरे धीरे गडमीर महात्मा बन जाता है और दशमी प्रतिमा से आगे तो तभी बटता है जब कि वह पूरी तीर से यह खातरी कर लेता है, कि असुक प्राणों व उनके जितों में निकट २



रहने वाले ग्रामवासी जैनी भाई स्वयं अपने अपने घरों में शुद्ध भोजन ही ग्रहण करते हैं, अर्थात् गृहस्थों के घर स्वभाव से शुद्ध भोजन बनता है और वे किसी भी न्यागी घनी के लिए कोई नवीन योजना नहीं करते, किन्तु उनको अपने घरों में तैयार हुआ शुद्ध भोजन ही बिना संकोच या बिना हिचकिचाट के दे देते हैं, उसमें उनको न तो द्रव्य का नया स्वर्च उठाना पड़ता है और न समय ही अधिक लगाना पड़ता है और न व्यापारादि किसी कार्य में हानि ही होती है, अर्थात् उनको किसी अतिथि को उसके पद अनुसार भक्ति व श्रद्धा से भोजन करा देना एक साधारण निम्न कर्तव्यसा सरल ही गया है, ऐसी प्रवृत्ति जब वे गृहस्थों में देख जान लेते हैं, तब ही उद्दिष्टन्यागघ्न स्वीकार करते हैं, अन्यथा वे दशमी प्रतिमा से आगे नहीं बढ़ते। इतने से संतुष्ट रह कर आगे के लिए क्षेत्र तैयार करने हैं, लोगों को शुद्ध खाना, शुद्ध बनाना, चौका शुद्ध रखना आदि बातें सिखाते हैं दशमी प्रतिमा में वे अपने लिए या लौकिक कार्यों के लिए अनुमति नहीं देते, परन्तु अपने हेतु बना हुआ भोजन स्वीकार कर सकते हैं, क्रिया धर्म का उपदेश दे सकते हैं दान की विधी बना सकते हैं, धर्म कार्यों में मात्र धर्मप्रभावनार्थ अपनी सम्मति दे सकते हैं, वे उद्दिष्ट न्यागी नहीं होते, परन्तु होने के लिए उत्सुक रहते हैं।

इस से नीचे अष्टम प्रतिमा वाले अपना निजी कुछ द्रव्य रखते हैं और जम्हरत पड़ने पर उसी में से स्वर्च करते रहते हैं और जब वह स्वर्च हो जाता या अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है, तो नवमी प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं, ये नवीन कमाई नहीं करते न गृहस्थों से ही लेकर सग्रह करते, सर्वत्र नवमी प्रतिमा के लिए तैयार रहते हैं और नीचे सप्तमादि प्रतिमा वाले स्वपुरुषार्थ से द्रव्य कमाने हैं

और अपना व्रत संयम पालते हैं, किसी भी व्रती संयमों में दीनता या याचक वृत्ति कभी भी नहीं पाई जायगी, यह तभी हो सका है जबकि घर में रह कर जिन्होंने अपनी विषय वासनाओं को भोगों का अनुभव करके या अपने ज्ञान वैराग्य के बल से नष्ट कर दिया है, जिन का गृहस्थ जीवन निरापवाद बीता है, जिन्होंने घर में ही साधु जीवन का अभ्यास किया है जिन को अब कोई इन्द्रियविषय पूर्ति को या कषाय पोषने की आकांक्षा नहीं रही है जो पुरुषार्थी है, धर्मात्मा धर्म और धर्म में प्रीति रखने वाले हैं, द्रव्य कमाकर जिन्होंने उमे उचित-रीत्या भोगा है वे भला त्याग मार्ग में क्यों नहीं आदर्श होंगे ? अवश्य होंगे । इसलिए ऊपर बताये अनुसार गृहस्थजनों को स्वयंसेव्य आचरण पालना चाहिए, समाज के समस्त विद्वानों को शुद्ध ( क्रिया-कोष के अनुसार ) भोजन का नियम कर लेना चाहिए, जबकि आगम का बचन है कि पंचमकाल के अन्तिम दिवस तक मुनि, आर्थिका, आचक, आविका मिलेंगे, तो फिर क्या कारण है कि वर्तमान पंचम काल के प्रथम पद ही में मुनि आर्थिका उद्दिष्ट न्यायी श्रावकों की चर्या में बाधा आने से ये पद उठ जावें (बंद होजावें) जब आज भी नग्न दिगम्बर क्षिण धारण करने वाले साहसी पुरुष देखे जाते हैं । यद्यपि वर्तमान उच्च संयमीजनों में विद्वान् व्यक्ति बहुत कम हैं, तथापि संयमी-जनों का अभाव नहीं है, उन में जो द्रोप चर्यासम्बन्धी लगता है, वह गृहस्थों के आधीन है, यदि ये लोग स्वयं शुद्ध स्वानपान करने लगे और क्षिणमोक्षवश जो नया और अजोड़ आह्वार करते हैं, जैसे संयमियों के आने पर मिष्टान्न आदि विशेष २ भोजन बनाना, रमोई घर में संयमी के हेतु मेवा फल वगैरः एकत्र करना आदि छोड़ दें और प्रातःकाल प्रथम पहर बीतने पर लगभग २ घण्टे तक संयमीजनों के आगमन को बाट देखें, यदि पुण्योदय से प्राप्त होजावें,

तो उनको संविभागरूप से आतिथ्य ( भोजन ) कराकर पश्चात् आप सहपरिवारभोजन करें, इसी प्रकार शाम का तीसरे पहर के पश्चात् डेढ़ घण्टे तक मार्ग देखकर भोजन करे, यदि उत्तम, मध्यम, जवन्य आदि पात्र न मिलें, तो दुःखित वृद्धिजित जीवों को करुणा करके भी कुछ दान अवश्य दें। आज कल हर जगह उद्दिष्ट त्यागियों के भोजन की चर्चा चलती रहती है कि सभी उद्दिष्ट त्यागी, उद्दिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं और इस लिये मयम के मृत म घुन लग जाता है इत्यादि। परन्तु खेद तो यह है कि ऐसी चर्चा करने वाले गृहस्थों ने भी तो गत पन्द्रह वर्षों में जब से कि उद्दिष्ट त्यागीजनों की विशेष संख्यावृद्धि हुई है, अब तक शुद्ध भोजनपान करना स्वीकार नहीं किया और तो क्या कम से कम अपने घर चौक, जो स्वाधीन हैं, शुद्ध न बनाये। समाज के विद्वान् धर्मशास्त्रों के वेत्ता परिडन जनों ने भी शुद्ध भोजन पान का नियम न लिया, अपनी निर्मल स्वच्छन्द खान पान की प्रवृत्ति को ठोका और समझोचना तो कायम रही, भला जब ये गृहस्थ और धर्म के मर्म को जानने वाले विद्वान् भी अपने आप को न सुधार सके तो वे संयमी जिन्होंने देवादेवी या दशत्र में आकर या स्थाति लाभ पूजादि की इच्छा से ही, अक्षरजानहोन हांते हुए भी, बिना ज्ञान श्रद्धान और वैराग्य के ही भेष धारण कर लिया है, अपनी भूलों कैसे स्वीकार करते, छोड़ते ? इस पर भी इन विद्वानों ने उनकी भूलों को उन्हें न बताकर उरुटा भोली जनता को गुण रूप से बताया और दूषित संयमीजनों को सच्चों की भांति पुजवा दिया, फल यह हुआ कि सदीप व्यक्ति अपने को पूज्य पदारूढ देखकर और विद्वानों को अपने समर्थक जानकर और भी स्वच्छन्द बन गये, नाना प्रकार अकथनीय दोष लगाने लगे, कोई तो उसी भेष में और कोई भेष त्यागकर कुमार्ग में प्रवेश कर गये, अब विद्वानों ने ऐसा क्यों किया ? तो कितनेकों ने तो

इसलिये समर्थन कर दिया, कि किसी प्रकार पीछा छूटे, ऐसा न हो कि महाराज कहीं इस लोगों को भी संयममार्ग में आने या शुद्ध भोजनादि का नियम कर लेने का हठ पकड़ बैठें, तो बड़ो मुश्किल होगी. इसलिये ज्यों ज्यों बातें बनाकर मौका देख खिसक जाते, या सामने पड़ ही गये, तो नियम पालन करने में असमर्थता दिखाई. तब लोगों की आवाजें होने लगीं जब तुम स्वयं भ्रष्टाचारी हो, तो तुमको दोष दिखाने का क्या अधिकार है, चुन रहो ! इत्यादि । इसक विवाय कितनेक स्वार्थवश हां इन सदापीतनो को हां में हां मिलाकर अपना स्वार्थ-साधन करते रहे, गुजरात के पेंथापुर ग्राम में भैर्या मुनीन्द्र मण्डला ने चौमाम्ने का स्वांग किया था, वहाँ एक न्यायनीथ परिदहनजी अपने समस्त माले आदि परिवार सहित आगए थे, चौमाम्ने में वेतनादि के बहाने हजारों रुपया तो ले ही चुके थे, परंतु तृष्णा फिर भी न मिटी इस लिये मुनीन्द्र के नाम से १ प्रेस भी खोलने का प्रस्ताव कर दिया, रुपये भी लगभग (१२००) के इकत्र होगए, परंतु प्रेस गुजरात भावनगर में न आका परिदहन जी के घर पहुँच गया, लोग समझ गए और किसी प्रकार से प्रेस वापिस भावनगर में ला लिया, तात्पर्य अनेकों ऐसे स्वार्थी पिट्टू साथ लग जाते हैं और मुर्ख भैया को मान पर चढ़ा बढाकर अपना म्थार्थ साधते हैं, भोजी जनता भंग मात्र से ठगाई जाती है ? इस प्रकार समाज में संयम के स्थान में ढोंग पूजा व पुजाया जा रहा है ।

मैं जमा चाहता हूँ, परन्तु कटुक सत्य कहे बिना नहीं रह सकता, मैं तो यहो कहूँगा कि यह सब दोष धार्मिक परिदहन विद्वानों का है, प्रथम तो यह कि वे स्वयं त्याग संयम मार्ग में नहीं आते और इसी लिये वे झूठे ढोंगों व ढोंगियों का प्रतीकार भी नहीं करते, नहीं तो क्या कारण है कि समाज में आज अनेकों अच्छे गणखीय विद्वानों के होने हुये भी इस प्रकार अज्ञानी जनो के द्वारा संयम मार्ग दूषित किया

जाय । क्या उनका उपदेश दूसरों ही के लिए है ? क्या वे "दीपक के नीचे अंधेरा" वाली कहावत चतितार्थ नहीं करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं आगे बढ़ते ? यदि वे मानते हैं कि द्रव्य क्षेत्रकाल भाव उद्दिष्ट-त्यागादि समय के अनुकूल नहीं है, तो उनको या तो अनुकूल स्व-आदर्श बनकर बनाना चाहिए, या मिलकर घोषणा कर देना चाहिए कि इस समय कोई उद्दिष्ट त्यागी नहीं हो सकता, इसलिए कोई ऐसा ऊंचा संयम धारण न करे और समाज को सूचित कर देवे कि अभी उद्दिष्ट त्याग समय के योग्य [ उपयुक्त ] समय नहीं है, जो कोई ऐसा रूप बनावे, ता उसे न मानना चाहिए, अन्यथा संयम का अपवाद हो जायगा इत्यादि । यदि द्रव्य क्षेत्रकाल अनुकूल है तो सबको है, यदि अपवाद जनों को है, तो पढ़े लिखे सज्जनों को तो और भी अधिक अनुकूल है, इसके विनाश रुदाचित् उद्दिष्ट त्याग न बने तो उत्तम दशम प्रतिमा मध्यम ६-८-९ आदि प्रतिमायें या जवन्य प्रतिमायें तो हो सकती हैं, शुद्ध खाद्यपेय तो अब भी भारत में प्राप्त है, आटा घर में अपनी सहवमिणी से पिस्वाओ या आप पीव लो, कुआँ, नदी, तालाब आदि जलाशयों का पानी लाओ या निरामिष भोजी, मद्यपानादि न करने वाले मदाचारी पुरुषों से मंगालो, दूध स्नयन अपने बामन में निकलवा लाओ और अन्दर मर्याद के गरम करलो, घी प्रामों में धावकों के घर का मिला सकता है सो मंगा रखो, दाल चावल शुद्ध हैं ही, मसाला ताजा पीसकर ढालो, दिन में बनाओ और दिन में खाओ ? भोजनालय में चदेश बांय लो, हवादार प्रकाशवाला रमोई घर रखो, बस ! शुद्ध हो गया, मदाचार से रहो, अपनी प्रमाणिकता का सिक्का लोगों पर बैठा दो इत्यादि, यह तो कर सकते हैं । इसलिये अच्छा हो कि पण्डितगण स्वयं सुधरें और उनकी जो समाज में समा-लोचक चर्चा हो रही है, यथा दिशा तले अंधेरा होता है, वे तो पुराय

के भटा ( बैंगन ) त्यागने योग्य है न कि खाने के, हांथी के दांत दिखाने के और, खाने के और होते हैं, 'परोपदेशे पाडित्यं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि नर न घनेरे । बान करन भूपग धरन करन खडग पग धार । कथनी कर करनी करें ते बिरले संमार ॥ कथनी को मन शूरमा कथनी को काचा । कथनी कर करनी करे दानन सो सांचा ॥ पण्डित और मशालची इनकी उल्टी राह । श्रीरों को तो गैल बनावें आप अँधेरे जाह ॥' इत्यादि सो दूर करके बता देवें कि वास्तव में ये कहवतें विद्वानों पर लागू नहीं होनीं, पण्डितजन तो पण्डित ही होते हैं, वे जैसा कहना जानते हैं वैसे ही उनका करना भी आता है । उनका कथन पहिले उनके लिये है, पीछे श्रीरों के लिए है उनका ज्ञान, उनके सच्चरित्रवृद्धि के अर्थ है, उससे और कोई मुमुक्षु लाभ उठावे या न उठावे, परन्तु वे तो उठावेंगे ही इत्यादि । अपने आचरणों से दिखावें । जब विद्वान् पण्डित धर्मोपदेशक आदर्श होंगे, तो उनका उनकी शिष्य मसहली पर और श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, जैसे आदर्श माता पिता अपनी सन्तान के सम्मुख कोई ऐसी बात नहीं करता, जिसका अनुकरण करके बालक कुमार्ग में चलने लगें । उसी प्रकार, किन्तु उससे भी अधिक आदर्श गुरु का शिष्यों पर पड़ता है, गुरु चार व्यभिचारी अभक्षभक्षी है, तो शिष्य उससे भी अधिक होंगे और गुरु सदाचारी प्रमाणिक है तो शिष्य भी वैसे ही बनने का प्रयत्न करेंगे । इसलिए पण्डितों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, अन्यथा समाज को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, इसलिए समाज का कार्य है कि वह केवल कागजी घोड़े मशरों तीर्थ आदि परीक्षोत्तीर्णता का मार्तिफिकेट प्राप्त ) को ही न देखें, किन्तु सच्चरित्रता पर भी विशेष ध्यान दें, अमदाचारी, मपोद्धिया, अभक्त और अमर्यादित अनुपसेव्य पदार्थ खाने वाले लोगों को जब तक वे अपना अभ्यास

नहीं सुधारते, आश्रय न देवें। उनको अपने बालक बालिकाएँ न सौंपें, इतना ही नहीं उनको शुद्ध खान-पान आदि के लिए प्रेरित करें, मात्र बालूनी लोगों को आश्रय देना चरित्र को घात करने वाला है।

जैसे विद्वानों के लिये यह बात है वैसे ही छात्रों ( विद्यार्थियों ) के लिये भी है भले वे अभी बालक हैं, परन्तु वे ही हमारी समाज के भावी अध्यापक चर्मोपदेशक त्यागी संयमी हैं उनके संस्कार यहीं से पढ़ने हैं, जो जीवन पर्यन्त नहीं छूटते इसलिए उनको अपने बाल्य-काल विद्यार्थी जीवन] से ही मन्य बोलने, शिष्टाचार पालने, गुणीजनों का आदर करने, स्वावलंबन अर्च्यता, ब्रह्मचर्य, निर्लोभता, उदारता, सादगी, विनय सप्रज्ञता, निर्भीकता, धीरता, वीरता, साहस, संयम, इन्द्रियदमन, महनशीलता, गौरवरक्षा, धार्मिक श्रद्धा, ज्ञान, क्रिया आचरण आदि सद्गुणों का अभ्यास अपने परीक्ष्य विषयों के साथ करने रहना चाहिए। विद्यार्थियों को सादा भोजन सादा वस्त्र, पुस्तक और अध्यापकों की ही आवश्यकता है, जिसका कि प्रबन्ध प्रत्येक विद्यालय, ब्रह्मचर्याश्रम आदि संस्थानों में है ही, परीक्षा के समय परीक्षालय की फीस व भाग व्यय भी संस्थाएँ करती हैं, फिर विद्यार्थियों को नकद रूपों की किसलिये जरूरत पड़ती है? यह विचारणीय है, बहुत से विद्यालय भोजनादि के अतिरिक्त छात्रों को मासिक (।।।) १) आदि छात्र वृत्तियाँ भी देते हैं जो सर्वथा अनुचित है, वे बालक उमर नकद रकम का क्या सदुपयोग करते हैं? सो तो संस्था संचालक स्वयं ज्ञानते हैं, परन्तु बालक नाराज होकर भाग न जायें, हमी डर से वे आत्म-मिर्चाना करते हैं, परन्तु इसमें बालकों का जीवन और समाज का भविष्य स्वतंत्र ( जोखम ) में पड़ जाता है हमारे विद्यालयों के भावी धार्मिक पण्डित छात्र भी अब पाश्चात्य विद्याभ्यासी छात्रों की नकल उनके खानपान रहन सहन पोशाक लिवांस फॅसन आदि में करने लगे हैं,

परन्तु उनकी कोई अच्छी बातें तो नहीं मीखते उनके जैसे बाल रखना, टोपी कोट कमीज पतली धोती पहिनना बूट, चट्टी धारण करना, खोमचा आदि से चलते फिरते खाना, अमचय खाना होटनों में खाना अधिक धुलाई दे देकर खी किए हुए कलफदार कपड़े पहिनना, नेकटाई कालर लगाना, चरमा चढ़ाना, गिस्टवाच पहिनना, तेज, मानुन लगाना आदि सभी बातें विद्यालयों के छात्रों में देखी जाती हैं और खूबी यह कि समाज के पैसों से, विद्यालय में अनपेड़ दाखिल होते हैं और फिर धीरे २ समाज के श्रोमान् उदार जनों का परिचय पाकर हीनता के पत्र लिख लिखकर गरीबों दिखा दिखाकर पैसा मंगा लेते हैं और उससे मौज शौक उड़ाते हैं 'मुफती माज दिल्ली बेरहम' यह चिन्ताय करते हैं, आपस में पार्टियां बनाते हैं हड़ताल पाड़ते हैं, कूड़ी शिकायतें कभी खाने की कभी पहिरने की इत्यादि इतर उधर करते और अपने स्वच्छन्दी व्यवहार के विरोधी गृहपति अध्यापकादि का विरोध करते, उन्हें बदनाम करने नीचा दिखाने की या निकलवाने की चेष्टा करते हैं, न चलने पर या दवाव पड़ने पर ऊट से भाग जाते और अन्य विद्यालयादि संस्थाओं में दाखिल हो जाते हैं, जिस पूर्व मंथाने उनको पढ़ाया लिखाया, भरण पोषण करके योग्य बनाया उसके साथ कृतघ्नता करते हैं, द्रोह करते हैं, इनमें यही सें स्वार्थवृत्ति, विषय जालुपना ईर्ष्या, डाह, द्वेष, क्रोध मिथ्याभिमान, लोभ आदि दुर्गुण भर जाते हैं जिससे विद्यादेवी की उपासना में गीड़े पड़ जाते हैं और किसी तरह खोंच तान के पाम तो हो जाते हैं, परन्तु आना जाना कुछ नहीं, एक म्याय विशारद से रत्नकरंठ के रत्नोक पूछे, द्रव्य संग्रह की गाथा का अर्थ पूछा, छहढाला के कुछ सामान्य प्रश्न किए, परन्तु उत्तर में मौन मिला, परन्तु विशारद जी के माथे पर बालों का खामा 'गुच्छा था ।



तात्पर्य-ये हमारे भावी धर्मोपदेशक अध्यापक धर्मशिक्षक, जिम प्रकार तैयार हो रहे हैं उनसे धर्मोन्नति या समाज तथा देश सेवा की भावना करना, नीम के भाड़ से आम खाने की आशा के सदृश है, क्योंकि इन हमारे छात्रों में, न विनय है, न उन्माह है, न साहस है, न आत्मीक या शारीरिक बल है, न विद्याबुद्धि का बल है, न इनको उद्योग करना आता है, बोलने की चतुराई तक भी नहीं है, परीक्षाएँ पास करके नौकरी की तलाश में मारे-२ फिरने हैं, यदि नौकरी मिल गई तो वहाँ या तो य टहर नहीं सकते, या पृथक् कर दिए जाते हैं, भा.य से कोई तीक्ष्ण बुद्धि पंडित ने कहीं कुछ पाठशाला आदि में कुछ काय ठीक-२ चलाया भी तो थोड़े दिनों में यत्र तत्र लिखा पढ़ी करके भाग जायंगे और बनी बनाई पाठशाला बिगड़ जायगी, इसका इनको कुछ भी दु.ख नहीं, न ये इसमें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कहा तक कहें ? इन भावी कर्णधारों की विचित्र ही दशा है । समाज को चाहिए, एक विद्यार्थी वर्गों का सुधार करे, प्रारम्भ से ही उनमें अच्छे संस्कार भरे धार्मिक भाव भरे क्रियाकांड सिखावें, उनमें बल पुरुषार्थ साहस उन्माह सेवा विनय चतुराई आदि गुणों का विकास जैसे हाँवे वैसा यत्न करे ।

जो उदार मज्जन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देते हैं, उनका कर्तव्य है कि छात्र की अर्जी आने पर यदि उनके यहाँ छात्रवृत्ति खाली है, या वे सहायता देना चाहते हैं तो वे जिम संस्था में वह बालक रहता है, पढ़ता है, यथा बोर्डिंग, विद्यालय, गुरुकुल आदि उसके संचालक सुपरिन्टेन्डेंट, मन्त्री, सभापति, मुख्याध्यापक, प्रिन्सिपल आदि से उसकी व्यवस्था, पढ़ाई व परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके ही उचित समझें, तो सहायता देवे, अन्यथा दृमरे सुयोग्य छात्रों को देवें ऐसा न हो कि सुयोग्य छात्रों के सुख का प्राप्त चालाक

अयोग्य छात्रों को पहुँच जावे और बिचारे होनहार सुयोग्य छात्र द्रव्याभाव या सहायता के अभाव में विद्या विहीन रह जावें।

प्रायः देखा जाता है, कि अनेक छात्र अमुक २ व स्थानों में अपनी गरीबी बताकर अनपढ़े दाखिल होजाते हैं और फिर पुस्तक, फी कपड़े आदि नाना प्रकार के बहानों से एक एक छात्र अनेकों जगह से छात्र वृत्तियों प्राप्त कर लेता है और फिर उसमें भोजन शौक उड़ाता है, कतिपय चतुर चालाक छात्र, तो छात्रावस्था में इतना मामिक प्राप्त करके खर्च करते हैं, कि वे उतना क्या उसमें पौना आधा भी विद्यार्थी जीवन के बाद पैदा नहीं कर सकते और बिचारे बहुत से बिना मदद के पढ़ना छोड़ बैठते हैं। ये छात्र अपने दातारों से सीधा मनीआर्डर मंगाने हैं, कभी २ नगर निवासी अमुक जनों के पैसे से मंगाने हैं जिससे संस्था के संचालकों को पता न लगे, ये दातारों को लिख देते हैं, साहित्य कृपया हमारे गृहपति या अधिष्ठाता व मन्त्री आदि को मालूम न होने दें, अन्यथा वे संस्था में जमा कर लेंगे, मुझे कुछ न मिलेगा, गृहपति मुझसे नाराज रहने हैं, मैं उनका निजी काम नहीं करता हूँ, हमसे वे नाराज रहने हैं इत्यादि बातें बनाकर मतलब साध लेते हैं, ऐसी दशा में दातारों का कर्तव्य है कि वे छात्रवृत्तियाँ तथा अन्यान्य प्रकार से विद्यार्थियों और संस्थाओं को सहायता तो अवश्य दें, परन्तु विवेक पूर्वक खूब छान-बीन करके संस्थामंचालकों के द्वारा ही दें, संस्थामंचालकों की शिफारिस के बिनाय न दें, क्योंकि जितनी स्वास्थ्य सामाजिक संस्थाएँ विद्यालय, गुरुकुल, आश्रम आदि हैं उनमें तो छात्रों को भोजन वस्त्र पुस्तकादि प्रायः सभी खर्च संस्थाओं में ही होता है, हजामत व वस्त्रादि घोंगे का भी खर्च संस्थाएँ करती हैं, तब उनको और किस खर्च की जरूरत रहती है कि जिसके लिए याचना भिन्नावृत्ति करनी पड़ती है, इसके सिवाय यदि

अच्छे नम्रों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षालयों से व संस्थाओं से पारितोषिक भी मिलता है, जो उनके विशेष साहित्य संग्रह में उपयोगी हो सकता है, इसके सिवाय माता पिता का भी तो कर्तव्य है, कि मर्यादा और समाज जब उनके बालकों का सब खर्च उठाती हैं, तो वे अपने ही आत्मजों को शक्ति अनुसार वस्त्र या पुस्तकादि में चार आना से लेकर ऊपर जितनी उनकी शक्ति हो, उसे, धर्म की दुहाईपूर्वक न छिपाकर सहायता करें, वे जब उनके जगनादि में सैकड़ों हजारों खर्च कर सकते हैं, नुकते आदि मौसरो में लगा सकते हैं, तब अपने बालकों की पढ़ाई में क्यों नहीं लगा सकते ? क्यों वे समाज को धोखा देने हैं ? मार्वाजनिक रयया खीचने की जघन्य भावनाएं रखते हैं ? अपने बालकों में दीनता, याचना, भीरुता, उल आदि दुर्गुण बढ़ने का अवसर क्यों देने है ? सभी माता पिता, सर्वथा, असमर्थ नहीं होते, न सभी बालक अनाथ होते हैं और जो वास्तव में असमर्थ या अनाथ हैं, परन्तु होतहार बालक हैं तो उनका पूरा पूरा खर्च संस्था को ही करन्य चाहिए, ताकि बालकों में याचनादि दोष न आने पावें, वे दीन कायर न बनें, यह स्मरण रहे कि "जब तक बालक स्वपुरुषार्थ से कमाना नहीं जानता और वह विद्यार्थी है, तो उसके भोजन वस्त्र, पुस्तकों की आदि जरूरी कार्यों को सुयोग्य व्यवस्था करना चाहिए, परन्तु नकद पैसा रुपया कभी न देना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते रुपया कैसे आता है, इसकी क्या कीमत है ? इसलिए बिना परिश्रम के कमाया हुआ (भले ही घर का हो या समाज व संस्थाओं का ) रुपया अनावश्यक रीत्या उड़ा देंगे, इतना ही नहीं, किन्तु भय है कि कहीं इस रुपये से वे किसी व्ययनादि में न फँस जावें, नाटक सिनेमा देखने २ इधर उधर भी देखने लग जावें, इसलिए नकद रुपया उनको खर्च के लिए देना ही नहीं, परन्तु उनकी आव-

श्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर देना चाहिए, जिससे उनको विद्या की प्राप्ति में वृष्ट भी न हो, वे निर्विघ्नतया निश्चित होकर पढ़ें और व्यसनादि से बचे रहें” ।

उदार दानी समाज का इस बात पर ध्यान रहना जरूरी है, उनको मात्र बालक के दीनताभरे पत्रों पर ही वरुणा न आना चाहिए, किन्तु विवेकपूर्ण करुणा होना और खोज काके ही छात्र वृत्तियां देना चाहिए और संस्थाओं के मुख्य संचालकों द्वारा, छात्र वृत्ति पाने वाले छात्रों से मासिक वित्ताभ भी प्राप्त करना चाहिए, उस वित्ताभ पर संस्थाओं के मु० मना० के हमनाक्षर देखना चाहिए और जो खर्च हुआ है उसके औचित्यार्थावय पर विचार करना चाहिए, तथा जिस बात न संदेह हो उसका खुलासा पूछना चाहिए, यदि खुलासा ठीक न हो तो छात्रवृत्ति उम्की बंद कर दूसरे छात्र को देना चाहिए, उचित अनुचित यों विवाग जा सकता है, कि साधारणरीत्या, कपड़े की धुलाई देगी धोबी को )। या )। फी कपड़ा देनी पड़ती है, परन्तु उन्हीं कपड़ों को कम्पनीमें धुलाने से अधिक धुलाई लगती है, साधारण हजामत -) में होती है, परन्तु हेयर कटिंग सेलून में बाल कटाने का चार्ज बहुत अधिक लगता है, सिगाई का भी यही हाल है सामान्य दूकानदार दर्जे कम पैमे में सीं सकता है, परन्तु कम्पनी ( ट्रेटर ) में अधिक चार्ज किया जाता है, देशी खहर बहुत दिन चलने वाला, परन्तु साधा होता है, परन्तु विदेशी कपड़ा चमकदार साफ कम चलने वाला होता है, गरीब रक्षा दोनों में होती है, इत्यादि बातें ऐसी हैं कि जिनके जांच काने की खास जरूरत है, ऐसा अनावश्यक खर्च या मौज शौक, जब चाहे, छात्र कर सकता है, जब आवश्यकता से अधिक द्रव्य उम्को एक या अनेकों जगह से प्राप्त होना है ।

प्रायः बहुत से विद्यार्थी अनेकों स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं और जिम्की खबर छात्रवृत्ति देने वाले सज्जनों को मालूम नहीं पड़ती, छात्र तो उनको प्रकट नहीं करते और वे ( दातार ) पूछते नहीं हैं, इस प्रकार से द्रव्य का दुहरयोग ता होता ही है, साथ ही बालकों में फंशन आदि दुर्गुण बढ़ जाते हैं, वे फिजूलखर्ची हो जाते हैं, और उनके भावी जीवन के दुखद या पापमय हो जाने की संभावना हो जाती है। इसलिए छात्रवृत्ति देते समय यह भी जान लेना चाहिए, कि छात्रवृत्ति मांगने वाला छात्र अन्य स्थानों से भी छात्रवृत्ति लेता है क्या ? और ऐसी शर्त भी कर लेना जरूरी है, कि यदि हमको पड़े यह विदित हो जायगा, कि और स्थान से भी छात्रवृत्ति लेता है तो हम आगामी कालमें तो छात्रवृत्ति वांद करही देंगे, परन्तु पिछली दी हुई छात्रवृत्ति भी तुममें बाकायदे वापिस ले लेंगे, इत्यादि। मैंने यहां विशेषकर प्राइवेट संस्थाओं के, संस्कृत तथा धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर ही विशेष लक्ष्य करके लिखा है, परन्तु उससे, पाश्चात्यविद्यालयवासी या उद्योग हुनर सीखने वाले छात्र बच नहीं जाते, वे चाहे बोर्डिंगों ( जैन छात्रालयों ) में रहने हों या उसमें बाहर, परन्तु वे तो हम विषय में निपुण और पालिसीबाज ( चतुर ) होते हैं, इसलिए वे तो बहुत अधिक और अधिक स्थानों से बढ़ी युक्ति से राजी करके छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त कर लेते हैं और इनसे अधिक अनावश्यक खर्च करते हैं, इस पर धर्मशिक्षा लेने में या तो कतई इन्कार ही कर देते हैं या बेगार समझ कर केवल इसलिए लेते हैं कि छात्राश्रम का नियम है, उसको पालन करना ही पड़ेगा। अन्यथा यहां रह नहीं सकेंगे इत्यादि। अभी हाल का ही एक दृष्टांत है—दो विद्यार्थी एक बोर्डिंग में तीन मास से रहते थे, वे स्वखर्च से रहते और अपना भोजन आपही बनाकर जींमते थे, किन्तु बोर्डिंग

अधिकारियों ने उनको रहने का मकान इस शर्त पर दिया था, कि वे नियमानुसार धर्म शिक्षा लेते रहें, इसलिए गृहपति ने उनमें कड़ा कि आप लोग धर्म-क्लास अटेंड कीजिए, ऐसा कहकर धर्म पुस्तक भी मंगादी, तो वे बोले, कि हमको इतना टाइम (समय) नहीं है, गृहपति ने कहा—अच्छा एक सप्ताह में केवल तीन दिन आधा आधा घण्टा ही धार्मिक व्याख्यान सुन लिया करो। विद्यार्थी साहेब-कोशिश करेंगे, परन्तु आप नहीं। इस पर गृहपति ने कायदे के अनुसार उनको तार्कीक की, तो वे धर्म पुस्तक पीछे देने को आए कि इसकी हमको जरूरत नहीं, हम बोर्डिंग का स्थान खाली कर देंगे, और उसी दिन करीब दस रुपया मासिक का कोई मकान भाड़े पर लेकर अन्यत्र रहने लगे परन्तु धर्मशिक्षा लेना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार एक विद्यार्थी, जिसने औद्योगिक शिक्षा इसी बोर्डिंग में प्राप्त की थी, किन्तु प्रैक्टिकल कार्य सीखने किसी अन्य औद्योगिक कारखाने में जाता था, उन्होंने छः माह की छात्रवृत्ति [अमुक रकम में नकद] एक प्रसिद्ध संस्था से मंगव ली थी, वे दो माह रहे, धर्मशिक्षा तो नहीं ली, परन्तु शेष छात्रवृत्ति जो अगाऊ प्राप्त काली थी, लेकर चले गये। ऐसे दृष्टान्त तो बहुत हैं, हुए हैं और मावधानी न रखी जावेगी, तो होते ही रहेंगे और उनके बदले बेतारे सज्जन होनहार ताच्छुबुद्धि, किन्तु आत्मगौरव रखने वाले विद्यार्थी विद्या व उद्योगशिक्षा-विहीन ही रहा करेंगे।

इसलिए समाज के द्वितीय उदार पुरुषों को सहायता से हाथ नहीं खींचना चाहिये किन्तु मावधानी से विवेकपूर्वक और भी देने उपाह से विद्योन्नति में द्रव्य का दान करना चाहिये, इस प्रकार विद्यार्थियों के सुधारसम्बन्ध में कुछ कह कर अब संस्थाओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहकर वक्तव्य पूरा करेंगा।

किसी भी प्रकार के विद्वान् हों, वे सब, किसी न किसी, छोटी बड़ी प्राइवेट, सार्वजनिक या राजकीय आदि संस्थाओं के द्वारा ही तैयार होते हैं, इसलिए इन होनहार समाज के भावी कर्णधार विद्वानों के विषय में संस्थाएं पूरी जवाबदार हैं। यदि उनसे निकलने वाले छात्र (विद्वान् सुयोग्य, सदाचारी, धर्मात्मा, समाज और देश के सेवक, होते हैं, तो वह संस्था उत्तमोत्तम गिनी जाने लायक होती है, परन्तु इसके विपरीत, जिस संस्था से स्वच्छ, फैसनेबल फिजूलखर्ची, स्वार्थी पढ़े लिखे निकलते हैं, वह संस्था निरा है, हेय है।

इसलिए संस्थाओं के विषय में विचार करना चाहिए, कि संस्था किसे कहते हैं? क्या सुरंग्य स्थान में सुन्दर मकान के अन्दर चतुराई से मजाये हुए फरनीचर आदि को संस्था कहते हैं? या विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबन्धक और संस्थापक आदिके समुदाय को कहते हैं?

उत्तर—मकानादि तो जड़ वस्तुएँ हैं, उनका समुदाय संस्था नहीं हो सकती, किन्तु छात्र, अध्यापक, प्रबन्धक आदि का सुसङ्गठित समुदाय ही संस्था कही जा सकती है, वास्तव में प्रबन्धकों द्वारा समुचित प्रबन्ध होते हुए, सुयोग्य, सदाचारी, स्वावलम्बी, सादगीपसन्द, ध्यालु, सत्यवादी, प्रामाणिक, निर्लोभी, अध्यापकों द्वारा ( जो अन्तरंग से छात्र हितैषी हों ) जिज्ञासु सुशील छात्रों को, उनके भावी जीवन पर दृष्टि रखते हुए, इस लोक और परलोक सम्बन्धी उत्तम शिक्षा जहाँ से प्राप्त होनी हो, उसे संस्था कहने हैं? फिर ऐसी शिक्षा भले जंगल में, झाड़ों के नीचे या टूटी फूटी पर्णकुटियों में मिलती हो, तो भी वह संस्था मराहनीय है, परन्तु यदि कायरता, अविनय और कुशीलता की वर्द्धक शिक्षा, उत्तम महलों में भी मिलती हो तो वह संस्था कहलाने योग्य नहीं है।

खेद है, कि आजकल बड़े २ शिक्षाविशारद नाना प्रकार की नयीर शिक्षा को स्कूलों में बनाते हैं, जिनमें रुपया भी खर्च होता है, परन्तु फिर भी शिक्षा से कोमों दूर भागते जाते हैं, आज से २०-२५ वर्ष पहिले के मिडिल या मैट्रिक पास बालक, आज के बी० ए-एम० ए० आदि के छात्रों से कहीं अधिक लियाकत ( योग्यता ) रखते हैं, पुराने अपढ़ ( धोड़ी शुद्ध या अशुद्ध हिन्दी लिख लेने या बांच लेने वाले, जिनको आजकल के नवयुवक शिक्षित ओल्डफूज ( Old fool ) कह कर सम्बोधन करते हैं) समस्त व्यावहारिक और व्यापारिक हिमाय आदि मिनटों में लगते हैं, अपनी बुद्धिबल से हजारों लाखों का व्यापार करते हैं, परन्तु आजकल के प्रोजेक्ट वे ही मामूली हिस्से घण्टों में कागज पेन्सिल की मदद से भी ठीक २ नहीं लगा सकते । अपना व अपने कुटुम्बियों का उदरनिर्वाह करने तक को अममर्थ हैं, यही दशा संस्कृतविद्याभ्यासियों की है, पुराने थोड़े पढ़े लोग पदार्थ का स्वरूप जिस सूची के साथ समझा सकते हैं, ग्रन्थों को लगा सकते हैं, उसे देख कर ये डिप्री प्राप्त तीर्थ आदि मुंह में उंगली दबाने हैं, इनको न पंक्ति का अर्थ लगाना आता है न भाव ही बैठे सकते हैं, फिर भी पण्डितपने के अभिमान में संसार को मूर्ख ही मान लेते हैं, जिन समाज की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की है, उमी समाज की बुराई तो करते हैं, परन्तु उसकी सेवा करके बुराईयां दूर करने को कटिबद्ध नहीं होते दान करना तो ये दोनों प्रकार के विद्वान् जानते ही नहीं, ये लम्बी चौड़ी रिपोर्ट बनाकर अपील करना और दूसरों से दया या मान उत्पन्न कराकर पैसा बटोर लेने हैं, परन्तु आप कभी किसी अपील में कुछ भी देना नहीं चाहते, न देते ही हैं और न शरीर से ही कुछ समय बचाकर समाज की सेवा करते हैं । इसकी खानिरी संस्थाओं के दातारों की सूची निकालकर कर लेना चाहिए ।



और ताजा दृष्टांत अभी जैन कालेज के आन्दोलन को ही देख लीजिए, कि जब मान्यवर न्यायाचार्य, परिषदतवर्ध रणेशप्रसाद जी वर्णी ने इसका आन्दोलन उठाया तो उनके वयोवृद्ध अनन्यमित्र त्यागमूर्ति बाबा भागीरथजी वर्णी ने समर्थन किया और साथ देने को तत्पर होगये, मुझे भी उनकी आज्ञा और विचार स्वीकार थे, इसलिए मैं भी साथ हो लिया और भी दो चार त्यागी ब्रह्मचारियों ने वचन दिये, कार्य आरम्भ किया गया और दिल्ली आदि स्थानों से लगभग ५५००० रु० के ढाचन भी मिल गए, तब एक व्यवस्थित संयोजक कमेटी की आवश्यकता पही कि जिसके दफ्तर में बाकायदे कार्यवाही होने लगे, इसके लिए ११ आदमियों की जरूरत थी, जो १०००) एक एक हजार रुपये देकर उसके सदस्य बने व रकम से कार्य आरम्भ, दफ्तर खर्च और दीर्घ खर्च आदि चले, परन्तु मात्र २-३ सज्जनों के भिवाय बहूतों ने तो उत्तर तक देने की कृपा नहीं की और कुछ सज्जनों ने रकम देकर सदस्य होने से इन्कार कर दिया, किसी ने तो मात्र स्कीम बना देने का सम्मत देना स्वीकार किया, किसी ने कालेज खुल जाने पर आनरेरी अध्यापक होना स्वीकार किया, तब शारीरिक भ्रम पर बात आई कि सन्दे के डेपूटेशन में ग्रामोग्राम व नगरोनगर कम से कम वे सज्जन कि जिनको घर खर्च चलाने या नौकरी की चिन्ता नहीं है, आवें और अमुक रकम भगाने के बाद वसूली करके कार्य आरम्भ किया जाय तो भी किसी सज्जन विद्वान् ने कृपा नहीं की। उक्त त्यागीगण गर्मी जाड़े पानी में लगभग १ साल खवचनानुसार फिर फिराकर बीमार पड गए और कार्य जहां का तहां रहा, सब भ्रम और प्रकार अरथयरीदनवन व्यर्थ गई। यदि विद्वान् लोग इस कार्य को हाथ में ले लेते और तन धन से यथाशक्ति मदद करते तो क्या एक जैन कालेज ही जाना कठिन था ? परन्तु पेसा क्यों हुआ ! विद्वानों

में त्यागभाव, संयमभाव, सहिष्णुता, धीर वीरता आदि भाव क्यों नहीं उत्पन्न होते ? इसका कारण विचारने से यही निकलता है कि इनकी शिक्षा जिस ढंग से हुई व हो रही है या जिन संस्थाओं से ये तैयार होने हैं, उन संस्थाओं के ढंग ऐसे त्रिचित्र हैं कि उनके संचालकगण अपनी किसी प्रहार की जिम्मेदारी ही, इन होनहार भावी विद्वानों के विषय में नहीं समझने, पुस्तकीय पाठ पढ़ाकर परीक्षा देना देना, उनका मात्र कर्तव्य रह गया है, विश्वविद्यालयों और परीक्षालयों ने, पठनक्रम बना देना, परीक्षा ले लेना, उत्तीर्णताप्राप्त विद्वानों को प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा आदि दे देना मात्र कर्तव्य समझा है ? क्या कोई विश्वविद्यालय ( परीक्षालय ) कालेज ( महा-विद्यालय ) हाई स्कूल ( विद्यालय ) स्कूल ( पाठशालाएँ ) बोर्डिंग ( छात्रालय ) अनाथालय, ब्रह्मचर्याश्रम, ( गुरुकुल ) कन्या विद्यालय, महिलाश्रम आदि साइस के साथ यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं ? कि हमारे यहाँ से निकले हुए छात्र-छात्राएँ आदि विद्वान् सुयोग्य सदाचारी प्रामाणिक ही होते या होंगे, उनके द्वारा कभी देश समाज तथा धर्म पर कलङ्क न आवेगा, वे स्वावलम्बी, वीर दुःस्वसहिष्णु, साहसी, बलवान् देश-धर्म और समाज के निःस्वार्थ सेवक ही होंगे ? कोई नहीं, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी आदर्श शिक्षा और शिक्षकों का प्रबन्ध नहीं है, और शिक्षा का स्तर इतना अधिक बढ़ता जाता है, कि गरीब और साधारण स्थिति के बालक तो हानहार होते हुए भी द्रव्याभाव से शिक्षा नहीं ले सकते और श्रीमानों के बालक या धर उधर से मांग-भूंग कर कठिनाई से प्रबन्ध करके पढ़ने वाले बालक, किसी प्रकार शिक्षा लेते हैं, सो किनाबे, फी आदि के अनिरीक, गेम फी, क्लब फी, वस्त्र, भोजन, मिलाई, धुलाई, इत्रामत आदि में इनका इतना मासिक खर्च हो जाता है कि परीक्षोत्तीर्ण होने पर फिर

कमा भी नहीं सकते, साथ ही आराम तज्ञ व फैसनेबुल, इतने हो जाते हैं, कि इनसे थोड़ा भी बजन नहीं उठता, छोटा मोटा परिश्रमी काम नहीं हो सकता और बेकारी बढ़ती चली जाती है, कम ग्वर्च से निर्बाह नहीं होता, इच्छानुसार प्राप्ति नहीं होती, तब लाचार हो यदि शर्मदार हुए तो आत्म-घात का सहारा लेने हैं या फिर कोई ऐसा कलंक लगाने वाला कार्य बर बैठते हैं । कुछ योग्य बुद्धिमान् अच्छे घराने के ( कुलीन ) होते हैं, वे आजीविका भी योग्य प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उनका द्रव्य, मात्र पृथोआराम में ही लगता है । धर्म समाज व देश के अर्थ उनके पास देने का न द्रव्य है न समय है । 'साँ में सती, लाख में जती' के अनुसार सौभाग्य से कोई धार्मिक उदार दानी, संयमी, धर्म देश समाज के मच्चे हितेषी सेवक भी निकल आते हैं, परन्तु वे बहुत कम ( नगण्य ) जानना चाहिए, सो उनका श्रेय संस्थाओं को नहीं है, न अध्यापकों को ही है, किन्तु उनके कुलीनपने को है, या समय २ पर होने वाली घटनाओं के, उनके हृदय पर पड़े हुए, विशेष प्रभाव का है, जो वे निराशा में आशा रूप निकल आते हैं ।

इसलिये संस्थाओं को अपना सुधार करना चाहिए, आजकल शिक्षासुधार सम्बन्धी बड़ी २ चर्चाएँ होती हैं, पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, विश्वविद्यालयों में भी बड़ी २ सभाएँ ( सीनेट मिडिकेट ) वर्गः भरती हैं, उनमें प्रायः देशी विद्वान् ही अधिक संख्या में रहते हैं, दिनोंदिन सुधार सम्बन्धी स्कीमें सोची जाती हैं, शिक्षा के नाम पर लाखों रुपया खर्च भी किए जाते हैं फिर भी शिक्षा की अधोगति ही होती जाती है, आज से २५ वर्ष पहिले, मामूली एंग्लोवर्नाक्यूलर अपर प्रायमरी पास बालक जितनी योग्यता, मात्र २-३ वर्ष में प्राप्त कर लेता था । खेद है, कि आज इतना सुधार हो जाने पर भी उतनी

योग्यता बालक में मिडिल पास कर लेने पर भी नहीं हो पाती, उस समय का मेट्रिकुलेशन या नॉन मेट्रिकुलेशन आज कल के प्रिजेंट की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता रखता था, इस में बात यह थी, कि पठनक्रम ( कोर्स ) का भार तो कम था और फीस वगैरह भी थोड़ी थी, रहन सहन सदा था, आवश्यक विषयों पर शिक्षकों का अधिक लक्ष्य रहता था, कोर्स ( पठनक्रम ) भी बहुत वर्षों तक पुराना रहता था, इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी को हितकारी पढ़ना था, अध्यापक लोग उन ग्रन्थों का खूब मनन कर सकते थे नए विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों से सहायता प्राप्त कर सकते थे इसके सिवाय पुराने विद्यार्थियों की पठित पुस्तकें भी मन्ने दाम पा या मुफ्त में नये विद्यार्थियों को मिल जाती थीं, इस प्रकार की पढ़ाई होने से विद्यार्थियों को पढ़ने और मनन करने का सुखवसर प्राप्त हो जाता था, परन्तु आजकल नया नया कोर्स बदलता रहता है और कोर्स में भी इतनी अधिक पुस्तकें होती हैं, कि विद्यार्थियों का दिमाग चक्कर खा जाता है और प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की पुस्तकें बदल जाने से वह रुपया बेकार तो जाता ही है, परन्तु साथ ही प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में उसी कक्षा की परीक्षा देने के लिए सभी पुस्तकें नयी ही पढ़नी पड़नी हैं, इसलिए वह अपने पठित ग्रन्थों को पुनः दुहरा नहीं सकता, अपने कर्च रहे हुए विषयों को पकके नहीं कर सकता और नये नये कोर्स का भार ऊपर आ पड़ना है, साथ ही और भी अनेकों प्रकार के खर्च बालकों के संरक्षकों के ऊपर आपड़ने हैं, जिनसे घबरा कर या तो बालक स्वयं ही अथ कचरी शिक्षा पाकर घर बैठ रहना है या माता-पितादि संरक्षक उमे घर बैठ लेंगे हैं। खेद तो यह है, कि इस बेकारी के जमाने में शिक्षा का खर्च बढ़ता ही जाता है, वह महंगी होती जाती है और फिर भी बालकों को सर्व-होन कायर परमुखापेक्षी

बना देती है. एक मामूली सी जगह नौकरी वी खाली होने पर सैकड़ों पढ़े लिखों की अर्जियां आजाती हैं उन पर अच्छे २ लोगों की शिफारिस भी हो रही है, परन्तु वे वर्तमान के शिक्षित विद्वान् कोई भी शारीरिक परिश्रम या मजूरी का कार्य करना नहीं चाहते या यों समझना चाहिए, कि इनसे परिश्रम होना ही नहीं है, इनकी शिक्षा ने इनको इनना निर्बल और मिथ्यालज्जालु बना रक्खा है, कि ये कुछ भी परिश्रमकार्य नहीं कर सकते और तो क्या रेलवे या मोटर स्टेशनों पर ये लोग अपना विस्तर वर्गों मामूली सामान भी चढ़ा या उतार नहीं सकते, इनको इसके लिये कुली की जरूरत पड़ती है, खाने से कई गुणा ऊपरी कपड़े, हजामत आदि फैशन का खर्च बढ़ा हुआ रहता है, डाक्टरों के बिल हमेशा चढ़े रहते हैं, परन्तु क्या शिक्षा संस्थाएं कभी भी इन बातों पर विचार करती हैं? क्या उन्होंने अपने छात्रों पर इस बात का असर डालने का कोई उपाय काम में लिया है, कि उनके बालकों पर यह फैशन का भ्रम सवार न होने पावे, वे स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी लिवाय ही पहिरें, वे शरीर से दृढ़ बनें, स्वावलम्बी बनें, भूखी लज्जा को छोड़ कर स्वात्मगौरव वाले, स्वदेश गौरव वाले बनें, नौकरी (गुलामी) की रूपला महानत मजूरी को श्रेयस्कर समझें, अपने बच्चों व गुरुजनों का सम्कार या विनय करना सीखें, अपनी विद्या और बुद्धि का सदुपयोग, अपने ता. अपने धर्म समाज और देशके लिये करने के लिये कटिबद्ध रहें इत्यादि। उत्तर मिलता है नहीं। क्योंकि वे अपना उत्तरदायित्व ही इन विषयों में नहीं समझते हैं अभ्यापकगण अपने विषय के लेखक दे देना मात्र या पढ़ा देना मात्र ही अपना कर्तव्य समझते हैं, वे इन व्यावहारिक जीवनोपयोगी विषयों की ओर तो कभी फूटी आंख से नहीं देखते, इतना ही नहीं, किन्तु वे इन बातों को बाह्यगत ( बेवकूफी ) की बातें समझते

हैं, क्योंकि वे भी तो इसी प्रकार से ऐसे ही वातावरण में शिथिल हुए हैं, वे भी तो फैशन के भूत से प्रभावित हैं विनय या देश धर्म जाति सेवा से कोमों दूर हैं, अपने ऐशो-आराम में ही मग्न हैं भारत के एक प्रसिद्ध नगर के सरकारी कालेज में १ जैन प्रोफेसर D. Sc. ( डाक्टर ऑफ साइन्स ) हैं, वहाँ के स्थानीय जैन छात्राश्रम के कुछ छात्र उनसे बंगले पर मिलने गए, तो आपने कह दिया कि मैं धार्मिक या सामाजिक विषय में कुछ भी बात करना नहीं चाहता, बस ! वे विद्यार्थी वहाँ से बैरंग लौट आए, ये ही प्रोफेसर सा० मोटर में बैठकर अपने पिता को बोर्डिंग के दि० जैन चैत्यालय में दर्शन कराने ले गए, सो इनके पिता जी, मोटर से उतरते ही दर्शन कर आए, परन्तु आपने मोटर से उतरने व दर्शन करने का कष्ट न उठाया और यों ही पिता को लेकर वापिस बंगले पर चले गए. भला जब अध्यापकों का यह हाल है, तो विद्यार्थियों को उन से कुछ कदम आगे होना ही चाहिए। यह तो हुई राजकीय पाश्चान्यशिक्षाप्रदायक संस्थाओं की बान ?

अब जरा प्राइवेट, देशी और सामाजिक संस्थाओं पर भी दृष्टि डालिए तो वहाँ भी विलक्षणता नजर आयेगी, सबसे रहिले हम बोर्डिंगों ( छात्रालयों ) पर ही दृष्टि डालते हैं, इन बोर्डिंगहाउसों या होस्टलों का उद्देश यह था, कि हम वर्तमान समय में पाश्चान्य (इंग्लिश) विद्या का पढ़ना पढ़ाना तो अनिवार्य होगया है, इसलिए हम से तो किसी को रोकना नहीं जा सकता और न रोकना उचित ही है, इसलिए, इन कालेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे छात्राश्रमों की योजना कर देना चाहिए कि जिस से पाश्चात्यविद्याभ्यासी बालक पाश्चान्य-शिक्षा तो ले सकें, परन्तु उनकी संस्कृति भारतीय ही बनी रहे, वे धार्मिक शिक्षा, क्रिया और आचरणों से वंचित न रह सकें, वे सदाचारी, सुशील,

तथा स्वावलम्बी बने रहें और अपने उच्च ध्येय (धर्म समाज और देश सेवा) को लिए हुए, अपने को इसके योग्य बनावें, परस्पर प्रेम से रहें, कम खर्च करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इत्यादि उनका उद्देश था, जो नियमावली में प्रायः छुपा भी रहता है, परन्तु जब इन छात्रालयों की प्रणाली (जो चलरही है,) पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रायः इस उद्देश्य के विपरीत ही मामला नजर आता है बालकों की फैशन किसी तरह भी कम नहीं होती, खर्च भी उनके घटने नहीं है, धार्मिक क्रियाएं भी नहीं सुधरती, धर्मशिक्षा लेना तो बेकार ही सम्भ्रमा जाता है, रात्रि में भोजन करना, अभिषेक स्नाना आदि बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, अधिकारीवर्ग छात्रों से डरता ही रहता है और उनके विपरीत आचरणों की उल्टी पुष्टि कर देता है। एक सत्र से पुराने बोर्डिंग में एक कालेज का छात्र अपने कमरे में टेबिल, कुर्सी पर जूते आदि पहिरे हुए रात्रि को लगभग ६ बजे खाना खा रहा था, वहां सुपरिन्टेन्डेंट बोर्डिंग चला गया और बोर्डिंग के नियम विरुद्ध उसको रात्रि में खाने के लिए मना किया। इस पर उस छात्र ने सुपरि० को यह कहने हुए धक्का देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, कि तुम विदाउट माय परमिशन ( बिना मेरी आज्ञा ) के मेरे रूम में क्यों आए ? गो आउट ( निकल जाओ ) इस पर सुपरि० ने बोर्डिंग अधिकारियों को रिपोर्ट की, परन्तु बोर्डिंग अधिकारियों ने उल्टी सुपरि० की ही भूल बताई, उसे ही डाटा और छात्र को कुछ भी न कहा, किन्तु छात्र के अनुचित कार्य का अनुमोदन कर दिया, इस प्रकार सुपरि० अपना सा मुंह लिए रह गया और नौकरी से भी वंचित कर दिया गया। एक बोर्डिंग में कुछ छात्रों ने सुपरि० के विरुद्ध शिक्षायन की "कि हमको गेम्स (खेल) के लिए टायम ( समय ) नहीं मिलता, यदि हम कभी गेम्स में रह जाते हैं, तो शाम होजाने पर सुपरि० भोजनालय बन्द करा देते हैं और हमको भूखा रहना

पड़ता है," इस पर अधिकारियों ने सुपरि० को डाट कर लिख दिया कि छोकरी का कहना ठीक है, इसलिए उन को रात्रि में भोजन न करने पर जोर न दिया जाय, भोजन रक्खा रहे और जब वे आवें तब खालें. इसी प्रकार धर्म शिक्षा के लिए भी कह दिया, कि उन को स्कूल में बहुत परिश्रम पड़ता है इसलिए धर्मशिक्षा के लिए दबाया न जाय, वे जब जितना पढ़ें, पढ़ा दो, दबाव मत दो। एक दि० जै० बोर्डिङ्ग में एक अजैन मास्टर आनरेरी सुपरि० नियुक्त हुए उन का हाथ खर्च निज के लिए लगभग ४०) मासिक होता था, तो भी आनरेरी थे, उन्होंने बोर्डिङ्ग में बहु संख्या अजैनों की करदीं और पर्युपणा पर्व त्रिवर्षों में ( भारी सुदी ४ से १५ तक ) बोर्डिङ्ग के, एक ऊपर के कमरे में गणपति ( गणेश ) की लम्बोदरी भूडवाली प्रतिमा स्थापित करदी और गणेशोत्सव मनाया गया, जिसमें जैन छात्रों को सम्मिलित होना आवश्यक रक्खा गया था। एक बोर्डिङ्ग में मट्टेबाज सुपरि० नियुक्त था। एक बोर्डिङ्ग के धर्म-शिक्षक पंडित धर्म-नस्नों के विरोधी हैं, वे स्वयं जंतान्ध धर्म का खंडन करते हैं और अरना नया ही पंथ निकाल रहे हैं और अपने आप को तीर्थंकर मानने लगे हैं। एक बोर्डिङ्ग के मरा एक पी. ए. एल. एल. बी स्नाबी स्लॉटर हैं, आप स्वयं देव-दर्शन नहीं करते और धर्म से कुछ भी लाभ नहीं होता ऐसा मानते हैं। प्रायः सभी बोर्डिङ्गों में सरकारी कालेज या स्कूली परीक्षा से ३ माह पहिले ही धर्म शिक्षा तो बन्द कर दी जाती है, साथ ही धर्म शिक्षा न लेने, या फंदा हो जाने पर छात्रों को कुछ भी नहीं कहा जा सक्ता है। तात्पर्य—अन्यान्य बोर्डिङ्गों से सामाजिक व धार्मिक बोर्डिङ्ग में नाम मात्र ही विशेषता होती है, यहां भी उनके चरित्र व धार्मिक आचरणों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाला जाता और इस प्रकार ये भी उनकी पारचायशिक्षा व संस्कृति के पोषक तो होते हैं, परन्तु सदाचार, धार्मिकता, मितव्ययता, स्वावलंबन, विनय,



सन्धता, परोपकारिता, दया, लज्जा आदि गुणों को बालकों में उत्पन्न करने में शिक्षित पाए जाते हैं, अर्थात् इन बातों के लिए ये उत्तरदायित्व नहीं रखते या वे इन बातों को व्यर्थ समझते हैं, जबकि संस्था के संचालक ही धर्म में शिक्षित विचार रखते हों, तो उसके छात्र-छात्राणु अवश्य ही धर्म विरोधी भाव रखेंगे, ऐसी दशा में इन बोर्डिंग हाउसों से क्या लाभ हो सकता है जो समाज विचार करे। यं किन्हीं २-४ बोर्डिंग हाउसों की परिस्थिति का ही दिग्दर्शन कराया गया है।

बोर्डिंग हाउस, उपरोधी संस्थाएँ हैं यदि उनके संचालक उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते करते रहें, गवर्नमेंट की संस्थाओं के समान, इन के भी नियमों का पालन ठीक २ कराते रहें, सुयोग्य गृहपति की नियुक्ति करें, धर्म-शक्त स्वयं धर्मात्मा अनुभवी विद्वान हों, जो बालकों को आधुनिकीया धर्म-तत्वों का ज्ञान करा सकें, उन के प्रश्नों का प्रेम से विद्वाना के साथ आगम से अविरोध युक्तियों और अनुभव से दृष्टांत पूर्वक समाधान कर सका हो प्रभावशाली हो, धर्म-शास्त्रों का पूर्ण परिचय होते हुए भी, पाश्चात्य विद्या में भी दक्ष हो, प्रेमालु, धीर और गंभीर स्वभाव वाला हो, स्वावलम्बन और आदरणीयमन्द हो, वह नौकरी के लिए नहीं, किन्तु अपना कर्तव्य समझ कर ही धर्मोपदेश देता हो, श्रद्धालु और सच्चरित्र हो। इन बोर्डिंग हाउसों के नियम गुरुकुलों के समान हों, इन का खान पान, रहन सहन सब स्वदेशी हो, खेल-कूद भी स्वदेशी हो, इन की भाषा-भंगी स्वदेशी हो, स्वदेश के लिए ही इन का अस्तित्व हो, इन के कार्यकर्ताओं का चुनाव, बड़ी बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए और गृहपति धर्मोपदेशक स्वयं जांच कर रचना चाहिए, क्योंकि बालकों पर इनका प्रभाव पड़ता है, इस पर भी सत्य २ पर वास्तविक जांच पड़ता है। (सुप-

चाईजर ) बहुत बुद्धिमान, गभीर और पक्षपातरहित होना चाहिए, अन्यथा वास्तविक जांच न हो सकेगी, झूठे और मुंहजगे चापलूस वाजी मार ले जायंगे और सब्जे दंडित होकर कार्य से उदास हो अपने दिन काटेंगे । एक संस्था के ( विद्यालय के ) सुपरि० से बात हुई, मैंने पूछा क्यों बाबूजी आपकी संस्था के बालक इतने स्वच्छंदी और अत्रि-नयी बन गए हैं, आप इस पर क्यों ध्यान नहीं देते ? उत्तर—महाराज मैंने अपनी नौकरी के प्रारंभिक वर्ष में नियमों के अनुकूल कहीं दृष्टि रखी और नियमानुकूल काम चलाया, परंतु फल विपरीत हुआ, लड़के सब विरोधी बन गए, नियम झूठी और कल्पित बनावटी शिकायतें होने लगीं, रबोइया आदि नौकर भी विरोधी होगए और मैं विलकुल हम पोस्ट के अयोग्य समझा जाने लगा, मंत्री आदि अधिकारियों की दृष्टि में गिर गया, नौकरी से हाथ धो बैठने का अवसर आ गया, बस ! मैं चेत गया, मैंने वाजी बदलदी, शामन की दोगी ठीकी करदी, जान बूझ कर उपेक्षा भाव धारण कर लिया । तात्पर्य—मैंने अपने आपको सुपरि० के बदले आफिम क्लर्क बना लिया, बस ! थोड़े ही दिनों में मेरी गणना योग्य कुशल कार्यकर्ताओं में हो गई, छात्र, नौकर और अधि-कारी सब मेरी प्रशंसा करने लगे, आज कल सब मुझ से खुश हैं और काम भी अब कम करना पड़ता है आपने जो प्रश्न किया है हमारे अधिकारियों ने कभी नहीं किया, इसलिए मैंने तो यही सिद्धान्त बना लिया है कि खुश रखना और खुश रहना, नियम और उद्देश्य से हम को प्रयोजन नहीं जब अधिकारीगण ही उद्देश्य और नियमों के पालन करने से नाराज होते हैं, तो हम तो नौकर ही ठहरे, हम को तो उनको खुश रखना और नौकरी चलाना है इत्यादि । समाज इस उत्तर पर विचार करें और कार्यकर्ता जिन पर समाज ने विश्वास कर रक्खा है उन के कार्यों पर ध्यान दें । एक और किसी बोर्डिंग हा० के महामंत्री

जब २ बोंडिङ्ग को देखने आते हैं, तो उनका एक ही कार्य रहता है कि विद्यार्थियों में अपने प्रान्त का पक्ष भरना, वे बालकों से अथवा अन्य स्वप्रांतीय जैन व अजैन भाइयों से कहा करते हैं, कि देखो दूसरे प्रान्त के लोग हमारा पैसा ले जाते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं देते, यदि तुम सीख जाओ तो और प्रान्त वाले क्यों खा जाय ? इस प्रकार छात्रों और गृहपति में भेद बुद्धि पैदा करते रहते हैं, ये अपने प्रांत के अनुभवहीन अजैन को भी अन्यप्रान्तीय स्वधर्मा बन्धु से भी अधिक आदरणीय समझते हैं उनको अपने प्रान्तीय स्वभाषाभाषी ध्यक्ति के भारी भी दोष नहीं दीखते, परन्तु अन्य प्रान्तीय धर्मात्मा सज्जन के भी दोषों की कल्पना हो जाती है, एक बार छात्रों से पूछा, क्या तुमको गृहपति कष्ट तो नहीं देता, बालक- ना साहेब, हमको कोई कष्ट नहीं है। गृहपति तो हमको प्रेम से रखते हैं, बड़ी खबर दारी रखते हैं, यह बात मन्त्री और छात्रों की एकान्त की थी, इस समय गृहपति वहां न था, तो भी मन्त्री साहेब ने दर की बात देठ निकाली, कि गृहपति ने लड़कों पर बहुत दवाब डाल रक्खा है इस से वे दब गए हैं, अपना दुख नहीं कह सकते, बस ! गृहपति को बुलाकर सबके सामने शिखा करदी, कि तुम बालकों को बहुत दबाते धमकाते हो, जिससे वह अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते, ये तो लड़के हैं इन पर इनना दवाब देना ठीक नहीं, किसी अन्य समय लड़कों ने पूछने पर कुछ शिकायत की, बस ! तुरंत गृहपति को बुला कर डांट दिया, देखो बालकों को शिकायत न आना चाहिये, इत्यादि। इस अविचारितरम्य पक्षपात सहित मंत्री आदि के बर्ताव का छात्रगण क्यों नहीं दुरुपयोग करेंगे ? एक संस्था के अधिष्ठाता, कभी गृहपति को कुछ आज्ञा देने, जब बालक उसके विरुद्ध आज्ञा उठाते, तो कह देते, गृहपति बेवकूफ है, ध्यर्थ ही लड़कों को तंग करता है, यदि गृहपति कहता मैंने आपकी आज्ञा से किया है, तो कहते हमही को दोषी बनाते हो, हमने क्या कहा ? जब गृह० उस बात को

छोड़ देता, तो कभी आप अ कर कहनें, तुमको सौ बार कहा, कि इय प्रकार लड़कों पर नियंत्रण रखो, देखो वे यत्र तत्र फिरते हैं न पढ़ते हैं. न लिखते हैं।

गृह० आर ही ने तो उस दिन मना कर दिया था, इसलिए नियंत्रण हटा दिया गया है. अधि० बस ! तुमको काम करना तो आता नहीं, और मुंहजबरी करते हो, तुमको बुल्ल कहना ही पाप है. यदि गृह० कहता कि श्रीमान् आर्डरबुक पर लिख दिया करें, तो ठीक होगा, जिससे अपनी भूल सुधार सकूँ और श्रीमान् मेरा लक्ष्य आर्डर पर खेच सकें, तो आप नाराज होकर कह देनें, क्या मैं फूँट बोलता हूँ ? बदल जाना हूँ ? तुम्हारे लिए गजिष्टी कर दिया करूँ ? इत्यादि परिस्थिति में शिक्षक या गृहपति आदि कभी भी सुप्रबन्ध नहीं कर सकते, न कोई व्यवस्था बनती है इन निर्बल मास्टर प्राणियों के सामने जिमने मच्छा फूँटा रोना रो दिया चापलूसी करती हाँ में हाँ मिलादी, वही विजय-पताका ले भागता है, न्यायी या मच्छा मारा जाता है और फिर वड भी फूँटा चापलूस चतुर चालाक बन जाता है, यह दोष अधिकारियों का ही है।

इसलिए प्रत्येक कार्य, मनुष्य की योग्यता देखकर ही उसे सौंपना चाहिये। इस में स्वजातीय, विजातीय, स्वप्रांतीय, श्रीमान्, मम्बन्धी आदि का मुंह देखना नहीं चाहिए, सभी श्रीमान् या सभी विद्वान् सभी बातों में दक्ष नहीं होते। प्रत्येक का ज्ञान, रुचि और अनुभव जुदा २ होता है, इसलिए जो जिम् कार्य के योग्य हो, उस को वही कार्य सौंपना चाहिए, वकील को दवाखाने का सुपरवाइजर बनाने से लाभ नहीं होगा, शिक्षा खाने की मम्हाल शिक्षा खाने वाला ही कर सकता है, वह बालकों और अध्या०कों के व्यवहारों को जानता है, सेठ साहूकार सराफ आदि नहीं जान सकते, ये तो कोपाध्यक्ष हिमाब-

निरीक्षक बन सकते हैं, परन्तु समाज इसका विचार ही नहीं करती, और जिस किसी श्रीमान् या विद्वान् को चाहे जो अधिकार सौंप देती है, फिर कभी समझाल भी नहीं करती। यदि कुछ संस्था की अकीर्ति सखी झूठी सुनी, तो सहायता देने से हाथ तो खींच लेती है, परन्तु न जांच करती कगानी है, न उचित सुधार ही करती है, ऐसी दशा में संस्था सुधर नहीं सकती, इसलिए अधिकारियों और समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ।

अब विद्यालय गुरुकुल और आश्रमों के विषय में कुछ विचार करके लेख समाप्त करूंगा। ये सामाजिक संस्थायें प्रायः एक प्रकार के गुरुकुल के रूप में ही चलती जाती हैं, क्योंकि इन में अध्यापक करने वाले छात्र-छात्रायें वहीं रहते हैं और खान पानादि भी संस्थाओं की ओर से ही दिया जाता है। अध्यापक अध्यापिकायें इन को वही आकर पढ़ा जाते हैं, बोर्डिंगों की तरह इन की देख रेख के लिए १ गृहपति भी नियुक्त रहता है जो इनके लिए सब प्रकार का प्रबन्ध करने और सदाचारादि सद्गुणों की रक्षा करने वाला माना जाता है, केवल इतना ही भेद इन गुरुकुलों, आश्रमों व विद्यालयों में रहता है, "कि गुरुकुलों में तो अविवाहित छोटी अवस्था वाले बालक लिए जाते हैं और उनको अपने गुरुकुल ( ब्रह्मचर्याश्रमीय ) जीवन में ब्रह्मचारी रह कर ही विद्याऽध्ययन करना पड़ता है। जब कि विद्यालयों में ऐसा कोई बन्धन नहीं है, वहीं बड़ी उमर वाले विवाहित विद्यार्थी भी रहते हैं। अनाथाश्रमों में अनार्यों की प्रधानता रहती है। श्राविकाश्रमों में कन्धा, मधवा, विधवा सभी रक्खी जाती हैं, पढ़ाई आदि अन्यान्य व्यवस्थायें लगभग समान ही रहती हैं। इन संस्थाओं में प्रायः सभी अनपेठ छात्र-छात्रायें रहते हैं और उनका भोजन, वस्त्र, पुस्तक, परीक्षा, अध्यापक आदि सभी का खर्च संस्थाओं को ही करना पड़ता है। इस प्रकार इन संस्थाओं में खर्च अधिक होता है और आमदनी

जनता की उदारता पर निर्भर रहनी है, इसलिए ये जनता के भरसके चलने वाली सभी संस्थायें बड़ी कठिनता से अपना काम चलाती हैं, अपीलें छुपानी हैं, विज्ञापन निकालती हैं, प्रचारक भेजती हैं, सहायतार्थ खानगी चिट्ठियां लिखती हैं, यात्रियों से प्रेरणा करके सहायता कराती हैं, तात्पर्य सभी ऐसी संस्थाओं के मंचालक निरन्तर द्रव्य की बिताओं में मग्न रहते हैं, वे संस्थाओं के सुधार और उन्नति सम्बन्धी या विद्यार्थियों के वर्तमान और भावी सुखद जीवन के विषय में कुछ भी विचार नहीं करने पाते, किन्तु उनको तो मात्र एक ही चिन्ता रहती है कि किसी प्रकार से द्रव्य आवे और उन का कम से कम चालू खर्च तो चलना रहे। हम के लिए उनको, सबको 'येन केन प्रकारेण' प्रसन्न रखना पड़ता है, ताकि कोई विरुद्ध शिकायत न उठने पावे और जनता प्रसन्न रहकर द्रव्य प्रदान करती रहे, वे अध्यापकों के कार्यों की देख रेख नहीं रख सकते, बालकों पर कड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो, अध्यापक जो नाराज हो जाय, तो कम वेतन पर दूसरा अध्यापक कहां से लावेंगे? अथवा वह अध्यापक दलबन्दी न बना देवे, या निकल कर मंत्रा आदि कार्य कार्यों के विषय में या संस्थाओं के विषय में कोई अपवाद (अफवाह) न उड़ा देवे जिससे आमदनी बंद हो जावे, या हम को अपना अधिकार (पद) त्याग करने का अवसर आवे। इसी प्रकार विद्यार्थियों का भय रहता है कि हमने इस पर कड़ाई की तो यह कहीं यहां से भाग न जावे, क्योंकि अन्यान्य सहयोगिनी संस्थायें तो मुंह फाड़े ही हैं। वे कोई भी विद्यार्थी किसी भी संस्था का, चाहे किसी भी कारण से भाग कर आया हो या निकाला हुआ आया हो, उसे कुछ भी पूर्वपर विचार किए बिना ही भरती कर लेती हैं, यहाँ तक कि पूर्व संस्था से पृथुना, या प्रमाण पत्र मगाना तो दूर रखा, किन्तु पूर्व संस्थायें लिख लिख कर थक जाती हैं, तो भी ध्यान नहीं देतीं, मानो उन्हें

अपूर्व निधि, बिना परिश्रम केही प्राप्त हो गई है, इसलिए इतनी लुब्ध होजाती हैं कि जैसे कोई चोरी के माल पर लुब्ध होकर उसे छिपा छिपा कर रखता है, यह संस्थाओं की भयंकर और पारस्परिक घातक नीति जबतक कायम रहेंगी, तबतक कभी भी न तो संस्थाओं का और न छात्रों का ही सुधार होगा हाँ ! हमसे वे संस्थाएं अपनी झूठी कार्य-वाही जनता को दिखा कर किसी तरह अपना स्वर्च पैदा अवश्य कर लेवेंगी । ये गर्व ( गौरव ) के साथ जनता के मन्मुख अपनी रिपोर्ट ( वार्षिक-विवरण ) रखवेंगी कि संस्था में हम वर्ष इतने तीर्थ इतने शास्त्री, इतने विशारद, इतने आचार्य, आदि उक्तिर्णता प्राप्त करके निकले हैं, संस्था आज कल उन्नति पर है जनता की अच्छी सेवा कर रही है, इसके संचालक मंत्री, सभापति तथा गृहपति अध्यापक आदि धन्यवाद के पात्र हैं, इत्यादि ।

यह कैसे आश्चर्य की बात है कि पढ़ा-लिखा कर उच्च शिक्षा के योग्य तो दश वर्ष पालन पोषण करके अन्य संस्था ने तैयार किया और माल छु महिना, ऐसे भागो या निकाले हुए छात्र को रख कर परीक्षा दिवाने वाली संस्था ने नाम कमा लिया, पूर्व संस्था योंही टापती रह गई—बम ! इस डर से संस्थाओं के संचालक छात्रों से डरते रहते हैं, कि यदि यह भाग गया तो हमारी गर्वों की सेवा व्यर्थ हो जावेगी, इसलिये वे छात्रों के अज्ञम्य भी दांपों की और आँखों के मन्मुख कान कर लेते हैं, अर्थात् उपेक्षा करते रहते हैं, और इसलिए उन छात्रों व अध्यापकों में वे दोष बढ़ने रहते हैं तथा और भी अनेकों दोष घर कर लेते हैं, जिससे छात्रों का भावी जीवन अत्यन्त दुःखकर हो जाता है । वे बिचारे कहीं के नहीं रहते, “न दीन के न दुनियां के” क्योंकि उनमें न सभ्यता होती है न सदाचार होता है, न कमाना आता है, न लोकव्यवहार ही जानते हैं, न उनकी विद्या ही उनके साथ रहती है, वे तो परीक्षोत्तीर्ण हो जानेसे झंकार से भर जाते हैं इसी लिये माता

सरभ्वती अहंकारी पुत्र को त्याग कर चली जाती है, केवल कागजी प्रमाण ही हाथ रह जाते हैं, उन्हें ही साइनबोर्ड बना कर विद्वता की दुहाई देते रहते हैं, मैं पूछ सकता हूँ, कि क्या कोई संस्था अपने यहाँ से निकले उत्तीर्णता प्राप्त छात्र के विद्यालय छोड़ने के बाद, सांसारिक ( गार्हस्थ्यिक ) जीवन की भी खबर रखती है, कि पीछे उनकी क्या अवस्था होती है ? वे भूखे हैं या प्यासे हैं, या भरपेट खाते हैं. वे समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं या अनादर की, वे जनता की सेवा कर रहे हैं, या पेट भरने के लाले पक्ष रहे हैं, वे गृहस्थ के पढ़-कर्मों का पालन, न्याय पूर्वक जीविका करके कर रहे हैं या अष्ट जीवन बिना रहे हैं, इत्यादि ।

संस्थाएँ मात्र पुस्तकें गटा कर पास करा देना और अपनी रिपोर्ट छपाकर पब्लिक को दिखा देना मात्र ही कर्तव्य क्यों समझती हैं ? क्या वे उनके भावी जीवन का उत्तरदायित्व नहीं रखती ? यदि नहीं तो मात्र परीक्षोत्तीर्ण करा देने से बालकों और समाज का क्या उन्होंने हित किया ? जब तक कि वे उनमें प्रौढ विद्वान् समाज धर्म और देश के मन्त्रे सेवक, न बनावें, जब तक कि उनके द्वारा तैयार किये छात्र महज महज बिना दीनना दिखाए व बिना चापलूसी किप स्वयंसेवा छात्रविकास, स्वतन्त्रता से प्राप्त न कर सकें और अपनी न्याययुक्त कमाई में ये कुछ अंश ( दसवाँ, बीसवाँ भाग ) अपनी उपकारक संस्था को देकर उसके द्वारा प्राप्त की सहायता ) विद्यार्थी जीवन में संस्था द्वारा सन्धि की गयी रकम ) पूरी न कर दें । अधिक देवें, तब तो अहो भाग्य, परन्तु कम में कम कर्ज तो चुका दें ” यदि ये छात्र ऐसा करने लगे और संस्थाएँ इनसे ऐसा बाउन्ड ( इकरार नामा ) बाकायदे करा लें, तो बीसों वर्षों से चलती आई संस्थाओं को, इस प्रकार द्रव्य की चिन्ता न करना पड़े, वे अपने पैतृ खर्ची होजावें, क्योंकि उन्होंने हजारों छात्र पढ़ा कर निकाले हैं थोड़ी थोड़ी भी सहायता करने से सै हज़ारों की सहायता



हो सकती है साथ ही वे औरों से भी यथा अवसर सहायता का सकते हैं, जिससे पोस्टेज छपाई और प्रचारकों का मार्ग बच कर संस्थाओं की अच्छी सेवा हो सकती है ।

परन्तु इस समय यह बात ऐसी है, जैसे जल से मक्खन निकालना या रेत में से तेल निकालना, क्योंकि बेचारे तीर्थ और विशारद २०) बीस रुपया की नौकरी के लिये प्रान्तों प्रान्त मारे २ फिर रहे हैं, उनके पास पूंजा नहीं जो व्यापार करें और न व्यापारकगना ही जानते हैं, कि किसी व्यापार के यहाँ कार्य कर सकें, महिनन मजूरी होनी नहीं उद्योग हुनर सिखाया नहीं गया, त्वोमचा ( फंरा ) करने में शरमाते हैं, भूख मनाती हैं, पानी का भार माथे लद गया और पुत्र भी होगया, अब क्या करें अनन्यगति होकर किसी सामाजिक पाठशाला में छोटी मोटी नौकरी पर ही संतोष करना पड़ता है जीवन भर कमाने हैं, और पास में फिर भी कुछ नहीं रहना । यदि देव योग से नौकरी छूट गई साल छः महीने घर बैठना पड़ा तो घर वालों को भार हो जाते हैं, या कुछ चीज बेच बाच कर किसी तरह जीवन के दिन काटते हैं । उस समय विद्यार्थी जीवन के पशो आराम व उदरपडनादि काम नहीं देते ।

हाय कैसी दयनीय अवस्था हो जाती है, उनकी दशा पर निर्दयी भी एक बार आँसु बाहा देता है, भला ऐसे व्यक्तियों से हम क्या संस्थाओं को सहायता की आशा कर सकते हैं ? नहीं २ व्यर्थ का वितंडावाद करना है । इसके सिवाय समाज में इनी गिनी पाठशालाएँ हैं, जो पंचों की देनगी और मर्जी पर चलती हैं, नई खुलती नहीं, यदि एक नई खुली, तो २ टूट जाती है, और प्रति वर्ष विद्यालयों से बीसों छात्र निकलते हैं सो उन सबको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी ? आखिर तो शेष बचे हुएओं को कुछ न कुछ आजीविका का साधन करना ही पड़ेगा, यदि कबो अजैन संस्थाओं या राजकीय संस्थाओं

में कहीं भी नौकरी कर लेंगे, सो प्रथम तो इनमें इनकी योग्यता ही नहीं कि किसी अच्छी संस्थामें ये न्याय व्याकरण या साहित्य की गद्दी ले सकें, दूसरे अजैन समाज में ब्राह्मण लोग ही बहुत विद्वान् मौजूद हैं, जो प्रौढ़ विद्वान् भी हैं, तब वहाँ इनकी गुजर कैसे हो सकती है ? ये तो बिचारे उदासीनता ( बेगार समझ कर ) से पढ़े हुए छः ढाला, रग्न-करड, द्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ सूत्र, बाल बोध आदि पुस्तकों के सहारे शब्दार्थ मात्र पढ़ा सकते हैं सो तो जैन समाज ही के काम के रहे. बाहर तो निकल ही नहीं सकते। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कि जिनको समाज में कोई अगह नहीं मिली, परन्तु भाष्य चमक गया और कदाचिन् श्वेतांबर या स्थानकवामी समाज में कहीं ठिकाना पड़ गया तो निरंतर उनके संसर्ग से, उनका धान्य खाने से, उनके ग्रन्थों का पठन-पाठन करने कराने से, आजीविका के हेतु, धर्मश्रद्धा से चलिता हो जाते हैं—उनके ही गीत गाने लगते हैं, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध उनके सिद्धान्तों की पुष्टि करने लगते हैं और तुरा यह कि वे निष्पक्ष विद्वान् कहाते हैं। खेद है, कि इनके लिए हजारों रुपया जिस समाज ने व्यय किया, ये उम्मी के धर्म-सिद्धान्तों का काट करने लग जाते हैं, "घरके कुरुआ से आँख फूट जाती है" जिन आशा पर समाज ने इनकी तैयार किया था, उम् पर मात्र पानी कहीं फिर जाता, प्रयुत उल्टे शत्रु बन जाते हैं, समाज में ऐसे कितने दृष्टान्त प्रगट मौजूद हैं।

यह सब क्यों होता है ? इस पर बिचार करने से संस्थाओं का ही अपराध समझा जा सकता है, क्योंकि जिनमें बालकों का सुकुमार बाल्यजीवन से लेकर कौमार काल व्यतीत होता है, वे तरुण वय के सन्मुख जहाँ रह कर हो जाते हैं अर्थात् लगभग अपने जीवन का एक बटे तीन या एक बटे चार भाग जहाँ पूरा करते हैं, उन संस्थाओं ने इन पर अपना क्या प्रभाव डाला ? कहा जाता है कि कोरे घड़े में जिन

वस्तु का संस्कार प्रारम्भ में पढ़ जाता है, उसकी वासना घड़ा फूटने पर भी नहीं जाती है, सो यहाँ भी बाल्य वय ( जो कोरे घड़े के समान है ) से ही बालक संस्थाओं में दाखिल हो जाता है और १०-१५ वर्ष तक उनमें बिनाता है, फिर भी ये संस्थाएँ इन बालकों में इतना भी धर्म संस्कार नहीं डाल सकती कि उनसे निकलना हुआ विद्वान् अन्य धर्मों के सन्मुख दृढ़ रह कर स्वधर्म की श्रद्धा से च्युत नहीं होने पावे, धर्म का प्रचार और प्रभावना तो दूर रही, परन्तु स्वयं तो धर्म में दृढ़ रहा आवे । इस विषय में जब हम जैनेतर विद्यालयों या गुरुकुलों पर दृष्टि डालते हैं तो उन को जैन संस्थाओं से कहीं अच्छी हालत में देखते हैं, वहाँ से निकले हुए अनेकों विद्वान् अपने २ धर्म व समाज पर जीवन उत्सर्ग कर देते हैं । यहाँ तक कि कितनेक तो पूर्ण विद्वान् होकर संन्यासी हो जाते हैं और धर्म प्रचार करने देखे जाते हैं, जैन समाज अपने धर्म के तर्कों पर ( सिद्धांतों पर ) अभिमान रखती हैं, और ई भी ठीक कि जैन धर्म के ठोस सिद्धान्त समस्त जीव मात्र के हित करने वाले हैं, इसका अनेकान्त ( स्याद्वाद ) सिद्धांत, वादी-प्रतिवादियों कर अजेय है, इसकी तत्त्व विद्या संसार में अजोड़ है, यह सब सत्य है तो भी खेद इस बात का है, कि हमारी समाज में गत ३०-३२ वर्षों में अनेकों विद्वान् इन संस्थाओं द्वारा निकले, परन्तु इने गिने ५-६ विद्वानों के सिवाय कोई भी विद्वान् समाज के सन्मुख नहीं आए, न उन्होंने समाज की कोई ठोस सेवा की और त्याग-भाग में तो मान्यवर पं० गणेशप्रसाद जी वर्मा के सिवाय कोई भी आगे नहीं आए कि जिससे विद्वत्ता के साथ साथ चरित्र के ढाने से जगज्जीवों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ता और समाज को बिना किसी प्रकार के स्वर्च में उतारे ( मात्र शुद्ध सादा प्रामुक् भोजन और मादे मांटे स्वदेशी खद्दर के वस्त्रों पर ही ) स्वजीवन निर्वाह अर्थान् दत्तचर्या संयमादि साधते हुए वीर अकलङ्क स्वामी के समान देश पर्यटन कर के जिन धर्म के गौख-गीत घर बैठे २ गाते हैं

उसे दिगंतव्यापी बना देते, विश्व में जैन धर्म का डंका बजा देते, सच्ची धर्मा प्रभावना करके दिखा देते, रासार के सन्मुख और होनहार भावी संतान के लिए आदर्श उपस्थित कर देते ।

परन्तु यह नहीं हुआ, क्यों ? क्योंकि संस्थायें चल रही हैं अपनी लीक पर, उनको अपना अस्तित्व तो रखना है, परन्तु आगे बढ़ कर ओजस्वी बन कर नहीं, किन्तु मात्र इतना कहलाने के लिए, हमारे यहाँ भी इतने विद्यालय हैं, इतने गुरुकुल हैं, इतने अनाथाश्रम, महिला श्रम तथा पाठशालाएँ हैं हमारी समाज में भी उन्नति हो रही है, इत्यादि । परन्तु इतने मात्र से न समाज का हित हो सकता है, न धर्म की जागृति ही हो सकती है और न पढ़ लिख कर निकलने वाले विद्वानों का इस लोक और परलोक सम्बन्धी हित ही हो सकता है ?

क्यों ? हमारी संस्थाओं का संचालन ठीक तौर से नहीं हो रहा है और न उनमें पारम्परिक सहयोग ही है, इसलिये ऐसी अवस्था में स्वर्च अधिक हो कर भी लाभ कम होता है, यदि इन संस्थाओं के संचालक मन्त्री अधिष्ठाता सभापति आदि आनरेरी होने हुए भी सच्चे दिल से काम करें, अपना समय नियमित रूप से संस्थाओं के सुधार में लगावें, स्वयं देख रेख रखें, स्वयं प्रत्येक विषय की जांच करते रहें, उन्नति विधायक विचारों व यत्नों को उपयोग में लेने रहें, स्वयं अनुभूत की और अन्य निगीहकों के द्वारा बताई हुई वृत्तियों को भरसक प्रयत्न करके दूर करने में तत्पर रहें, तात्पर्य इन संस्थाओं के कार्य को वे लोग अपना निजी और निव्यावश्यक कार्य मानलें और इसलिये हो कर करें, व्यक्तिगत द्वेष या दया राग छोड़ दें, मात्र संस्था के हित पर दृष्टि रखें, तो क्यों नहीं संस्थाएँ उन्नत और सफल उदंश्य होंगी ? अवश्य होंगी ।

परन्तु मन्त्री आदि कार्यकर्ता, मात्र अधिकार के लोभी रहते हैं,

कागजों पर सही कर देना वा आर्डर निकाल देना, बहुत हुआ तो पत्रोत्तर दे देना इत्यादि ही अपना कार्य समझते हैं, वार्षिक अधिवेशन आदि के समय यदि फुर्मत मिली तो रिपोर्ट पढ़ कर या सुपरि० आदि से पढ़वा कर जनता को सुनादी कुछ काम चलाऊ प्रस्ताव, जो सुपरि० आदि ने तैयार कर रखे हैं, पेश कर पास करा लिए और माज भर को छुट्टी पाई, यदि न उरस्थित हो सके तो सुपरि० आदि पेड कर्मचारी अपना कार्य समय पर करही लेते हैं और नाम मन्त्री आदि का छप ही जाता है, बस ! कर्तव्य की हति श्री हो गई ।

परंतु इन विचारे पदप्राप्त अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा भी भान नहीं होना कि जनता ने हम पर विश्वास करके यह जोखमी कार्य सौंपा है, अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इस विश्वास पर अपने को धन्य मान कर परिश्रम सहित कार्य करें, स्मरण रहे, कि संस्थाओं के संचालन का कार्य खेल नहीं है, इस में चोटी का पसीना पड़ी तक बहाना पड़ता है, नन भी लगाना पड़ता है और मन बचन भी, इस को छोटा मोटा राज्य ही समझना चाहिए, इसलिए जैसे राजा अपने राज्य को बढ़ाने और प्रजा के पालन करने व उसकी सुख पहुँचाने के प्रयत्न में निरंतर दत्तचित्त रहता है और अवसर आने पर जंग में राज्य और प्रजा के हितार्थ प्राणों तक का न्योङ्गार करने में भी पीछे कदम नहीं रखता, उची प्रकार संस्थाओं के संचालकों को होना चाहिये यदि वे अधिकारी राजा हैं, तो विद्यार्थी उनकी प्रजा हैं, इसलिए इनका लाजान पालन शिक्षण बड़ी सावधानी के साथ न्यायपूर्वक होना चाहिये ।

उन की देखरेख समझाऊ और संरक्षण के लिये, योग्य, सदाचारी व्यवहारकुशल, विद्वान्, धर्मवीर, गृहपति मैनेजर सरसक आदि तथा शिक्षण-परीक्षण के लिये सुयोग्य विद्वानों, को जो उन को धर्म, नीति, व्यवहार, आदि सभी विषयों में आदर्श रूप होकर शिक्षा देंसकें, परीक्षा

कर सकें, बालकों के स्वभाव के जानकार हों, नियुक्त करें और उस पर भी प्रत्यक्ष तथा परोक्षरीत्या सब के कार्यों और व्यवहारों की जांच करते रहें, अपराधी को उचित दण्ड और कुशल कार्य-बाहकों को उचित पुरस्कार आदि की योजना करते रहें अपनी संस्था से निकले विद्वान् कहां २ हैं, उनसे धर्म व समाज की क्या सेवा हो रही है, उनके प्रति जनता का कैसा विचार है, वे अपनी उपकारिणी संस्था को क्या बदला दे रहे हैं, इत्यादि बानों पर ध्यान रखें । तथा वर्तमान के छात्र कौन किम विषय में कैसी योग्यता रखते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि किम और है, वे किम विषय में अधिक उत्कृति कर सकते हैं, उनकी घरू परिस्थिति कैसी है, वे कितने काल तक विद्याऽध्ययन कर सकते हैं, उनकी आजीविका का भावी साधन क्या हो सकता है ? उन में पुस्तकों के अतिरिक्त व्यवहार ज्ञान भी हो रहा है या नहीं, उनके धार्मिक विचारों में प्रौढता आ रही है या शिथिलता, धार्मिक क्रियाएँ ( देव-पूजा स्वध्याय, गुरु सेवा, शुद्ध खान पान ) आदि का यथार्थ साधन करने हैं या नहीं, उनके मदाचार में कोई दोष तो नहीं लग रहा है, ब्रह्मचर्य का घात तो नहीं हो रहा है, उनमें मानसिक बल, पुरुषार्थ साहस और शारीरिक बल बढ़ रहा या घट रहा है, उन में वाक्पटुता हुई या नहीं, विनय, दया, क्षमा, सेवा, वात्मन्यता, गुणग्राहिता, स्वावलंबन, धैर्य, सहिष्णुतादि गुणों का विकास हो रहा है या जड़ता, हठता, क्रूरतादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है क्या उनमें एक सच्चे धर्मात्मा पुरुषार्थी सुयोग्य नागरिक के गुणों का विकास हो रहा है, इत्यादि बातों पर खूब ध्यान दें और जिस प्रकार से हो सके उनके जीवन को सुखद और धर्म देश व समाज सेवक के रूप में ढाल दें ।

इस के लिए अच्छे २ अनुभवी साधुवृत्ति, परोपकारी, सच्चे, प्रौढ, मदाचारी, धर्मात्मा, सेवक, गृहिनियों, संरक्षकों और शिक्षकों की उनके योग्य वेतन देकर, नियुक्ति करना होगी; उनके कार्यों का विभाग

अवधि भी नियत करना होनी। ताकि वे अपने उत्तरदायित्व के कार्यों को करते हुए, कुछ समय अपने पुत्र पुत्र्यादि की उचित सहाय्य करने तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक आराम करने का भी समय पा सके। एक ही व्यक्ति से पीर ववर्षी भिरती खर का कार्य लेना और फिर उससे उत्तरदायित्व की आशा रखना व्यर्थ है।

वर्तमान में हमारी सामाजिक प्रायः सभी संस्थाओं में यही व्यवस्था हो रही है, कि नाम तो धरा देते हैं गृहपति ( सुपरि० ) का और कार्य लेते हैं मुनीम, क्लर्क, भंडारी या चपरासों का, अर्थात् वही आफिस के सब रजिस्ट्रों की अपटुडेंट भर कर तैयार रखे, लेन देन, हिस्सा कितना, आय व्यय आदि क कार्य, वही खाता, व अदालती कार्य भी वही करे, चिट्ठी पत्री, मंत्री सभापति अधिष्ठातादि की तरफ की तथा अपने आफिस सम्बन्धी भी वही रें, सामान भोजन भण्डार रिक्वाइरींग आदि भी वही करें, आगन्तुक तथा निरीक्षकों से निरीक्षण परीक्षण कराकर कुछ सहायता भी वही करावे, भोजन तथा रहन सहन आदि में विद्यार्थियों को सुभीता पहुँचाने की व्यवस्था भी वही करे, ( यदि बेटिङ्ग सुपरि० है तो धर्म शिक्षा भी वही दे दिया करे और परीक्षा दिलाकर पास करा दिया करे ) अध्यापकों तथा छात्रों की देख रेख आदि सम्पूर्ण सहाय्य भी करे और सब की जवाबदारी रखे, वेतन सबसे कम लेवे और सब से अपने को हीन माने, सब की आज्ञा माथे चढ़ावे, इत्यादि। जब इस प्रकार वेहिमाब कार्यभार भौंपा जाता है तो वह किसी को भी पूरा न कर चतुराई से दिखाऊ, कार्य कर, कराकर अपने अधिकारियों को खुश रख कर अपनी आजीविका चलाता है, संस्था का कुछ हो और छात्रों का भी चाहे सो होवे, इसकी उसे पवाह नहीं रहती, न वह कुछ कर ही सकता है। इसलिये सुपरि० ( गृहपति ) को खुद करने का लिखा पढ़ी, रिक्वाइरींग आदि ) कार्य बहुत कम होवे, वह आवश्यक पत्र व्यवहार आदि

आफिस कार्य करे और शेष कार्यों के लिये एक आफिसक्लर्क या मुनीम रहे, हाँ जिम्मेदारी सब की सुपरि० की ही हो, सभी कार्यों में वह दत्त हो योग्य मैनेजर, इन्स्पेक्टर व आडीटर हो मुख्य कार्य बालकों की दिन-रात्रि चर्य की देख भाल सम्हाल हो। ऊपर बताई प्रत्येक बात जो छात्रों में होना जरूरी हैं, उन का उत्पादक हो, और दोषों का संहारक हो।

वास्तव में सुपरि० का पद बड़ी भारी जोखिम ( उत्तर १ पृष्ठ ) का है, परन्तु खेद है कि जैन समाज ने इस पद का अर्थ नहीं समझा, इसलिए संस्थाओं में एक क्लर्क रंग दिया जाता है जो कम वेतन लेवे, सब की जी दुजूरी करे और सुपरि० कहलावे, इसके लिए कोई सस्ता-सा थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का या बुड्ढा देव लिया जाता है, जो उक्त रस्मों को यथाशक्ति अदा करता रहे, भला ऐसे व्यक्ति का बालकों और अध्यापकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? कभी २ तो उल्टा हा असर हो जाता है, क्योंकि जो व्यसन सुपरि० में होंगे, वे तो बालकों में पैश हा ही जाँयेंगे, अधिक हों सा अलग।

इसीतरह अध्यापकों की हालत है, यद्यपि वे परिमित ही कार्य करने हैं, परन्तु पुस्तकें रटा देना मात्र जानते हैं, वे कभी भी बालकों को उनके जीवनोपयोगी नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, समाज व देश की परिस्थिति सम्बन्धी शिक्षा, शारीरिक व्यायामादि सम्बन्धी शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, क्रियाकाण्ड सम्बन्धी शिक्षा, शिष्टाचार पालन, सेवा, वैयावृत्ति, विनयाचार, संयम, ब्रह्मचर्य, स्वावलम्बन, साहस, धीर वीरता आदि विषयों की शिक्षा नहीं देते, वे ये शिक्षण क्या देवें, स्वयं भी इन से परे हैं। एक प्रसिद्ध संस्था में एक वैयाकरण पढ़ाने आता था, वह आते ही गद्दी पर लम्बे रॉब करके पढ़ जाता और लड़के पाम बैठ कर पढ़कर लखे जाते, बोर्ड पर



या पाटी पर रूप बनाकर बताना समझाना पूछना वह नहीं जानता था, मुँह से बकना जाता, लड़कें सुनते या बोझते जाने, पाँव फेंकाकर गद्दी से टिक कर अभिमान से बैठता तो प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्यमा हो गया है। इसमें वे गौरव समझते हैं, परन्तु यह उनकी असभ्यता है। एक संस्था में छात्र, मीन से एक जगह बैठकर ही कुछ खाते पीते हैं, ऐसा संस्था का नियम है, परन्तु वहाँ के एक जैन अध्यापक पढ़ाते हुए मृंगफली किसिमिस आदि खाते जाते थे, एक अध्यापक क्लास में पान तम्बाकू खा करके पढ़ाने बैठते और बारबार थूका करने थे, एक अध्यापक बारबार हुल्लास मूँघा करने थे, एक संस्था में बालक तो मूँड मुडाकर के रहते, परन्तु गृहपति अध्यापक अंग्रेजी टङ्ग के बाल रखते, एक अध्यापक लड़कों के सामने पढ़ाते हुए कहते, बड़ी सख्त गर्मी है, तबियत परेशान हो जाती है और इस संस्था का कैसा खराब कायदा है कि गर्मियों में भी बन्द नहीं होती, तुम लोग क्यों नहीं मन्त्री आदि से आग्रह काके छुट्टी कराते। ये मन्त्राशय तो छुट्टी ही टटोला करते और गर्मी २ कहते हुए स्थान छोड़ कर दरवाजे में आकर बैठ जाते जिस से कपरे में जान वाली हवा का उपयोग ये ही कर लेते और बेचारे लड़कें और अधिक गर्मी में पचने लगने। गाली देना, तुम मर जाओ, चाँडालो, बुरी चीज खाते हो इत्यादि तो इन के सहज स्वभाव में था। कभी मार भी अध्यापक बुरी तरह लगाने हैं। लड़कों के सामने अध्यापकों का हंपी-रुझाक, जिसके अमर विद्यार्थियों के शील-स्वभाव पर बुरा पड़ना है, करना तो दोष ही नहीं गिना जाता, चलते फिरते खाना, गप्पें उड़ाना, लड़कों को गप्पों में लगाना, पार्टीबन्धी करा देना; ये तो इनकी स्वाश आदतें होती हैं गृहपति या अध्यापकों का घरू काम करना, उनकी धर्मपत्नियों की आज्ञा भी सिरोधार्य करना, उनके बच्चोंको खिलाना, यह गुरु सेवामें सम्मिलित समझा जाता है। स्थानीय अध्यापक या गृहपति के घरों में छात्रगण छूट के साथ आते

जाते हैं और ऐसी सेवा नहीं, बल्कि चापलूसी का फल संस्थाओंसे अनेकों प्रकार की रियायतें चाहते हैं और होता भी यही है कि चापलूस सुशामर्दे का सफल मनोरथ हो जाते हैं और ऐसा न करने वाले कोप-भाजन बन जाते हैं। धर्माध्यापक महाशय स्वयं पूजा आदि को ढकोसला मानते हैं, वे स्वयं पूजा नहीं करते, न लड़कों को पूजादि करना सिखाते हैं, सम्भव है कि वे स्वयं पूजादि करना न जानते हों, अच्छे २ पंडित मुनियों को आहार दान देने पड़गाहने में बँगलें भाँकने हैं, इनको बाजारू अभक्ष्य मिठाइयाँ खाने, होटलों में खाने, अंग्रेजों इवार्यों खाने आदि का न्याग नहीं होता, शुद्ध भोजन यह जानते नहीं न मर्यादा का ज्ञान होता है पानी तक छान कर पीने का नियम नहीं होता इत्यादि। ऐसी बहुत सी बातें इन प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों में पाई जाती हैं, कि जिन का बहुत बुरा अस्मर छात्रों पर पड़ता है, वे सदगुणों के बदले दुर्गुण सीख जाते हैं, परन्तु कार्यकर्ता क्या कभी इन बातों की जाँच करते हैं, इनको सुधारने का यत्न करते हैं? कभी नहीं। वे तो जब कभी आते हैं, तो सूचना देदेने हैं, जिससे उनका बढियाँ स्वागत हो जाता है और कुछ समय बढियाँ दृश्य देख जाते हैं, उनको भीतरी व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे सावधान करके कुछ मिनटों के लिए आते हैं, उन्हें अध्यापकों और बालकों के स्वभावों और बातों की क्या खबर? जिसने चतुराई से कार्य बना लिया, वही बाजी ले गया! इन संस्थाओं के रमोई घरों में पानी छानने तक की क्रिया नहीं मिलती, न छात्रों पानी छानना भोजन के पदार्थों की मर्यादा (क्रिया कोष) का ज्ञान कराया जाता है, एकादि संस्था के सिवाय किसी संस्था में बालकों से पूजा नहीं कराई जाती है, सामायिक नहीं सिखाया जाता, शास्त्र बाँचने की पद्धति वा व्याख्यान, संवाद आदि का अभ्यास नहीं कराया जाता। हाँ! कहीं २ वार्षिक जत्तों पर संवाद का फारस जरूर सिखाया जाता है जो रटा दिया

जाता है, परन्तु उनमें तार्किक शक्ति नहीं पैदा की जाती। इन छात्रों से सस्थाओं के कोई भी कार्य ऐसे नहीं लिये जाते, जोकि इनके व्यावहारिक जीवनोपयोगी हों, जैसे आफिस का कार्य, हिसाब, खाता बही, भण्डार ( भोजन ) की सरहाज, भोजनालय की व्यवस्था, सामान की खरीद आदि। इसके सिवाय इनको प्रमादी बनाने के साधन जरूर जुटा दिए जाते हैं:—जैसे इनके स्थानों की सफाई, आड़ना आदि नौकरों से कमाना, भोजन जीमने के थाली, जोटा आदि वर्तन भी नौकरों से मंजवा देना, कपड़े धोने को धोबी का इन्तजाम कर देना इत्यादि। साथ ही ये सस्थायें, जो बाकियों को भोजन, वस्त्र पुस्तकादि सब कुछ देती हैं, वे भी छात्रों को मासिक (।।), (।) नकद दिया करती हैं। एक संस्था तो हमके सिवाय यह भी करती थी कि जो छात्र शाम को जीमने से इंकार करदे तो संस्था उसको -)॥ पैसा नकद एक बार के भोजन का दे दिया करती थी, कि वह उसका दूध पी लेवे, परन्तु होता यह था कि कई छात्र सबेरे ही डाँट कर जीम लेने और शाम के पैसा लेकर बचा रखते। इस प्रकार नकद पैसा, रुपयों का उपयोग ये छात्र क्या करते हैं? मां कोई पुरुष डिडेक्टिव बनकर वहां रहे और देखे तो पता लगेगा, कि इसका कितना दुरुपयोग होता है और उनके चारित्र को कहां तक इसमें धक्का पहुँचता है? उसका वर्णन करना यहां उचित प्रतीत नहीं होना, इसलिये विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और पुस्तकों के साथ और भी जो आवश्यक सामान हो, प्रबन्धकों द्वारा दिया जाय, परन्तु नकद पैसा देना हानिकारक है।

तात्पर्य, शिक्षा संस्थायों में योग्य स्टाफ की योजना करना और उन पर सदैव बारीक दृष्टि रखते रहना, छोटा भी दोष हो, तो भी उपेक्षा न करके, उनको प्रारम्भ से ही दूर कर देना, न्याय से दण्ड व पुरस्कार देना, किसी छात्र के, मात्र दानता करने या रो देने पर ही दया न कर बैठना और न किसी कर्मचारी की अशुभ भगत में प्रभावित

हो जाना चाहिये । इसके लिये कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सदन करना होगा:—स्वार्थ त्यागना होगा, समय लगाना होगा, बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा, स्वयं प्रत्येक बात की जाँच करनी होगी, छात्रों तथा कर्मचारियों की बुराई भी सहना पड़ेगी, व्यक्तिगत सुरम्बर छोड़नी पड़ेगी इत्यादि । परंतु यह सब तभी होगा, कि जब वह उन छात्रों वा कर्मचारियों से कुछ भी निजी सम्बन्ध न रखेगा, क्योंकि प्रायः ये लोग अपना कार्य बनाने के लिये घरोबा बना लेते हैं । मैं एक विद्यालय में दो वर्ष सुपरि० रहा हूँ, वहाँ मैंने इसी बात का अनुभव किया । मैं चौके में जीमना था, इसलिये जिस दिन मैं संस्था में पहुँचा, कि उसी दिन शाम को ४-५ छात्र आकर पग दाबने की पूछने लगे, मैंने इन्कार कर दिया । पश्चात् क्रमशः बरौआ और चवरासी आया, उन्होंने भी पग दाबने की चेष्टा की, उन्हें भी मैंने निपेव कर दिया । दूसरे दिन, भोजन शाला में दो स्त्री रसोई करने वाली थीं और एक परोसने वाली पुरुष था, उन्होंने सबको रोटी जो बनी रखी थीं सो और दाल परोसी, परन्तु मुझे एक शाक ( जो सांभू को बचा रक्खा था सो बघार कर तैयार किया हुआ ) दाल और गरम फुलका अन्ध रोटियों से कुछ हल्का और पतला सेक कर रक्खा । मुझे आश्चर्य हुआ कि लड़कों को शाक नहीं है, उनकी रोटियां कुछ बजन्दार मांटी बसी २ हैं, और मुझे शाक एवं पतला और गरम फुलका परमा है । मैंने कहा, सबको शाक परोसो । उत्तर मिला सबको नहीं है । आपके लिए कल के शाम के शाक में से बचा लिया था सो बनाया है । मैंने अपनी रोटी पास वाले छात्र को दे दी, शाक भी दो चार को पहुँचा दिया और वही रोटियां जो सबको परोसी थीं, लेकर जोमने लगा । बस ! मैं समझ गया कि इस प्रकार कर्मचारी या छात्र, अधिकारियों को अपना बना लेते हैं और उससे अनुचित ( स्वार्थ ) कार्य साध लेते हैं । अधिकारी जब निजी कार्य (सेवा) उनसे लेने लगते हैं, तो उन पर उस

सेवा का दबाव अवश्य ही कुछ न कुछ पड़ जाता है, जिससे उसे, उसके बदले कभी २ उनके अनुकूल न्याय, पारितोषिक तरकीब आदि देना पड़ती है और दोषों पर आंखमिचौनी करनी पड़ती है। इसलिये छात्रों तथा पब्लिकसर्वेन्ट्स ( सार्वजनिक संस्थाओं के कर्मचारियों ) से किसी भी प्रकार का निजी छोटे से छोटा भी कार्य, ( यथा बच्चे को उठा लेना, घर दे आना, शाक ला देना, चाबी घर दे आना, इत्यादि ) नहीं लेना चाहिये। प्राइवेट कार्य को प्राइवेट नौकर रखना या खुद कर लेना चाहिये। तभी उनसे संस्था का ठीक २ कार्य लिया जा सकता है। भले ही कार्यकर्ता आनरेरी हो, यदि उसे अपना समय वहां देना पड़ता है, जिससे निजी कार्य में अदखल पड़ती है और आर्थिक परिस्थिति के कारण निजी नौकर नहीं रख सकता, तो यह अच्छा होगा कि अपने लिए संस्था से एक नौकर कमेटी द्वारा स्वीकार करा लेवे और उसी से अपना कार्य कराया करे, जिससे औरों का दबाव न आने पावे।

जब २ संस्था की जांच करना हो, बिना सूचना दिए अनियमित समय पर जाकर उस समय के समयविभागानुसार कार्य देख-रेख करना, हिमाब आदि रोकड़ गिनाना, आफिस देखना, भोजनभण्डार, अन्यान्य सामान का स्टॉक देखना, अध्यापकों की बैठक, पढ़ाने का ढङ्ग, छात्रों से उनका व्यवहार आदि की जांच व हिदायत करना इत्यादि। यदि इस प्रकार से छात्र, कर्मचारी और कार्यवाहक गण ( अधिकारी ) अपने २ कर्तव्यों को करने लगें, तो संस्थाओं की सच्ची उन्नति हो, सुयोग्य नागरिक पुरुषार्थी, विद्वान् उनसे निकलें, जो त्यागी बनकर या गृहस्थ रहकर, सुयोग्य, संयमित स्वावलम्बी जीवन बिताते हुए, धर्म, समाज और देश की यथोचित सेवा कर सकें।

संस्थाओं के सम्बन्ध में अब एक बात और कहना शेष है और

वह है उनका पारस्परिक सङ्गठन । दिगम्बर जैन समाज में मथुरा, बनारस, सागर, व्यावर, मोरैना, उदयपुर, बटनी, इन्दौर, सहारनपुर, आदि अनेक स्थानों में पृथक् २ नामों से अनेक ब्रह्मचर्याश्रम, विद्यालय आदि कई वर्षों से चल रहे हैं और लगभग सभी की पढ़ाई कुछ फेरफार से एक सी हो रही है । उद्देश्य व नियम भी बहुत कुछ मिलते हैं, क्योंकि सभी जगह के छात्र बनारस क्वीन्स-कालेज, कलकत्ता संस्कृत कालेज, माणिकचन्द दिग० जैन परीक्षालय या महासभाश्रित दिग० जैन परीक्षालयकी परीक्षा देते और तीर्थ शास्त्री, विशारद आदि उपाधियाँ प्राप्त करते हैं, तथा वे छात्रगण जब कुछ पढ़ने लगते हैं और उनको लोक की हवा लग जाती है, तो अपनी स्वच्छन्द वृत्ति पोषण के लिये एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी आदि संस्थाओं में भागकर चले जाते हैं, या एक संस्था से असुख २ कारणों से निकाले जाने पर, अन्य संस्थाओं में जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं । यदि इन संस्थाओं में समानता न होती, तो वे छात्र वहाँ जाकर प्रविष्ट न हो सकते, इत्यादि कार्यों से उनमें समानता पाई जाती है । इसलिये जब कि उनमें समानता ही है, तो क्यों नहीं वे अपने सामान्य भेद-भाव को दूर करके परस्पर सङ्गठित हो जातीं ? और क्यों परस्पर-विरोध रखकर अपनी २ टपली बजाती हुई अपना २ राग अजापती हैं? क्योंकि इस असङ्गठन के कारण एक तो द्रव्य का व्यय बहुत होकर भी लाभ कम होता है और दूसरे विद्यार्थियों के खर्च पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है ।

द्रव्य का व्यय तो यों अधिक होता है, प्रत्येक आश्रम या विद्यालय अपने यहाँ से तीर्थ, आचार्य, शास्त्री आदि की उच्च परीक्षार्थे दिलाना चाहता है, और इसलिये उसको उक्त विषय के ऊँचे विद्वानों की योजना करनी पड़ती है, परीक्षाफी मार्गव्यय, और पुस्तकादि का व्यय उठाना पड़ता है, जब कि प्रत्येक विद्यालय में

ऐसी उच्च कक्षाओं के छात्र बहुत थोड़े, कहीं १, कहीं २-३, कहीं ४-५ ही होते हैं। इस कारण से एक-एक विद्यार्थी के लिए बहुत रुपया प्रत्येक संस्था को व्यय करना पड़ता है, इससे द्रव्य अतिक्रम व्यय होकर वे भी फल थोड़ा होता है।

इसलिये ये संस्थायें सरकारी स्कूल, हाईस्कूल और कालेजों की पद्धति के अनुसार चलाए जाय, तो थोड़े व्यय से बहुत विद्यार्थी, विद्यालाभ कर सकते हैं अर्थात् प्रत्येक नगर व ग्राम में जो पाठशालायें हों, वे प्राथमिक शिक्षाप्रदायिनीपाठशालायें समझी जाय, जहां ऐसी निजी जैन पाठशालायें न हों, वहां बालक, बालिकायें सरकारी मार्वाजनिक शालाओं में पढ़ें और उनको निजी जैन पाठशालाओं द्वारा जैन धर्म की शिक्षा दी जाय, जिसका क्रम नियत रहे, बाद का संस्कृत की ओर बढ़ने वालों के लिए निकटवर्ती स्थानों में प्रवेशिका तक शिक्षा देने वाली संस्थायें रहें वहां प्रवेशिका पास कर लेने पर उनको अन्य बड़े विद्यालयों में भेज दिया जाय, वहां वे विशारद तीर्थ और प्राचार्य आदि की परीक्षा दें, अर्थात् एक २ महाविद्यालय (कालेज) के साथ कई प्रवेशिकाशालायें हों और एक २ प्रवेशिकाशाला के साथ कई प्राथमिक (बालोपेक्षक) शालायें हों। जैसे २ बालक आगे बढ़ते जावें, वैसे २ अन्यान्य उच्च शालाओं (विद्यालयों) में भेज दिये जाय। इसी के साथ इन महाविद्यालयों (कालेजों) में यह भी सङ्गठन रहे कि अमुक विद्यालय में व्याकरण उच्च से उच्च कक्षा तक पढ़ाया जाय, अमुक में न्याय और अमुक में साहित्य इत्यादि। जिस विषयकी पढ़ाई जहां अच्छी से अच्छी हो सके, और जो संस्था उसका अच्छे से अच्छा प्रबन्ध कर सकती हो, उस विषय की वहां मुख्यता रखी जाय, और उस विषय का विद्यार्थी वहां बिना सङ्कोच भेज दिया जाय। जैसे काशी में संस्कृत, व्याकरण व साहित्य आदि विषय के बड़े से बड़े विद्वान् थोड़े

वेतन में मिल सकते हैं और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है, न्याय या धर्मशास्त्र इन्दौर, महारनपुर या मोरैना हो सकता है, तो उस २ विषय की उच्च से उच्च कक्षाएँ वहाँ ही रहें और अन्य संस्थाएँ अपने २ छात्रों को उन २ विषयों का अध्ययन करने के लिए वहाँ २ भेज दें। इस से एक तो भारी लाभ स्वर्च की कमी हो जायगी, दूसरे छात्रों की दौड़-भाग बन्द हो जायगी, क्योंकि उनको नियत संस्थाओं में यदि उन विषयों को पढ़ना होगा, तो अनन्यगति से रह कर पढ़ना पड़ेगा, तीसरा बड़ा भारी लाभ यह होगा, कि छोटे बालकों के साथ बड़े २ बालकों का रहना छूट जायगा, बड़े २ और छोटे २ ही रहेंगे, इससे लाभ यह होगा कि छोटे बड़े बालकों के साथ २ रहने में जो दोष उनमें पैदा हो जाते हैं या जिनकी सम्भावना है वे बच जायेंगे, हाँ ! प्रत्येक संस्था को यह ध्यान तो सदा रखना ही होगा कि एक कमरे ( कम्पे ) में कभी दो बालकों को स्थान न दें, या तो एक में एक ही रहे या ३-३ आदि ही रहें।

ऊपर लिखे संगठित प्रबन्ध के सिवाय यह भी व्यवस्था प्रत्येक संस्था में होना चाहिए कि सहयोगिनी किसी भी संस्था से भागे या निकाले हुए छात्र को अन्य संस्था अपने यहाँ स्थान न दें, जहाँ तक वह स्वयं वहाँ से अपनी पढ़ाई और सदाचार विषयक प्रमाणपत्र वहाँ के गृहपति मंत्री और सनापति की सही से वहाँ की मुहर सहित न लावे, तात्पर्य या तो वह प्रमाणपत्र लावे, या अपनी उसी संस्था में जाकर अभ्यास करे।

ऐसा करने से लाभ यह होगा, कि बालकों में उद्वेगता, स्वेच्छाचारिता, प्रमादीपन, मिथ्याभाषिता आदि और भी दोष उत्पन्न न होने पावेंगे, तथा संस्था भी नियमित रूप से अमुक अवधि तक एक छात्र को एक ही संस्था में रहने से उसकी पुस्तकीय



शिक्षा के सिवाय सदाचार आदि सद्गुणों के लिए भी जिम्मेदार होगी, वह बड़ी सावधानी से उसकी सम्हाल रखेगी और उससे नियमों का पूर्णतया पालन करायेगी, बालकों को नियमोत्संघन करने का दुःसाहस न होगा, क्योंकि अन्य संस्था उसे खेने को तैयार न होगी, इस प्रकार उस के चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह सुसंस्कृत और सुयोग्य बनेगा तथा संस्था का भी ऐसे छात्र से गौरव रहेगा ।

प्रत्येक संस्था किसी न किसी अनुभवी विद्वान् त्यागी की देख रेख में रहना चाहिए, जो वहाँ अधिक से अधिक समय रह सकता हो और जिसकी पठन-पाठन की पद्धति तथा छात्र और अध्यापकों के स्वभावों का ज्ञान हो, तथा जो पठन पाठन सदाचार व धार्मिक क्रिया, आचरण और शिक्षा मात्र को देख भाल रखे; क्योंकि संयमी का प्रभाव असंयमी की अपेक्षा अधिक पड़ता है, परन्तु काल-दोष से यदि ऐसा त्यागी संयमी प्राप्त न होवे, तो कोई बृद्ध अनुभवी, शिक्षा खाने निस्पृह गृहस्थ विद्वान् ही, जिसकी धार्मिकश्रद्धा व विचार भागम के अनुकूल हो, सम्हाल करता रहे ।

प्रत्येक छोटी बड़ी संस्था में धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक शिक्षा, की प्रधानता रहे, अर्थात् मर्यादा के अन्दर का विधिपूर्वक छुना हुआ पानी पीना, रात्रि में औपधि और पानी के सिवाय कुछ न खाना, बाजारू अमर्यादित अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ न खाना, दूँतोंन स्नान नियम से करना, नित्य दो बार दर्शन सामायिक करना, निजी स्वाध्याय के सिवाय कुछ समय शास्त्रमभा करना, नित्य बारी २ से और अरकाश के दिनों में स्नायुहिक रूप से जिन-पूजन करना, कम से कम १२दिनमें व्याख्यान सभा करके वक्तृत्व शक्ति को बढ़ाना, लेखनकला और लेख लिखना सीखना धार्मिक वादविवाद करना, शुद्धमर्यादित भोजन दिनमें तीनसे करना, पंक्तिभोजन अधिक उपयोगी होता है, इस लिये साथ बैठकर प्रसन्नता और पवित्रता से

जीमना । रसोईघर स्वच्छ हवादार प्रकाशवान होना चाहिए । रसोइया जैन हों, क्रियावान हों, कभी २ पर्वदिनों में छात्रों को एकासन तथा उपवास का भी अभ्यास कराना चाहिए, रस भी छोड़ने का अर्थात् अमुक २ रम बिना भी खाने का अभ्यास करावे, यदि प्रायश्चित्त देवे तो ऐसा ही देवे, तुमको इतने एकासना या उपवास करना चाहिए, तुम नमक बिना या घी बिना भोजन करना, ऐसा कगाने से उनमें सहिष्णुता आती है, वे अक्सर पर नीरस भोजन भिन्न पर भी दुखी नहीं होते और कभी किसी स्थल पर खाद्य पेय शुद्ध न मिलने पर वे भूख से विज्वल होकर अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते, क्योंकि उनको भूख सहने का अभ्यास है, वे एक बार या दो एक दिन यों ही भोजन बिना बिना सकते हैं, परन्तु खाने के लिए कभी भृष्टाचारीता स्वीकार नहीं करते । बालकों को अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं वे ही उनके ज्ञानोन्नति के हेतु होते हैं, इसलिए उनको प्रश्न काने का अक्सर देना और बड़े प्रेम से उनका समाधान करना चाहिए, कभी भी प्रश्नोंकी उपेक्षा न करना चाहिये और न झुंझलाना ही चाहिए । इस प्रकार से ज्ञान और क्रिया आदि के संस्कार अवश्य ही उनमें डालते रहना चाहिए । हमारी संस्थाएँ उनको धर्मपुस्तकें रटाकर पढ़ा देती हैं, परीक्षा दिज्ञा देती हैं, परन्तु उनमें भावज्ञान पैदा करने की चेष्टा नहीं करती, न धार्मिक क्रिया, आचरण, खानपान, संयम, व्रत, उपवास, सामायिक पूजादि का ही उनको अभ्यास कराती है, तात्पर्य, वास्तविक जैनत्व उनमें नहीं भरती है, यह बड़ी भारी त्रुटि है ।

एक जैनतर ब्राह्मण विद्यार्थी, अपनी संध्या गायत्री करता है, तिलक लगाता है, ठाकुरजी का भोग लगाता है, प्रसाद लेता है अर्थात् अपने धर्म और सम्प्रदायानुसार अपना आचरण रखता है और बड़ी कठिनता से अपने शरीर की रक्षार्थ मात्र भोजन वस्त्र प्राप्त करके



अयन करता है और इस प्रकार कष्टदा प्रौढ़ विद्वान् भी बन जाता है, कि जैन छात्रको सब प्रकार का सुभीता रहता है, न भोजन की चिन्ता, न वस्त्र-पुस्तकादि की चिन्ता होती है, फिर भी हमारे छात्र न तो उन जैसे प्रौढ़ विद्वान् ही बनते हैं, न धर्मधर्रा और क्रियाओं में ही रुढ़ होते हैं, इसका कारण संस्थाओं का इस ओर दुर्लक्ष ही समझना चाहिए, नहीं तो क्या कारण है कि इतना आराम मिलने और बे-फिकरी होने पर भी जैन समाज के बावजूद सबे धर्मवीर कर्मशील प्रौढ़ विद्वान् न बनें ? क्या इनके अयोपशम नहीं है ? नहीं अयोपशम तो है, किन्तु संस्थाओं का दुर्लक्ष्य होने और अभ्यापक गुरु, गृहपति आदि की आदर्श शिक्षा व चारित्र्य न होने से ऐसा होता है, इसलिए मैं समाज, संस्थाओं, छात्रों, त्यागी संयमियों और विद्वानों आदि सब का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हुआ नम्रनिवेदन करता हूँ कि वे अपना सुधार करें। यहाँ मैंने छात्रों, अभ्यापकों, कर्मचारियों, संस्थासंचालकों, विद्वानों और त्यागी संयमियों के सम्बन्ध में दोषों का दिग्दर्शन कराया है, उसमें मेरा अभिप्राय किसी को नीचा दिखाने, अकीर्ति करने या हासि पहुँचाने का नहीं है, किन्तु मात्र यहाँ मेरी यही शुभ भावना है, जो ऐसे दोष दूर हो जावें और नये उत्पन्न न होने पावें तो यह पवित्र सर्वजीवहितकारक जैनधर्म आज सर्वव्यापी जैन धर्म बन जावे, विरव-धर्म हो जावे और जैन समाज आदर्श समाज उसके विद्वान् आदर्श विद्वान् और उसके त्यागी संयमी साधु जगदादर्श साधु, माने जावें ज्ञे जावें, ऐसा होने पर ही जैनधर्म की प्रभावना और समाज की चिन्ता हो सकती है, अन्यथा जो हो रहा है सो हो रहा है और सब भी जो होना है सो होगा, परन्तु समाज शीघ्र चेत जावे और एक संस्थाओं का सुधार करे तो अरुद्धा हो। इति शुभं सूत्रम्—

हिताकांक्षी—

दीपचन्द्र वर्मा,